खण्ड-236, अंक-5
मंगलवार, 1 कार्तिक, शक संवत् 1884
(23 अक्टूबर, 1962 ई0)

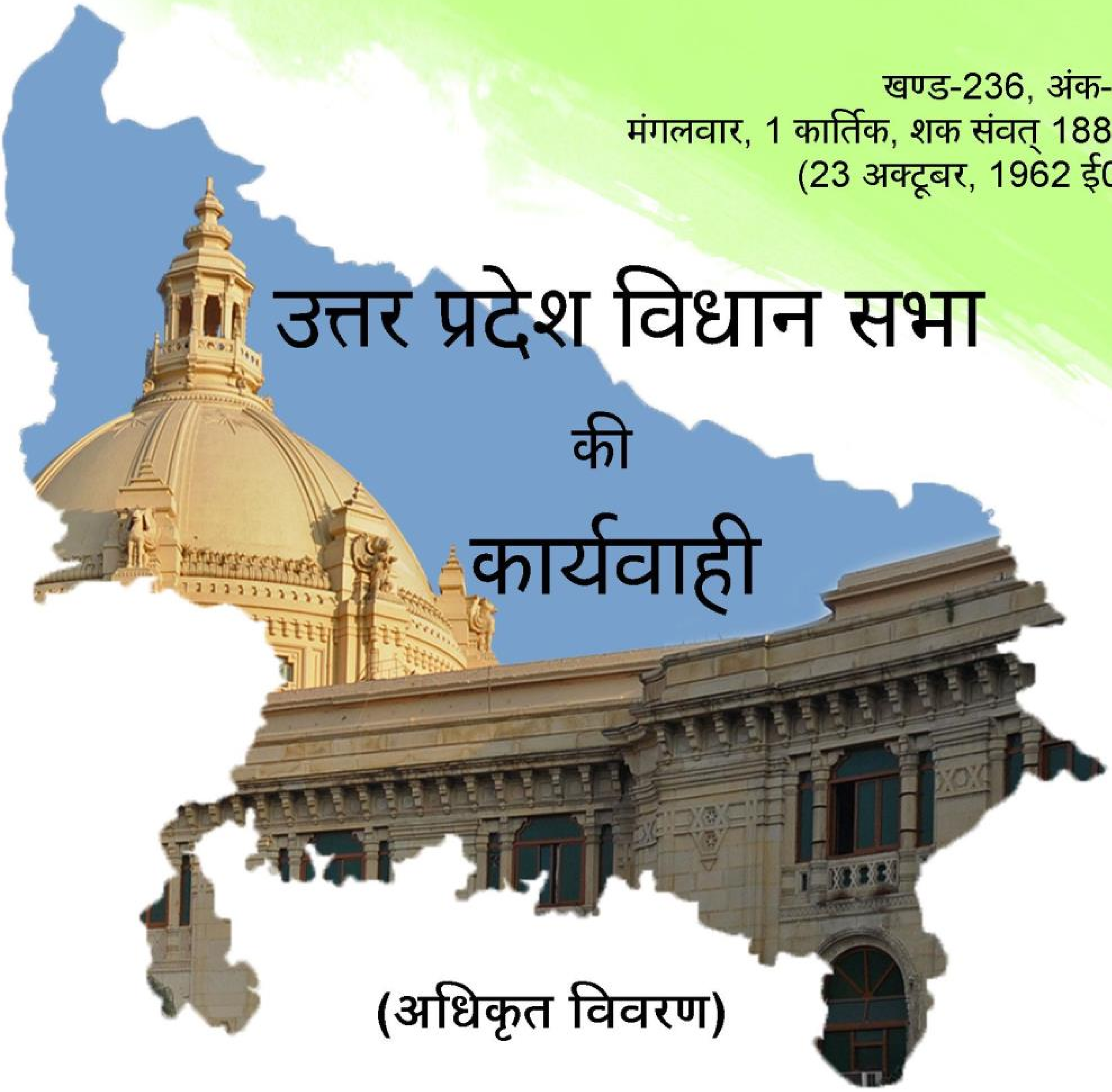

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०३–५०७
प्रश्नोत्तर	५०७–५२९
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ पर हुए विभाजन के फल में शोधन	५३०–५३२
इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम ..	५३२–५३३
कुंवर रुद्रप्रतापसिंह के निलम्बन का समाप्तिकरण	५३३
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	५३४–५३५
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (जारी)	५३५–५८४
नस्थियां	५८५–५९०

विधान सभा सदस्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी खां, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवैद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिनमिट राम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री

शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह युसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुखेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हसीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हीरालाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा सिंचाई उपमन्त्री, डाक्टर राम नारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ अक्तूबर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधान भवन के सामने धरना

**१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १९ अक्तूबर, १९६२ को २ बजे दिन में जब संसद सदस्य श्री सूरजलाल वर्मा विधान सभा के गेट पर धरना दे रहे थे उस समय विद्यार्थियों के एक समूह पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, फलस्वरूप कई विद्यार्थी घायल हो गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९-१०-६२ को विधान सभा के सामने पुलिस ने विद्यार्थियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

**२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि पुलिस अधिकारी धरना देने वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें घसीट-घसीट कर पी० ए० सी० की मोटरों पर पटक देते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही नहीं है कि पुलिस अधिकारी धरना देने वालों पर दुर्व्यवहार करते हैं या उन्हें घसीट कर मोटरों पर पटक देते हैं।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं)—[हटा दिया गया।]

*४-६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[३२वें गुरुवार के लिये प्रश्न १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जालौन और झांसी जिले में भूमि संरक्षण

*७—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन और झांसी में स्वायल कंजरवेशन आफिसर और उनके इंजीनियर्स ने दिनांक १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक कितने निरीक्षण किये और कितने प्रोजेक्ट तैयार किये?

कृषि उपमन्त्री (श्री शिवराजसिंह)—

	निरीक्षण संख्या	
	झांसी	जालौन
१—स्वायल कंजरवेशन आफिसर	१०१	११२
२—इंजीनियर्स	६०	२५

इस अवधि के अन्तर्गत झांसी और जालौन में ६० एवं ५६ प्रोजेक्ट क्रमशः तैयार किये गये।

*८—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक भूमि संरक्षण का कितने एकड़ में काम हुआ और वह कार्य किस किस्म का हुआ?

श्री शिवराजसिंह—२७,५४९ एकड़ों में हुआ और वह मेड़बन्दी, समोच्च रेखीय एवं सीमा बांधों एवं भूमि समतल के द्वारा भूमि का बचाव के सम्बन्ध में कार्य हुआ।

*९—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिला जालौन में १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक कितने आदमियों को कितनी सहायता दी गई तथा जिन कार्यों के सम्बन्ध में वह धनराशि दी गई है उन कार्यों के समाप्त होने पर जिले के स्वायल कंजरवेशन आफिसर ने निरीक्षण किया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवराजसिंह—८५० किसानों को २ लाख ५० हजार रुपये की सहायता तकावी ऋण के रूप में दी गई। अनुदान के रूप में १,०९२ कृषकों को १६,३९८ रुपये बांटे गये। स्वायल कंजरवेशन आफिसर ने लगभग १० प्रतिशत भूमि संरक्षित कार्यों का निरीक्षण किया।

श्री विजयसिंह—मान्यवर, जालौन जिले में नदी के किनारे जितनी जमीन है ज्यादातर कटावदार है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ५६ प्रोजेक्ट जालौन जिले में पड़ते हैं उनमें नदी गांव ब्लाक में कितने प्रोजेक्ट तैयार हुए?

श्री शिवराजसिंह—इस वक्त जालौन जिले के छः ब्लाकों के अन्दर कार्य हो रहा है। हर ब्लाक के सम्बन्ध में मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री विजयसिंह—माननीय मन्त्री जी ने बताया कि भूमि के कटाव के बचाव के सम्बन्ध में २७ हजार ५ सौ ४९ एकड़ में कार्य हुआ है। लेकिन जैसे कि किसान अक्सर मेड़ें बना लेते हैं, भूमि के कटाव को बचाने क लिये कितने एकड़ में विभाग ने कार्य किया है?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, सामान्य कार्य तो जैसा प्रश्न के उत्तर में बताया गया है वह २७ हजार ५ सौ ४९ एकड़ में दोनों जिलों में किया गया है परन्तु पूरा कार्य जो स्वायल कंजरवेशन में इन दोनों जिलों के अन्दर हुआ है, झांसी जिले के अन्दर ७ हजार ४ सौ ९३ एकड़ में और जालौन जिले में ५ हजार ३ सौ १० एकड़ में सम्पन्न हो गया है।

श्री विजयसिंह—मान्यवर, यह जो ११२ दौरे किये हैं स्वायल कंजरवेशन आफिसर ने, और २५ दौरे किये हैं इंजीनियर महोदय ने, तो उनके दौरे के भत्ते की रकम, इस काम के लिये जो अनुदान या ऋण मिला है उससे ज्यादा है या कम?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, जो अनुदान या ऋण दिया गया है उसका ब्यौरा प्रश्न संख्या ९ के उतर में दिया हुआ है। जितना रुपया दौरे पर खर्च हुआ उसके आंकड़े नहीं हैं। उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री विजयसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के लिये इस विभाग को कितना रुपया इस वर्ष में खर्च करने के लिये दिया गया था जिसमें से इतना रुपया व्यय हुआ है?

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, जितना एरिया हम लेते हैं उस पर जितना भी वहां पर खर्चा होना होता है उसकी पूरी मात्रा तक ऋण देने की व्यवस्था होती है, जितनी मांग होती है उतना खर्च किया जाता है।

कन्हला ताल से जल निकासी

*१०—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि ताल कन्हला, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर से कोई जल निकासी का प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर कौन-कौन सी कार्यवाही की?

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—जी हां, नवम्बर, १९६१ में एक ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। चूंकि वह पत्र एक नाला खोदने के सम्बन्ध में था जो कि ५ मील से कम लम्बा है, अतः जिला नियोजन अधिकारी, गोरखपुर से प्रार्थना की गई है कि वे इस कार्य को श्रमदान द्वारा कार्यान्वित कराने का प्रयत्न करें।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नाले की खुदाई पर जो व्यय होगा वह नियोजन विभाग बर्दाश्त करेगा या सिंचाई विभाग?

डाक्टर रामनारायणपांडेय—श्रीमन्, नाला तो श्रमदान के द्वारा खुदेगा। उसके ऊपर पक्के कार्य विभाग कराया करता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि खुदाई के लिये जो जमीन ली जायगी वह जमीन एक्वीजीशन से ली जायगी या लोगों को स्वेच्छया देने के लिये छोड़ दिया गया है?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—इसका नियम यह है कि जो ५ मील के अन्दर के काम हैं खास तौर पर नाले वगैरह खोदने के यह काम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दे दिये गये हैं। अब सम्बन्धित स्थान पर जो डी० पी० ओ० या बी० डी० ओ० रहते हैं उनको दोनों बातों का आप्शन है। चाहें तो वह रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट के मुताबिक रिक्वीजीशन कर लें और चाहें तो एक्वीशन कर लें, दोनों में से जहां जैसी स्थिति हो वह कर लें और श्रमदान द्वारा यह कार्य कराया जाता है। अगर कोई पुलिया वगैरह बनाने का काम हो तो वह सिंचाई विभाग द्वारा बना दिया जाता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—यह पांच मील की शर्त श्रमदान में कार्य करने की जब से चलाई गई है तब से इस तरह के नालों के बनाने का काम रुक गया है। तो क्या सरकार ने इस तरफ कोई विचार किया कि पांच मील के काम जो हैं, एक गांव में अगर पांच मील हो तो कोई हर्ज नहीं लेकिन एक गांव से ज्यादा में जो ऐसे काम हों, उनको सिंचाई विभाग अपने जरिये से अपनी एजेंसी से कराये ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट आफिसर के लिये वह काम इसलिये सुपुर्द किया गया, वैसे तो ग्रामसभाओं को भी दिया जा सकता था लेकिन जब एक से ज्यादा ग्राम सभाएं होती हैं तो जमीन वगैरह मिलने में दिक्कत होती है, इसलिये डेवलपमेंट आफिसर जो हर जिले में हैं वह इस काम को आसानी से करा सकते हैं। साथ-साथ यह भी खयाल हुआ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये से कुछ रूरल मैन पावर के इस्तेमाल करने के लिये भी रुपया मिलता है। तो उस रुपये के इस्तेमाल के लिये भी यह बेहतर समझा गया कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से यह काम कराया जाय। उसमें रुपये मिलने में भी सहूलियत हो जाती है और लोगों को काम भी मिल जाता है। वैसे इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से जो काम होते हैं वह आप जानते हैं कांट्रेक्टर्स के जरिये से होते हैं। उसको दूर करने के लिये यह प्रथा बनाई गई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नाला खोदा जा रहा है इसके बारे में कोई स्कीम सरकार ने जांच करके बनायी है कि इस पर कितना खर्चा होगा और श्रमदान से इसको न कराकर के मैन-पावर स्कीम में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—जब यह सवाल विभाग के सामने आया और जब उसके फासले का पता लगा कि पांच मील का है तो फिर उसके बाद उसको नहीं लिया गया और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया गया कि वही जांच-पड़ताल करायें और जो खर्चा हो, वह करें। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि ब्लाक्स में ओवरसियर भी रखे गए हैं तो उनके जरिये से यह काम सब हो सकता है।

श्री ऊदल—इस बात को देखते हुए कि विकास विभाग और सिंचाई विभाग का इन बाढ़ के नालों के विषय में काफी टकराव हो गया है और पहले जल निकाली योजना सिंचाई विभाग की योजना का एक अंग था और उस विभाग द्वारा अभी तक हजारों मील लम्बे नाले खोदे गये और इस टकराव के कारण ही माननीय मंत्री जी ने अपनी यह जिम्मेदारी उस विभाग को दे दी जिसके कारण अब ५ परसेंट काम भी नहीं हो रहा है तो क्या सिंचाई मंत्री जी इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे कि यह काम फिर अपने विभाग द्वारा कराया जाय ?

श्री राममूर्ति—दौरान बरसात के पानी का टकराव तो हो सकता है, लेकिन सिंचाई विभाग और डेवलपमेंट विभाग में कोई टकराव नहीं है। वहां तो यह खयाल किया गया कि इन छोटी स्कीमों को स्थानीय लोगों के जरिये से ही संपन्न किया जाय और उसका जो कुछ फायदा हो वह भी उन्हीं लोगों के काम में आये। इर्रीगेशन विभाग ने अपनी उस जिम्मेदारी को उनके कंधों पर नहीं डाला, बल्कि यह सुझाव डेवलपमेंट विभाग द्वारा ही आया था और एक कांफ्रेंस हुई थी और उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि छोटे काम को पब्लिक के द्वारा ही कराया जाय तो अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की सूचना माननीय मंत्री जी को है कि जब से यह काम डेवलपमेंट विभाग को दिया गया है तब से, जैसा कि ऊदल जी ने कहा, ५ परसेंट भी काम नहीं हुआ है और इस प्रकार की सूचना हमको भी है । तो कोई उपाय सरकार इस स्तर पर सोचेगी कि यह काम सिंचाई विभाग ही करे ताकि जो पहले प्रगति थी और जिस तरह से वह काम हो सकता है उस हिसाब से यह काम जल्दी से जल्दी हो ?

श्री राममूर्ति—जैसा मैंने अर्ज किया यह सुझाव डेवलपमेंट विभाग का था, लेकिन अगर सभी माननीय सदस्यों की ऐसी राय है तो मैं डेवलपमेंट विभाग की नोटिस में इसको ले आ सकता हूं ताकि आपस में बैठकर हम इस पर सलाह कर लें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि मैन-पावर यूटिलाइजेशन के अन्तर्गत कुछ रुपया सेंक्शन हुआ है और इसके साथ-साथ यह भी बतलाया कि डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां से ५ मील से कम के नालों के लिये स्कीम बनायी गयी है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके आर्डर्स कब भेजे गये हैं क्योंकि जब मैंने अपने यहां पूछा तो इसका न ब्लाक में कोई जिक्र है और न ए० डी० एम० प्लानिंग ने ही इसके लिये कोई आर्डर्स बतलाये ; तो यह आर्डर्स कब गये हैं ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है, इसे एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन मैं एक बात फिर माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस मसले को यूं सोचें कि आखिर जितना रुपया होता है उसे चाहे बड़े नालों में लगाया जाय अथवा छोटों में, उसे खर्च करने में अच्छा यह होगा कि जो लम्बी ड्रेन्स हैं उनको विभाग बना दे और जो छोटे-मोटे नाले हैं उनको अपनी जरूरत के मुताबिक स्थानीय जनता डेवलपमेंट विभाग की मदद से, कोआपरेशन से खुद बनावे, तो उसमें सभी को सहूलियत होगी ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय सिंचाई मंत्री ने बतलाया कि सरकार की यह नीति है कि ५ मील तक के ड्रेंस श्रमदान द्वारा बनाये जायं । इसमें दिक्कत यह हो सकती है कि कोई ५ मील की ड्रेन तो १,००० रुपये की हो सकती है और कोई १०,००० की हो सकती है । तो इस पालिसी को तय करने में काम के घनत्व का कोई लिहाज नहीं रखा गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि काम की लागत का कुछ पैमाना बना कर यह निश्चित करने की कोशिश की जाय ताकि श्रमदान द्वारा काम को कार्यान्वित करने में दिक्कत न हो ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि रुपये की उतनी अहमियत नहीं है, इसलिये कि रुपया तो सभी ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियों के पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिये से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है । प्रश्न यह है कि वह काम कैसे कराया जाय । रूरल मैन-पावर स्कीम में अगर स्थानीय जनता इस काम को करे तो सहूलियत ज्यादा होगी और चूंकि एक गांव से ज्यादा की भी स्कीम हो सकती है इसलिये जो डी० पी० ओ० हो, ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स हों उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह जमीन का रिक्वीजीशन करें ? इस लिहाज से यह स्कीम लागू की गयी है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की सूचना है कि इस स्कीम के अन्तर्गत जो योजना आपने बताई है और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने भी कहा है कि ५ प्रतिशत काम नहीं हुआ है, क्या उन दिक्कतों पर आप पुनः विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार के प्रश्न का जवाब दिया जा चुका है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—इस बात को देखते हुए कि इस तरह के श्रमदान के कार्य ५ प्रतिशत भी नहीं हुए और जैसा कि बताया गया और मंत्री महोदय स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि वह इस विषय पर डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां कुछ इसकी चर्चा उठायेंगे और इस पर बात करेंगे । तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि यह जो जल निकासी की योजना है, इसको विशेषकर अपने विभाग के द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जहां तक नाले का संबंध है, कोई आश्वासन की बात नहीं होती, जब तक यह पालिसी का मामला तय न हो जाय, तब तक हम इसे कैसे ले सकते हैं ? फिर भी जब माननीय सदस्यों की राय है तो मैं इसको डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट की नोटिस में लाऊंगा कि इस पर विचार किया जा सके ?

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन नालों के मामले में यह निश्चित है कि पिछले दिनों जिस श्रमदान के जिम्मे यह डेवलपमेंट का काम किया गया, तब से नहीं हो पा रहा है, और हो भी रहा है तो नाममात्र के लिये हो रहा है । तो ऐसी हालत में क्या इस पर विचार किया जायगा कि जिस तारीके से यह काम सुचारुरूप से चल सके, वैसे ही किया जाय । क्या इस बात का प्रबंध किया जायगा कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग में जो टसेल है, उसे देखते हुए इस काम को सिंचाई विभाग के जिम्मे कर दिया जाय ताकि वह काम जल्दी से जल्दी होने लगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अब आपने ध्यान आकर्षित किया है मेरा इसलिये सिंचाई मंत्री और विकास सचिव दोनों को बैठाकर मैं इस विषय पर कुछ निर्णय लेने की चेष्टा करूंगा ।

***११-१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—[हटा दिये गये ।]

सारदा सागर में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

***१३—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सारदा सागर खटीमा, जिला नैनीताल में जिन थारू किसानों की भूमि आई थी उसके बदले की भूमि तथा मुआवजा उनको दिया गया है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

***१४—श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार ने इन थारू किसानों को उनकी कुल भूमि के बदले में ग्राम सन्तनाव, ऊंची महुअट और ग्राम प्रतापपुर जोगी ठेट खठेपा, जिला नैनीताल में कितनी भूमि दी है और कितनी-कितनी भूमि अभी देना बाकी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

***१५—श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार ने उक्त थारू किसानों को उनके घरों, कुएं, बागात आदि का कोई मुआवजा भी दिया है ? अगर हां, तो कितना दिया जाना अभी बाकी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना किस दफ्तर से आनी है और कब तक आ जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, १५ दिन का समय है, शीघ्र ही आ जायगी और संबंधित अधिकारी को लिखा जा चुका है ।

राप्ती, घाघरा आदि की बाढ़ रोकने के लिये योजना

*१६—श्री कल्पनाथ सिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राप्ती और घाघरा तथा इनकी सहायक नदियों की बाढ़ रोकने के लिये सरकार के समक्ष कौन-कौन-सी योजना विचाराधीन हैं और कौन-कौन सी योजना स्वीकृत हो चुकी है ?

*१७—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त योजना पर कुल कितना रुपया व्यय होगा और कुल कितना समय लगेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री कल्पनार्थासिंह—श्रीमन्, यदि आप प्रश्न देखें तो वह कुछ ज्यादा अहमियत का है। इसलिये मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह कोई आसान प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि घाघरा और राप्ती और उनकी सहायक दरिया, उन सबकी बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये काफी इंतजाम करने का सवाल है । मैंने इस हाउस में पहले भी जिक्र किया था कि राप्ती के बारे में पहले सर्वे हुआ था और नेपाल में एक रिजरवायर बनाने की बात भी थी। उसमें करीब २० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान था। लेकिन बाद में जब सर्वे हुआ तो वह स्कीम करीब ७० करोड़ की हो गई और वह सारा एरिया नेपाल के अन्दर है तथा उसके वहाँ पर १५–२० गाँव भी पड़ते हैं । आजकल जैसी स्थिति है, उसको देखते हुए यह नामुमकिन है कि वहाँ पर कोई ऐसी योजना कार्यान्वित की जाय, इसका सवाल ही नहीं उठता है ।

जहाँ तक इस घाघरा का ताल्लुक है यह भी बहुत बड़ी दरिया है जैसी कि गंडक आदि हैं, करीब-करीब उसी साइज की है यह दरिया । अब इसके बारे में हम सर्वे करा रहे हैं कि क्या स्कीमें ले सकते हैं जिनको कार्यान्वित करने से लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों । लेकिन जैसी कि पिछले दिनों कुछ माननीय सदस्यों से बात-चीत हुई किसी विशेष स्थान की स्कीम के बारे में सोचा जा सकता है फिलहाल, लेकिन बृहत् योजना में खासा वक्त लग जायगा और एक इतना बड़ा दरिया जिसमें छोटा काम करने में ४०–५० लाख रुपये लग जाते हैं तो मैं कह नहीं सकता कि क्या रूपरेखा होगी । इसलिये चूंकि कोई चीज सामने नहीं थी, तो यह कहा ही जायगा कि सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

श्री कल्पनार्थासिंह—मैंने माना कि घाघरा और राप्ती और दूसरी नदियों की बाढ़ रोकने के प्रयत्न या रूपरेखा खर्चीली होगी, और किसी अमुक स्थान की बात तो ठीक है, लेकिन विस्तृत रूप-रेखा क्या है, कितने दिन की और कितने रुपये की होगी, वह मैं चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि जब तक सर्वेक्षण न हो जाय तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—सर्वेक्षण के सिलसिले में भी अगर माननीय सदस्यों की या दूसरे लोगों की कोई बैठक बुला ली जाय तो शायद उसमें सहूलियत हो ।

श्री राममूर्ति—इस संबंध में पिछले दिनों एक मीटिंग गोरखपुर में हुई थी जिसमें केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री माननीय हाफिज साहब तशरीफ लाये और अपने प्रदेश के एम० एल० ए० और एम० पी० भी गये । विस्तृत योजना के संबंध में जो निर्धारित हुआ वह जवाब आ जायगा और अगली दफा रख दिया जायगा, लेकिन कोई और कांफ्रेंस बुलाई जाय इसमें कोई लाभ मुझे नहीं मालूम होता । कोई सुझाव हो तो लिखकर भेज दें, मैं ऐसे सुझावों की जांच करवाता रहता हूं और उसी के अनुसार डिसीशन लिये जाते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री को सूचना है कि राप्ती और घाघरा के बारे में पंत जी की सरकार के पहले ही जाँच करायी जा चुकी है और उसकी एक स्कीम सरकार की रद्दी की टोकरी में फेंकी हुई पड़ी होगी जिस पर लाखों रुपया खर्चा किया गया ? अब उसमें वह क्या कमी महसूस करते हैं जिसमें अब भी सर्वेक्षण कराने की जरूरत है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, पिछले ११ साल से मैं इस विभाग के संपर्क में हूं। ऐसी कोई वृहत योजना नहीं बनी है जिसको इंटीग्रेटेड पिक्चर कह सकें। राप्ती के बारे में कह दिया और घाघरा के बारे में सर्वे हो रहा है, माइटी दरिया है, सर्वे आसान काम नहीं है, वह हो रहा है।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—गोंडा-बहराइच जिले में जो खाते बन रहे थे इसी बाढ़ को रोकने के लिये वह क्यों रोक दिये गये, जो कि १०-१२ बने थे ?

श्री राममूर्ति—जी, बनाये जा रहे थे और पिछले दिनों कुछ रिजरवायर्स को रोक देने का खयाल इसलिये पैदा हुआ कि उनका जो रिटर्न था वह बहुत कम था, किन्तु जब गवर्नमेंट आफ इंडिया की नीति तथा और राज्यों में भी यह देखा कि कम रिटर्न के रिजरवायर भी बनाये जा रहे हैं कहीं-कहीं, तो हमने उनमें से फिर कुछ लेने की कोशिश की है और उनको देखा जा रहा है।

सेंट्रल वर्कशाप कर्मचारी संघ, कानपुर की मांगें

*१८—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल वर्कशाप कर्मचारी संघ, कानपुर की माँगें उसे प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो मुख्य माँगें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—जी हाँ। उनकी मुख्य मांगों का छपा हुआ †स्मृति-पत्र १९६२, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

*१९—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन पर पूर्ण विचार कर चुकी है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी सरकार के विचाराधीन है।

रोडवेज कर्मचारियों की सुविधाएं

*२०—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में स्टेशन इंचार्ज की पोस्ट को वह गजटेड पोस्ट बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्या वे सभी सुविधाएं जो नान-गजटेड को इस विभाग में स्टेशन इंचार्ज से नीचे के कर्मचारियों को मिलती हैं वे दी जाती हैं ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—जी हां। स्टेशन इंचार्ज को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हैं जो कि दूसरे विभाग के पेन्शनेबिल नान-गजटेड कर्मचारियों के लिये नियत हैं।

*२१—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में सन् ५५ में जो मैरिट के हिसाब से प्रमोशन हुआ था सन् ५६ में उसे छोड़कर सीनियारिटी से प्रमोशन होने लगा ? यदि हाँ, तो क्या मैरिट के हिसाब से जिनको प्रमोशन दिया गया था वे ५६ में सीनियारिटी वालों के आ जाने से जूनियर माने जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री गनेशीलाल—जी हां । १९५५ में मैरिट के आधार पर पदोन्नत कर्मचारियों को १९५६ में सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नत केवल ऐसे कर्मचारियों से जूनियर माना गया है जो तीवे के पद पर सीनियर थे और जिनकी चरित्र-पुस्तिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी क्योंकि ऐसा न्यायसंगत समझा गया ।

*२२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो सुविधायें इस विभाग के कर्मचारियों को हालो-डे, मेडिकल-लीव, वार्षिक छुट्टी आदि की दी जाती थीं और जिसे बहुत ही कम कर दिया गया है उन सब पर विचार हेतु सरकार कोई कमेटी बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के जो नान-गजेटेड पेन्शनेबिल कर्मचारियों को सुविधायें प्राप्त हैं वही इन स्टेशन इंचार्ज को न देकर जो यह कहा जा रहा है कि उनको दूसरे सरकारी विभागों के नान-गजेटेड कर्मचारियों की सुविधायें दी जा रही हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, स्टेशन इंचार्ज के पद पेन्शनेबिल हैं और उनको वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो नान-गजेटेड कर्मचारियों को दूसरे विभागों में हैं । इस विभाग के जो और नान-गजेटेड कर्मचारी हैं उन पर तो नयी शर्तें लागू होती हैं और उनके पद नान-पेन्शनेबिल हैं । इसलिये वे सुविधायें इनको नहीं दी जातीं ।

श्री ऊदल—सन् १९५५ में मेरिट के आधार पर जिनकी पदोन्नति हुई उनको सन् १९५६ में जिनको सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति हुई उनके मुकाबले में जूनियर कर दिया गया । तो क्या सरकार उन लोगों को जिनको सन् ५५ के आधार पर पदोन्नति देकर सीनियर बनाया गया था उनको फिर से सीनियर बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल—सन् १९५५ में जो प्रोमोशन हुये थे वे मेरिट के आधार पर हुये थे । इसके बाद कुछ लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन दिया और फिर सन् १९५६ में जो प्रोमोशन हुये वे सीनियारिटी और मेरिट दोनों के आधार पर हुये और इनके मुकाबले में उन लोगों को लोअर कर दिया गया जो लोग इसके पहले सीनियर थे ।

श्री ऊदल—यह जब से नयी शर्तें लागू हुई हैं इस विभाग में और जब से यह टैक्स लगा दिया गया है, विभाग के कर्मचारियों को बहुत-सी दिक्कतें बढ़ गयी हैं जैसे उनके आने-जाने की, तथा छुट्टी आदि की । मैं यह चाहता था कि उस पर विचार के लिये माननीय मंत्री जी एक कमेटी नियुक्त करें और अगर ऐसा संभव नहीं है तो रेलवे कर्मचारियों को जो कामर्शियल बेसिस पर सुविधायें दी जाती हैं, क्या वे सभी सुविधायें उनको देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, उनके आने-जाने की सुविधाओं के प्रश्न पर एक विचार हो चुका है और वह खारिज भी हो चुका है ।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में ए० टी० आई० स्टेशन-इन-चार्ज और ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के क्या ग्रेड हैं और उनमें अन्तर का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छुट्टियां देने में प्रारम्भ में और अब में अन्तर क्या पड़ गया है ?

श्री गनेशीलाल—पहले १४ दिन की कैजुअल लीव १ साल में दी जाती थी । अब वह ६ दिन की हो गई । अर्न्ड लीव पहले ११ दिन पर १ दिन की दी जाती थी और अब २० दिन पर दी जाती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुए कि देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन बढ़ाना है और कार्य-क्षमता भी बढ़ानी है और मजदूर ज्यादा मेहनत से काम करे जिसके लिये उसे आराम की भी आवश्यकता है, तो क्या माननीय मंत्रीजी पुनः विचार करेंगे कि जो पहले मेडिकल या अर्न्ड लीव मिला करती थीं वे फिर दी जायं ?

श्री मुजफ्फर हसन—गुजिश्ता साल में यह सवाल कई मर्तबा सवालात की और दूसरी शक्लों में आ चुका है और यह बताया गया कि थोड़ा फर्क है उन लोगों में जो बस वगैरह चलाने में काम करते हैं और जो आफिस में काम करते हैं । जो लेबर के तरीके से काम करते हैं उनके लिये दूसरी सुविधायें बढ़ाई गईं और कुछ बातें जो काम के सुचारु रूप से करने में बाधक थीं वे कम की गईं । दोनों की सुविधाएं अलग-अलग हैं ।

दिल्ली बस स्टेशन पर असुविधा

*२३—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को पता है कि सहारनपुर से शामली होते हुये दिल्ली जाने वाली रोडवेज के दिल्ली बस स्टेशन पर यात्रियों को बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है क्योंकि मुसाफिरों के खड़े होने, सामान रखने तक की जगह नहीं है ? यदि हाँ, तो सरकार यात्रियों की इस असुविधा को दूर करने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री गनेशीलाल—यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिये बस स्टेशन के लिये अन्य जगह की तलाश की जा रही है ।

मुजफ्फरनगर जिले के लिए नलकूप

*२४—**श्री विजयपालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मुजफ्फरनगर में कितने स्टेट ट्यूबवेल किन-किन स्थानों पर लगाये जाने वाले हैं तथा ट्यूबवेल का स्थान नियत करने का क्या नियम रक्खा गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रश्न का प्रथम भाग—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में मुजफ्फरनगर जिले में ५६ नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है । इनमें से ३८ नलकूपों के लिए स्थान का चुनाव हो गया है जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

नलकूपों के लिए स्थान नियत करते समय विचारणीय बातों में से निम्नलिखित खास हैं:—

(१) क्षेत्र में सिंचाई का कोई अन्य सस्ता साधन सम्भव न हो ।

(२) क्षेत्र नलकूप से सिंचाई योग्य हो ।

(३) क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से नलकूप सफल होने की आशा हो अर्थात् भू-स्तर नलकूप निर्माण के लिये उपयुक्त हो; तथा

(४) नलकूप चलाने के लिये बिजली मिलना सुलभ हो ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८५ पर)

श्री विजयपालसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में जहां पहले से पानी मौजूद है वहां नलकूप क्यों लगाये गये ?

श्री राममूर्ति—जहां मुनासिब समझा जाता है वहां नलकूप लगाया जाता है।

श्री विजयपालसिंह—क्या मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे कि जहां पहले से पानी था वहां नलकूप लगाये गये और जहां नहीं था, जमीन हमवार थी और दरख्वास्त भी थी, वहां नहीं लगाया गया ? मैं सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरा ही गांव बिराल है वहां ५०० रुपये रिश्वत लेकर नलकूप लगाया गया और उसके पास जमीन है वहां नहीं लगाया गया चूंकि वहां के लोगों ने रिश्वत नहीं दी।

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य उस जगह का नाम और थोड़ा-सा ब्यौरा लिख कर मेरे पास भिजवा दें तो मैं उस की खास तौर पर जांच करा लूंगा।

बाढ़ नियन्त्रण योजना

*२५—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "तीसरी पंच वर्षीय योजना" पुस्तिका के पृष्ठ १० प्रस्तर २७ में जब यह माना गया है कि राज्य के पूर्वी जिलों के क्षेत्र में आये दिन बाढ़ और सूखे के प्रकोप से कृषि आय में भारी उलट फेर होता रहता है, तो १० करोड़ की निर्धारित धनराशि के व्यय की बाढ़ नियंत्रण योजना (जैसा कि पृष्ठ २७ की पाद—टिप्पणी में स्वीकार किया गया है) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित क्यों नहीं की गई ?

श्री राममूर्ति—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक बाढ़ नियंत्रण कार्य Centrally Sponsored Schemes के अन्तर्गत थे और योजना के Centr l Sector में सम्मिलित थे न कि State Sector में। प्रश्न में उल्लिखित पाद टिप्पणी में जो कहा गया है वह यही कि बाढ़ नियंत्रण के लिए १० करोड़ रुपये की धनराशि State Pl n के बाहर थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि १० करोड़ की बाढ़ नियंत्रण योजना द्वितीय योजना में सम्मिलित ही नहीं थी जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह Central Sector में सम्मिलित थीं।

*२६—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह धनराशि उस २२.८६ करोड़ रुपये में सम्मिलित है जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खर्च नहीं की जा सकी ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*२७—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह १० करोड़ रुपये तीसरी पंच-वर्षीय योजना काल में बाढ़ नियंत्रण में खर्च होंगे ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

बहेरा नाले से जल निकासी

*२८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत बहेरानाला के किनारे के सैकड़ों गांवों को नाला में बरसाती पानी इकट्ठा हो जाने से क्षति हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—बहेरा नालों में पानी इकट्ठा हो जाने से केवल २७ गांव प्रभावित हुए हैं।

*२९—श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालों के बरसाती पानी के निकालने पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—बहेरा नालों पर रेगुलेटर स्थित है ताकि घाघरा नदी के बाढ़ का पानी नाले द्वारा अन्दर की ओर न फैल सके और बाढ़ के कम होते ही नाले में भरे हुए बरसाती पानी की निकासी नदी में हो सके। इस रेगुलेटर के फाटक घाघरा नदी का लेविल कम होने पर खुले रक्खे जाते हैं ताकि बहेरा नालों का बरसाती पानी निकल जावे।

श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि घाघरा में बाढ़ आ जाय और बहेरा नाला भी बरसात के पानी से भर जाय तब सरकार क्या करेगी ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये कोई योजना नहीं है। इसके बारे में जांच हो चुकी है और रेगुलेटर जो बनाया गया है वही एक रास्ता है जिससे घाघरा में उसका पानी डाला जा सके।

श्री जगन्नाथ चौधरी—बहेरा नाला करीब ७, ८ मील लम्बा है। उसके किनारे करीब २७ गांव पड़ते हैं। बरसात में इन गांव वालों को तकलीफ होती है। ऐसी हालत में क्या सरकार इस नाले के दोनों किनारों पर बांध बनवाने और नाले को खुदवाने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—बहुत बड़ा एरिया है। उसमें ३, ४ बहुत बड़े ताल भी हैं। इसलिये ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—मान्यवर, यह नाला ७, ८ मील लम्बा है, इसलिये श्रमदान से वहां काम नहीं हो सकता है। इसलिये क्या सरकार इसे अपने हाथ में लेकर उसके काम को कराने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—इस समय में ज्यादा नहीं कह सकता।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जांच करावेंगे कि गलत सर्वे होने से जो वहां रेग्युलेटर बना है उससे पानी का निकास ठीक समय से और पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है जिससे काफ़ी पानी रुक कर कृषि को हानि होती है ?

श्री राममूर्ति—डिपार्टमेंट का ऐसा विचार नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि....

श्री अध्यक्ष—आपने यह पूछा था कि रेग्युलेटर ठीक नहीं बना है इससे पानी इकट्ठा होता है और बहुत सी भूमि जलमग्न हो जाती है, तो उसके बारे में माननीय मंत्री जी का कहना है कि जैसा आपका विचार है वैसा विचार विभाग का नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय सिंचाई मंत्री जी का कहना है कि ५ मील से कम खुदाई वाले जो नाले हैं उन्हें प्लानिंग विभाग को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन यह नाला ५ मील से ज्यादा है, ७–८ मील का है, तो एक ओर तो ५ मील से कम के नालों का काम सिंचाई विभाग नहीं करना चाहता और दूसरी ओर यह ७–८ मील का भी जो यह नाला है और बहुत बड़ा एरिया इससे प्रभावित होता है तथा हजारों और लाखों एकड़ की फसल हर साल बरबाद होती है, उसके ऊपर काम न करने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। वहां तीन बड़े-बड़े तालाब हैं और वहां का लेविल ऐसा है जिसकी वजह से आगे और खुदवाना विभाग मुनासिब नहीं समझता।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस पानी के अभाव से काफी गांवों को क्षति पहुंच रही है, मेन पावरस्कीम के अन्तर्गत कोई तटबंध योजना के ऊपर विचार करेंगे ?

श्रीराममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्यों का इस पर बहुत इसरार है तो यदि वे इस सम्बन्ध में मुझे कोई चीज लिख कर देंगे तो उस सम्बन्ध में मैं जांच करा लूंगा।

सतावां विकास क्षेत्र के नलकूप

*३०--**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बतायेगी कि १९६१-६२ में सतावां विकास क्षेत्र में कितने नलकूप १९६१-६२ में किन-किन गांवों में लगाये गये और उनमें से कितने ठीक स्थिति में कार्य कर रहे हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--सतावां विकास क्षेत्र में कोई नलकूप नहीं बनाये जा रहे हैं।

श्री रतीपाल--क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि वहां कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की बड़ी आवश्यकता है और उसका बड़ा अभाव है, तथा क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत इस ब्लाक में कुएं खुदवाये जायं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--वहां नलकूप लगाने का कोई विचार नहीं है। वहां पर्याप्त नहरें हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाने का विचार है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि वहां के गांवों के किसानों ने संबंधित अधिकारियों से इस बात का निवेदन किया कि हम लोगों के लिये सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है जिसका असर हजारों एकड़ जमीन की उपज पर पड़ता है, क्या माननीय मन्त्री जी उनकी इस दरख्वास्त पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे और कोई ऐसी विशिष्ट योजना पर विचार करेंगे जो वहां के खेतों की सिंचाई करने के लिये पर्याप्त हो सके?

श्री राममूर्ति--जितना वहां का एरिया है तहसीलों और जिलों का उसके लिहाज से वहां की नहरें बनायी गयी थीं। ये उस अनुपात में हैं जैसे और दूसरे जिलों में हैं। फिर भी जहां तक नहरों के और विकास का सवाल है १० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये एक योजना है और ४० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये दूसरी योजना बनायी जा रही है। सरकार का हर समय यह खयाल रहता है कि कोई जमीन बगैर सिंचाई के न रह जाय, लेकिन सरकार की यह पालिसी है कि जिन स्थानों में वृहत् रूप में नहरों की योजना है वहां ट्यूबवेल्स न बनाये जायं।

स्वाधीनता संग्राम में आहत वीरों के परिवारों को सहायता

*३१--**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार देश की स्वाधीनता के लिये बलिदान करने वाले वीरों के पीड़ित परिवारों को सहायता देने के बाबत कुछ कर रही है? यदि हां, तो यह धन कितनी मात्रा में होगा?

श्री मुजफ्फर हसन--शासकीय परिपत्र सं० एम० २७३३/एक्स-६०७-१९४७, दिनांक २८ अक्तूबर, १९४७, में निहित आदेशों के अनुसार स्वाधीनता संग्राम में जिन व्यक्तियों ने जीवन दान दिया उनकी विधवाओं को आजीवन पेंशन तथा ऐसे व्यक्तियों के अवयस्क बच्चों को उनके वयस्क होने तक आवर्त्तक अनुदान राज्य सरकार द्वारा जहां वह मुनासिब समझे दी जाती है। सहायता की रकम प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा merits का विचार करके निश्चित की जाती है।

बुलन्दशहर-खुर्जा सड़क पर बस दुर्घटना

*३२--**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि २२-९-६२ को बुलन्दशहर से खुर्जा जाने वाली राजकीय बस के एक गड्ढे में गिर जाने के कारण कितनी जन तथा धन की हानि हुई?

श्री मुजफ्फर हसन---एक बालक की मृत्यु हुई तथा १५ रुपये बस की मरम्मत में व्यय हुए।

*३३-३४---**श्री नौरंगलाल** (जिला बरेली) तथा **श्री मुहम्मद हुसैन** (जिला बरेली)---[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

यंत्रित कृषि फार्म सैदपुर का आय-व्यय

*३५---**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यंत्रित कृषि फार्म, सैदपुर, जिला झांसी से पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सरकार को कितनी-कितनी आय हुई और इस फार्म पर कितना-कितना व्यय हुआ ? यदि यह फार्म घाटे पर चल रहा है तो क्या सरकार इसको भूमिहीन लोगों को देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शिवराजसिंह---आय तथा व्यय सम्बन्धी आंकड़े नत्थी सूची में दिये हैं। फार्म पर उन्नतिशील बीज पैदा करने तथा पशुओं की नस्ल सुधारने के विकासीय कार्य किये जा रहे हैं। अतः फार्म की भूमि को भूमिहीन लोगों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८६ पर)

श्री मतोलासिंह---जब इस काम में कोई उन्नति या बचत नहीं है, तो क्या कारण है कि १८ हजार से लेकर ३५ हजार रुपया सालाना घाटा पड़ने पर भी यह फार्म खुला हुआ है ?

श्री शिवराजसिंह---उत्तर में जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे एक बात स्पष्ट है कि यह नुकसान प्रति वर्ष घटता जा रहा है। नुकसान के कारण बहुत से हैं। एक वजह तो यह है कि यह फार्म झांसी जिले के बेकार भूखंड, जो कांस से भरपूर थे, वहां खोला गया है। दूसरी बात यह है कि आबपाशी के साधन न वहां पर थे और न आसानी से कम खर्च में मुहइया करने सम्भव थे। तीसरी बात यह है कि कांस को समाप्त करने के लिये स्वायल कंजर्वेशन विभाग ने मुख्तलिफ तरीके अपनाये हैं। इस फार्म पर जितना खर्च हुआ है उस पर प्रति वर्ष काफी मात्रा में इस फार्म के एकाउंट में सूद देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो मशीनरीज कांस के उत्पादन के लिये खरीदी गयी हैं, उनका भी काफी डेप्रिसिएशन देना पड़ता है। इसके अलावा दूध जो वहां पैदा होता है उसकी बिक्री के लिये पास में कोई बाजार नहीं है। तो इन चन्द कारणों की वजह से इस फार्म पर नुकसान हो रहा है। लेकिन मैंने शुरू में ही अर्ज किया कि यह नुकसान प्रति वर्ष घटता जा रहा है।

श्री मतोलासिंह---कौन-कौन से नये बीज वहां पैदा किये गये हैं ?

श्री शिवराजसिंह---इस फार्म में चना, ज्वार, गेहूं, ये सारी फसलें होती हैं। जो बीज कानपुर फीडर फार्म से आता है उन्हें मल्टीप्लीकेशन करना या उनकी मात्रा बढ़ाना, इस फार्म का मुख्य उद्देश्य है। इस फार्म में उसकी मात्रा बढ़ा कर, उसको झांसी डिवीजन में बांटते हैं।

श्री मतोलासिंह---जब इस फार्म पर नुकसान ही नुकसान है तो फिर उसे भूमिहीन गरीब किसानों में क्यों नहीं बांट दिया जाता जिससे घाटे के बजाय लाभ हो सके ?

श्री शिवराजसिंह---श्रीमन्, इस फार्म के बहुत से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यही है कि जो बेकार भूखंड हैं उनको कृषि योग्य बनाया जाय और ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। दूसरा उद्देश्य यह है कि उस इलाके के जो भूखंड कांस से भरपूर हैं वहां से कांस को कैसे दूर किया जाय, उन क्षेत्रों को कांस से कैसे निजात दिलायी जाय। इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है और दूसरे हिस्से में उनका प्रचार और प्रसार किया गया है कि झांसी डिवीजन

में जो क्षेत्र कांस से भरपूर हैं उनको इससे कैसे निजात दिलायी जाय। इसके अतिरिक्त अधिक खाद्यान्न उत्पादन में भी यह फार्म सहयोग दे रहा है। अच्छे किस्म के बीज का मल्टीप्लिकेशन करके उसे और जगह बांटा जाता है।

इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे किस्म की नस्लों के प्रसार का काम भी यहां किया जाता है। उन नस्ल के पशुओं को इस फार्म में रखा जाता है। तो ये बहुत से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति इस फार्म से हो रही है, इसलिये सरकार इस फार्म को बन्द करना मुनासिब नहीं समझती।

श्री हिम्मतसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फार्म से कितने सांड़ अपने प्रदेश के विभिन्न जगहों में भेजे गये हैं?

श्री शिवराजसिंह---यह फार्म सन् १९४९-५० में खुला और तब से हर वर्ष काफी संख्या में विभिन्न जगहों पर सांड़ भेजे गये हैं। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष वर्ष की जानकारी चाहते हैं तो उसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री गेंदासिंह---जब से यह फार्म चल रहा है तब से गवर्नमेन्ट ने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से या क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट विभाग से कभी जांच नहीं करायी है ताकि घाटा न दिखलायी पड़े? क्या सरकार कृषि विभाग के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से या क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट विभाग से इसकी जांच करायेगी ताकि जो घाटा दिखलायी पड़ता है वह घाटा न दिखलायी दे?

श्री शिवराजसिंह---श्रीमन्, केवल इस फार्म पर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य फार्मों के भी प्रतिवर्ष के नुकसान को देखते हुए सरकार ने एक मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स रिआर्गेनाइजेशन कमेटी अक्तूबर, सन् १९५८ में बिठाई थी जिसके अन्दर यह फार्म भी शामिल है। उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को दी है जो अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---माननीय मंत्री जी ने बताया कि अब प्रति वर्ष आय बढ़ रही है, लेकिन जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें सन् १९५६-५७ में २,२४,८८० रुपया, १९५७-५८ में १,४५,३०३, फिर अगले साल २,००,३४९, फिर २,१३,३७० रुपया आय हुई। इस से जाहिर है कि सब से पहले साल जो आय हुई है उस साल के बाद लगातार ३ साल कम आय हुई है। तो पहले वर्ष की आय में और इन ३ वर्षों की आय में यह अन्तर क्यों हो गया?

श्री शिवराजसिंह---मैंने अभी उत्तर में निवेदन किया कि अब इस फार्म पर प्रति वर्ष घाटा कम हो रहा है।

*३६---**श्री गणेशचन्द्र काछी**---[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*३७---**श्री कन्हैयालाल** (जिला मथुरा)---[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*३८-३९---**श्री शांतिचन्द्र शुक्ल** (जिला गोंडा)---[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ८६-८७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*४०---**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला चमोली)---[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ८९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*४१-४३---**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*४४---**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)---[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

रोडवेज के ड्राइवरों तथा कण्डक्टरों के लिए हेडक्वार्टर से बाहर ठहरने की व्यवस्था

*४५—**श्री भगवानदीन** (जिला रायबरेली)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब रोडवेज के कर्मचारी, ड्राइवर तथा कन्डक्टर बस ले कर हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं तो उनके ठहरने तथा भोजन की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से रहती है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गनेशीलाल—धनाभाव के कारण ऐसी व्यवस्था अभी सब जगह नहीं हो पायी है। ज्यों-ज्यों धन उपलब्ध होगा अन्य आवश्यक जगहों पर भी कर दी जावेगी।

श्री भगवानदीन—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि दूकानों की जगह अगर इन कर्मचारियों के लिये शेल्टर बनवा दिये ज यं तो इसमें क्या दिक्कत है?

श्री गनेशीलाल—धनाभाव के कारण अभी यह कार्य सब जगह नहीं कर सके हैं, ज्यों-ज्यों धन उपलब्ध होगा सब जगह किया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक शान्ति कायम करने के लिये ताकि सरकारी धन्धे ठीक से चलें, क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि इन कर्मचारियों की सुखसुविधा के लिये और उनके ठहरने के लिये कोई इंतजाम हो ताकि उनको कष्ट न हो और वह अपने में कार्यक्षमता बढ़ा सकें?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि धनाभाव के कारण नहीं बना पा रहे हैं, जब धन हो जायगा तब करेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन—जवाब यह दिया गया है कि सब जगह धनाभाव के कारण नहीं बना सके हैं और काफी लम्बी फहरिस्त है। जहां इंतजाम हो गया है, आप चाहें तो सुना दी जाय।

*४६-४७—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी** (जिला चमोली)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में नलकूपों से सिंचाई

*४८—**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में किन-किन तहसीलों में ट्यूबवेलों से सिंचाई की व्यवस्था है और उनमें कितने-कितने ट्यूबवेल लगे हैं? इन ट्यूबवेलों में कितने-कितने ट्यूबवेल काम कर रहे हैं और कितने काम नहीं दे रहे हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रश्न का प्रथम भाग—जिला फतेहपुर की किसी भी तहसील में नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*४९—**श्री दीपनारायणसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री उक्त ट्यूबवेलों में खर्च किये गये धन का भी ब्यौरा देने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रथम पंचवर्षीय योजना में फतेहपुर जिले में नलकूप बनाने का प्रयास किया गया था और पाँच नलकूपों की खुदाई की गई। परन्तु उपयुक्त Strata न मिलने के कारण यह नलकूप असफल रहे। इन पर कुल ५१,७३२ रुपये ६२ नये पैसे व्यय हुआ।

श्री दीपनारायणसिंह---क्या सरकार बतलायेगी कि किन अधिकारियों की सिफारिश से किन-किन गाँवों में ये नलकूप खोदे गये जिन पर सरकार को ५८ हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने के लिये योजना में जब नलकूप लिये गये उस समय उनको खोदने का इन्तजाम किया गया। दो मलवां में, १ रामपुर में, १ हूलापुर में और १ सादीपुर में।

श्री दीपनारायण सिंह---ये वे स्थान हैं जहां से नहर नजदीक है, लेकिन जमुना के किनारे जहाँ बहुत दूर तक नहरों का प्रबन्ध नहीं है वहाँ ये नलकूप नहीं खोदे गये जब कि रामगंगा योजना के अन्तर्गत जहाँ पर नहर भी है वहाँ पर नलकूप खोदे गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---वहाँ पर जिले के एक छोर से दूसरी छोर तक प्रयत्न किया गया, लेकिन पानी का स्ट्रेटा नहीं मिला। लिहाजा गवर्नमेंट ने रामगंगा स्कीम के अन्तर्गत जो स्कीम बनाई उसके अन्दर एक बड़ी सिंचाई नहरों के अन्दर आ जायगी ।

श्री दीपनारायणसिंह---किनकी रिपोर्ट पर यह ५ नलकूपों की योजना बनाई गयी थी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतलाया कि विभाग ने सर्वेक्षण किया था।

*५०-५१---**श्री मदनपालसिंह** (जिला हमीरपुर)---[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में मत्स्य पालन

*५२---**श्री चन्द्रबलीसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के किन-किन तालाबों एवं पोखरों में मछली पालने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री शिवराजसिंह---देवरिया जिले के २५ जलाशयों में मत्स्य पालन की व्यवस्था की गयी है जिनके नाम संलग्न तालिका में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८७ पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह---क्या सरकार बतलायेगी कि इन २५ जलाशयों में कब से मत्स्य पालन का काम शुरू हुआ है और उनमें अब तक कितनी मछलियाँ निकाली जा सकी हैं ?

श्री शिवराजसिंह---ये जलाशय सरकार के नहीं हैं। प्राइवेट पार्टीज या गांव समाजों के हैं। १९६१-६२ में १५ और इस वर्ष १० जलाशयों में, कुल मिला कर २५ जलाशयों में मत्स्य पालन की सुविधा दी जाती है और आशा है कि प्रति एकड़ साढ़े ७ मन मछली प्राप्त होगी। मछली के बढ़ने के लिये दो साल लगेंगे, ऐसा खयाल था, इसलिये अभी इवेलुएट करना सम्भव नहीं है कि मत्स्य का कितना उत्पादन इन जलाशयों से हुआ है ?

श्री चन्द्रबलीसिंह---प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में इन जलाशयों में माननीय मंत्री के वक्तव्य के मुताबिक मत्स्य का उत्पादन बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्या इसका उन्होंने प्राक्कलन किया ?

श्री शिवराजसिंह---सन् १९६१ से इन जलाशयों में मछली बढ़ाने के लिये सुविधायें प्रदान की गयी हैं और इस जिले के अन्दर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था। इससे पहले की सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। मछली का पालन वहाँ के मत्स्य पालक स्वयं अपनी ओर से करते होंगे।

*५३—श्री रतीपाल—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*५४-५५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न २१-२२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*५६-५७—श्री बेदराम (जिला एटा)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न २३-२४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*५८-५९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न २५-२६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*६०—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*६१-६३—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहाँपुर)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न २८-३० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*६४-६६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ३१-३३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*६७-६९—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहाँपुर)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ३४-३६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*७०—श्री रतीपाल—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ३७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*७१—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*७२-७४—श्री रामसुन्दर पांडेय—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ३९-४१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*७५-७७—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए ४२-४४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*७८-७९—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ४५-४६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*८०—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ४७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*८१—श्री चन्द्रबली सिंह—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*८२-८३—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*८४-८५—श्री सूबेदारसिंह—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

भोगांव तहसील में नलकूप

*८६—श्री सूबेदारसिंह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में ग्रांड ट्रंक रोड से उत्तर दिशा में कितने राजकीय नलकूपों का निर्माण हुआ है?

श्री राममूर्ति—उक्त स्थान पर किसी राजकीय नलकूप का निर्माण नहीं हुआ है।

बहराइच–लखनऊ बस सर्विस, प्राइवेट गाड़ियों के अस्थायी परमिट

*८७—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच) तथा श्री दलजीत सिंह (जिला मुरादाबाद)—यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका विचार बहराइच से लखनऊ तक रोडवेज चलाने का है? यदि हाँ, तो कब से यह योजना चालू होगी?

श्री गनेशीलाल—जी हाँ। निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

*८८—श्री जगदीशप्रसाद तथा श्री दलजीतसिंह—क्या यातायात मंत्री को यह पता है कि R. T. Os के द्वारा जो Private Buses को temporary permits का quota जिलाधीश को दिया जाता है उसमें बड़ा विलम्ब होता है जिसके कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हैं? क्या सरकार इस बारे में Emergency powers जिलाधीशों को देने पर विचार करेगी?

श्री गनेशीलाल—स्थिति ऐसी नहीं है। वास्तव में जिलाधीशों द्वारा विज्ञापित मार्गों या उनके भागों पर जो प्राइवेट गाड़ियों के अस्थायी परमिट दिये जाते हैं उनका कोटा परिवहन आयुक्त द्वारा नियत किया गया है।

इन अधिकारों को जनता की सुविधा का ध्यान रख कर प्रयोग करने के आदेश जिलाधीशों को जारी कर दिए गए हैं।

श्री जगदीशप्रसाद—१३ वर्ष से यह मामला चल रहा है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? इस सम्बन्ध में लाल बहादुर शास्त्री की चिट्ठी आपके सामने पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न कर लीजिये तो ठीक होगा।

श्री जगदीशप्रसाद—तेरह वर्ष से बहराइच से लखनऊ रोडवेज चलाने का प्रश्न सामने है और अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया, न तो यह ही बताया गया और न कोई निश्चित जवाब ही सरकार देती है कि कब तक यह चालू होगी। तो क्या सरकार कोई निश्चित जवाब देने की कृपा करेगी?

श्री गनेशीलाल—लखनऊ–बहराइच रोड के तीन हिस्से हैं, लखनऊ–बाराबंकी, बाराबंकी–जरवल रोड और जरवल-बहराइच रोड। इनमें से दो पर, यानी लखनऊ-बाराबंकी और जरवल-बहराइच रोड पर आलरेडी बस चल रही है। बाराबंकी-जरवल रोड पर कोशिश की जा रही है कि उसको भी ले लें, लेकिन इसमें समय तो लगेगा, कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री उग्रसेन—[६ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

खाला गंदेवड़ा की रिमार्डलिंग योजना

२—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३ से सम्बन्धित क्या सिंचाई मंत्री खाला गंदेवड़ा के रीमार्डलिंग की योजना को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति---खाला गंदेवड़ा के रिमाडलिंग के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभी योजना नहीं बनी है।

३---**श्री हिम्मतसिंह**---[हटा दिया गया।]

पिपरा घाट बस स्टेशन पर किराये के अतिरिक्त वसूली

४---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री गौरी शंकर राय ने अगस्त सन् १९६२ के अन्तिम सप्ताह में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पत्र लिख कर इस बात की शिकायत की है कि बलिया-वाराणसी मार्ग पर पिपराघाट पर रोडवेज विभाग के कर्मचारी प्रत्येक यात्री से नियत किराये के अतिरिक्त ३७ नया पैसा पिपराघाट का किराया भी वसूल कर लेते हैं?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हाँ।

५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नाव का किराया प्रत्येक व्यक्ति केवल ५ नया पैसा है? यदि हाँ, तो ३७ नया पैसा वसूल कर लेने का कारण क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन---फेरी टैक्स, जो रोडवेज की गाड़ियों को देना पड़ता है वह सामान्य रूप से यात्रियों से वसूल किया जाता है।

६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज विभाग और सम्बन्धित ठेकेदार से अदालत में किराये के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था।

संचालक, कृषि विभाग कार्यालय, लखनऊ के अस्थायी कर्मचारी

७---**श्री उमाशंकर** (आजमगढ़)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संचालक, कृषि विभाग के कार्यालय लखनऊ में कितने ट्रैक्टर आपरेटर, Tractor Cleaner, Amin तथा Mechanic कार्य कर रहे हैं और इनमें से कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---संचालक, कृषि विभाग के कार्यालय लखनऊ में नहीं परन्तु ट्रैक्टर आरगनाइजेशन में निम्नलिखित कर्मचारी काम कर रहे हैं :---

ट्रैक्टर आपरेटर	२९
ट्रैक्टर क्लीनर	१९
ट्रैक्टर अमीन	६
ट्रैक्टर मेकैनिक	८

वे अभी अस्थायी हैं।

८---**श्री उमाशंकर**---क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या E8/61/12·91(3)/55, दिनांक १७ अप्रैल, १९५६ के अनुसार उक्त विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में से कितनों को स्थायी करने का आदेश किस शर्त पर था और कितने स्थायी किये गये?

श्री चरणसिंह---इस राज्याज्ञा में कुछ पदों को स्थाई किया गया था। उसमें व्यक्तियों का जिक्र न था।

९—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा करके कनिष्ठ कर्मचारियों का स्थायीकरण हुआ है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—स्थायीकरण करने का अधिकार कृषि निदेशक को है। सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है।

१०—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

चोलापुर, चिरई गांव और हरहुआ विकास खण्डों में कृषि विकास

११—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६०-६१ में बाराणसी जिले के चोलापुर, चिरईगाँव और हरहुआ विकास खंडों में कृषि के विकास के लिये कितने उन्नतिशील बीज और रासायनिक खाद का वितरण हुआ और कितने कृषि के औजार बाँटे गये ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८८ पर)

१२—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—उपरोक्त विकास खंडों में खेती का कुल कितना रकबा १९६०-६१ के फसली सन् में बोया गया और अनाज की कुल कितनी पैदावार हुई ?

श्री चरणसिंह—१९६०-६१ के फसली वर्ष में चोलापुर, चिरईगांव और हरहुआ विकास खंड में बोये गये रकबे के आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(१) चोलापुर	२७,३२०
(२) चिरईगांव	३०,४९९
(३) हरहुआ	२८,३१३

विकास क्षेत्र स्तर पर पैदावार के आंकड़े नहीं रक्खे जाते हैं।

१३—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—उपरोक्त विकास खंडों में उन्नतिशील बीज, खाद तथा कृषि औजार के वितरण के तीसरी योजना के लक्ष्य क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५८९ पर)

कृषि विभाग का प्रतिवेदन

१४—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि कृषि विभाग के Workin की वार्षिक Administration Report पिछले ३ वर्षों की, १९६२ तक की, कब-तक सदन के समक्ष रखी जायगी ?

श्री चरणसिंह—वैभागिक प्रशासन प्रतिवेदनों को सदन के समक्ष रखने की प्रथा प्रचलित नहीं है।

१५—श्री विजयसिंह—ऐसी वार्षिक Report तैयार करने के लिये सरकार ने कितना समय लगाने का आदेश दिया है और यह ६ माह के अन्दर ही किन कारणों से तैयार नहीं हो पाती ?

श्री चरणसिंह—वार्षिक प्रतिवेदन का आलेख्य शासन को प्रति वर्ष १५ अक्तूबर तक प्रेषित हो जाना चाहिये। परन्तु Finance सम्बन्धी अध्याय तैयार न हो सकने के कारण प्रतिवेदन प्रकाशित करने में देर हो जाती है।

१६—श्री विजयसिंह—ऐसे काम के लिये कृषि संचालक के पास कितना Staff है और कितने-कितने दिन एक वर्ष में इस Report को तैयार करने में लगता है ?

श्री चरणसिंह—केवल वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये अलग से कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। कृषि निदेशक के कार्यालय के कुछ कर्मचारी इस कार्य को भी अन्य कार्यों के साथ-साथ करते हैं। अतः निश्चित दिनों के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

नहर देहरामांट ब्रांच पर रसूलपुर पुल

१७—श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नहर देहरामांट ब्राच पर तीसरे नील के निकट रसूलपुर ग्राम के निकट बने हुये नये पुल के दोनों किनारों पर सीढ़ियां व स्नान घाट नहीं बने हैं, क्या सरकार इन्हें बनाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, पुल के दोनों किनारों पर सीढ़ियां व स्नानघाट नहीं बनाये गये हैं। रसूलपुर के ग्राम-वासियों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई मांग भी नहीं की गई थी। अब इसका तखमीना बनाया जा रहा है और धन की उपलब्धि होने पर ही इस कार्य को आरम्भ किया जा सकेगा।

१८—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—क्या सरकार इस नये पुल के निकट पश्चिम में बहने वाला नाला कल्याणवली पर भी पुल बनाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति—प्यावली कट पर एक पुल बनाने की योजना विचाराधीन है।

१९–२० —श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न १–२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये]

२१–२५—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

२६–२७—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

स्टेट लाइवस्टाक-कम-एग्रीकल्चरल फार्मों में हानि

२८—श्रीमती राजेंद्र किशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इस समय कुल कितने Mechanized state farms हैं जिन्हें अब State live-stock-cum-agricultural farms कहा जाता है ?

श्री चरणसिंह—इस समय प्रदेश में कुल ११ फार्म हैं जिन्हें State Livestock-cum-Agricultural Farms कहा जाता है।

२९—श्रीमती राजेंद्रकिशोरी—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त फार्मों में पिछले पांच वर्षों में (१९६०–६१) तक १२·०६ लाख रुपयों की जो हानि हुई है उसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—उपरोक्त फार्मों में पिछले पांच वर्षों में (१९६०–६१) तक जो हानि हुई उसके कारण संलग्न विवरण-पत्र में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५९० पर।)

३०—श्रीमती राजेंद्रकिशोरी—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त हानि के लिये कौन उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चरणसिंह—कोई व्यक्ति विशेष हानि के लिये उत्तरदायी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

३१–३२—श्री विजयसिंह—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न १०४–१०५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये]

३३–३४—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

३५–३९—श्री जगन्नाथ चौधरी—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

४०–४१—श्री विजयसिंह—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये ता० प्रश्न १९–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

४२–४३—श्री विजयसिंह—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न २–४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

४४–४५—श्री चन्द्रबलीसिंह—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ५–६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

४६–४७—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ७–८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

४८–४९—श्री ऊदल—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ९–१० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

५०–५१—श्री भगवान सहाय—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ११–१२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

५२–५३—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न १३–१४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

५४–५६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न १५–१७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

५७–५९—डाक्टर राजेंद्र किशोरी वाजपेयी—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न सभा ५१–५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

६०–६१—श्री जगन्नाथ चौधरी—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न १८–१९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

६२–६४—श्री चन्द्रबली सिंह—[६ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ पर हुए विभाजन के फल में शोधन*

श्री अध्यक्ष—कल जो विभाजन की घोषणा यहां की गयी थी उसमें यह कहा गया था कि माननीय अनीसुर्रहमान ने दो जगह दस्तखत किये हैं। उसी के बाद माननीय अनीसुर्रहमान मेरे आफिस में आये और मुझे यह लिख कर दिया कि मैंने हस्ताक्षर केवल पक्ष की तरफ किये थे, विपक्ष की तरफ नहीं किये थे। परिणाम यह हुआ कि मैंने जो विभाजन की सूची थी उसे मंगवाया और जो हस्ताक्षर वे उपस्थिति पंजिका में करते हैं उसको मंगाया और उससे यह विदित हुआ कि जो हस्ताक्षर विपक्ष की तरफ किये गये हैं वह किसी माननीय सदस्य ने गलती से कर दिये हैं। तो उसी की मैं घोषणा करना चाहता हूं—

"जोतकर विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर कल जो विभाजन हुआ था उसकी सूचियों को चेक करने पर यह ज्ञात हुआ है कि कल जो विभाजन फल की घोषणा की गयी थी उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। कल पक्ष में २०१ की संख्या घोषित की गयी थी, किन्तु गणना की पुनः जाँच करने पर यह संख्या २०३ होनी चाहिये।

कल यह भी घोषित किया गया था कि श्री अनीसुर्रहमान के हस्ताक्षर पक्ष और विपक्ष दोनों सूचियों में किये गये हैं। श्री अनीसुर्रहमान मुझसे मिले और कहा कि उन्होंने पक्ष में ही हस्ताक्षर किये हैं। जाँच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि श्री अनीसुर्रहमान ने केवल पक्ष में ही हस्ताक्षर किये थे और विपक्ष की सूची में उनके नाम के सामने किसी दूसरे महानुभाव ने गलती से हस्ताक्षर किये मालूम होते हैं। इस प्रकार पक्ष की संख्या २०३ और विपक्ष की संख्या १०३ रहेगी।"

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि विभाजन जहाँ होता है वहाँ पर आपके अधिकारी नियुक्त रहते हैं और जब माननीय अनीसुर्रहमान का नाम सदन में घोषित कर दिया गया उस समय उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और बाद में आपको लिखकर दिया कि मेरे नाम से दो जगह दस्तखत कर दिये गये जब कि मैंने एक ही जगह दस्तखत किये। अब तो जो विभाजन हुआ उसकी सारी कार्यवाही ठीक से हुई या नहीं, उसकी एक्यूरेसी ही चैलेंज होती है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि सारी चीजों की आप फिर से जाँच करायें और जाँच कराने के बाद जब वह विभाजन सही पाया जाय तभी उसको सही माना जाय नहीं तो उसको अघोषित माना जाय और तब तक के लिये जोतकर विधेयक पर विवाद बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं बता दूं। इस सम्बन्ध में माननीय अनीसुर्रहमान से मैंने पूछा कि तत्काल वे क्यों नहीं खड़े हुये जब मैंने यह घोषणा की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हुआ था लेकिन घोषणा करने के तुरन्त बाद आपने आज के लिये सदन को स्थगित कर दिया। इसलिये वे उसी समय सदन में नहीं कह पाये और मेरे पीछे-पीछे मेरे कक्ष में पहुंच कर यह गलती बतलायी।

लघु उद्योग मन्त्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें अन्तर्निहित है।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हस्ताक्षर हुये उसके सम्बन्ध में आपने अभी अपने फैसले में कहा कि वह भूल से या गलती से किये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी दूसरे के नाम से दस्तखत करना गलती से नहीं हो सकते हैं बल्कि डेलीबरेटली हो सकते हैं। इसलिये जिसने दस्तखत किये हैं उसने मिसलीड किया है। इसलिये श्रीमन्, यह प्रश्न प्रिविलेज का बनता है। जिसने दस्तखत किये हैं उसको मालूम करके उसके खिलाफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया जाय।

---

*२२ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही में शोधन कर दिया गया।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, जैसे ही आपने ऐलान किया था मैं फौरन खड़ा हुआ था, लेकिन मीटिंग डिसपर्स हो गई और मैं आपके पीछे-पीछे गया और मैंने आपको बता दिया था कि मैंने एक ही जगह दस्तखत किये हैं।

श्री अध्यक्ष—वही तो मैंने बताया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि हम लोगों को एक पुस्तिका मिली है 'सदस्यों के लिये हस्त पुस्तिका'। इसमें जो विभाजन के नियम दिये हैं उसका जो अंतिम नियम है उसमें यह लिखा है कि यदि किसी सदस्य को यह जान पड़े कि उसने भूल से गलत सभा कक्ष में मत दिया है तो भूल सुधारने की अनुज्ञा दी जा सकती है यदि सूचना परिणाम घोषित किये जाने के पूर्व दे दें। इसलिये आपके परिणाम घोषित करने से पहले ही उनको कहना चाहिये था। यह मेरी लिखी हुई पुस्तक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपकी बहस उस समय संगत होती यदि माननीय अनीसुर्रहमान मान लेते कि मैंने गलती से दस्तखत किये हैं। वह कहते हैं कि मेरे दस्तखत ही नहीं हैं। आप सभी लोग देख लेंगे कि वे किस प्रकार से दस्तखत करते रहे हैं और विपक्ष की सूची में जो हस्ताक्षर मालूम होते हैं वह किसी सूरत में उनके नहीं हैं बल्कि किसी ने इस तरह से कर दिये हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई माननीय सदस्य, गलती से जाकर हस्ताक्षर कर दें और फिर अनुभव करें कि मैंने गलती की.....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसीदास जी के पास कई सज्जन खड़े हुये हैं। उनके पास परमीशन है या नहीं, यह देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—कौन हैं? (कुछ रुक कर) जिनको अधिकार नहीं है उनको नहीं आना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप किस प्रक्रिया के अनुसार यह कह रहे हैं कि यह गलती हुई या आपके कक्ष में जाकर उन्होंने कहा?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये। नियम ३१७ ऐसा है कि प्रत्येक नियम का निर्वचन मैं करूंगा और दूसरा यह है कि अगर किसी विशेष बात के लिये इस नियमावली में कोई उपबन्ध नहीं है तो जो मैं उचित समझूंगा वह व्यवस्था कर सकता हूं इसमें कोई शंका नहीं है कि अगर कोई प्रावीजन नहीं है तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी गलती हो जाय तो उसको ठीक कर दें यह हमारे और आप सभी के लिये शोभा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, इसमें शोभा अशोभा का प्रश्न नहीं है, वह तो दूसरी चीज है। यहां तो जो आपकी आज्ञा होगी उसका पालन करना ही है।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैंने जो क्लेरिफिकेशन चाहा था वह नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—क्या?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—वह यह कि जो डिवीजन पर मतदान हुआ, उसमें एक आदरणीय सदस्य ने ईमानदारी से, मान लिया जाय, कहा कि उन्होंने एक जगह पर दस्तखत किया है और दूसरी जगह पर उनके दस्तखत नहीं हैं। तब उसके बाद यह स्थिति पैदा हो गयी है कि वहां पर आपके स्टाफ के लोग थे और उनके सामने सारे दस्तखत हुये। अब इसके बाद इस तरह की जो बातें हुई हैं उनको देखते हुये मेरा कहना यह है कि सारा डिवीजन जो हुआ वह गलत हुआ है और इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें कि क्या कल का डिवीजन सही समझा जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मैं भी एक प्रश्न यह करना चाहता हूं कि एक बात तो अब साबित हो गयी है कि जो दस्तखत हुये थे कल, वह सारे के सारे गलत हो जाते हैं। इसकी क्या गारन्टी है कि वे लोग हाजिर थे। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो भी दस्तखत उनके हुये हैं उनके बारे में यह आइडेन्टीफाई करना कि उसी माननीय सदस्य के दस्तखत हैं जिसके नाम के सामने वह दस्तखत किये गये हैं, यह नहीं कहा जा सकता है। इस लिये मेरा नम्र निवेदन है कि यह घटना साबित करती है कि जो वोटिंग हुई वह गलत हुई और बिना पूरी जानकारी के कि वह वही सदस्य हैं जिन्होंने दस्तखत किये हैं या कोई दूसरे हैं यह निश्चित कैसे किया जा सकता है कि यह वोटिंग जो हुई वह सही हुई है। यह इस का सबूत है कि वोटिंग गलत हुई। मेरा निवेदन है कि पुनः इसपर वोटिंग कराने की आप कृपा करें।

कुंवर श्रीपाल सिंह—मुझे एक चीज यह निवेदन करनी है आपसे कि कल जितने लोगों के दस्तखत हुये हैं वह जो रोजाना दस्तखत होते हैं उन सबके दस्तखतों को मिला कर श्रीमन् ने देख लिये हैं। क्या इसी दस्तखत को देख लिया है या बकिया लोगों के भी देख लिये हैं कि इस एक के अलावा और दस्तखत भी सही हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं अपनी इस पर रूलिंग दे दूं। मुझे यह अधिकार है कि अगर कहीं कोई गलती हो और तहकीकात से मैं इस परिणाम पर पहुंचूं कि गलती है, तो उस गलती को दुरुस्त कर सकता हूं। माननीय नरसिंह नारायण जी ने और माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने जो प्रश्न इस समय उपस्थित किया है वह केवल इसी आधार पर स्वीकार किया जा सकता था कि यदि वोटिंग में केवल एक का अन्तर होता, दोनों पक्षों में तो यह प्रश्न बड़ा गम्भीर हो जाता।

दूसरी बात है कि मुझे सारे दस्तखत देखने थे जैसा कि श्रीपालसिंह जी ने कहा। ऐसी मेरे पास किसी की कोई शिकायत नहीं थी। मुझे यह देखना था कि जो एक दस्तखत दोनों ओर हुये हैं, जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में ही वोट दिया है, तो जो दस्तखत विपक्ष में किये गये हैं वह उस प्रकार के हैं या नहीं, जिस प्रकार के हस्ताक्षर माननीय अनीसुर्रहमान करते हैं। इसको देखने के बाद मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंचा कि किसी ने बेईमानी की या किसी ने किसी को इस विषय पर जानबूझ कर धोखा दिया और मैं यह विश्वास करता हूं कि इस सदन के सदस्य बेईमानी नहीं करते हैं। इसी विश्वास के आधार पर, मैंने यह रूलिंग दी है कि मालूम होता है कि किसी माननीय सदस्य ने गलती से लिख दिया है। लेकिन जानबूझकर किसी ने बेईमानी की है ऐसी मेरी धारणा नहीं है और जब मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि किसी ने गलती से लिख दिया है और जानबूझ कर ऐसा नहीं किया है तो मैंने सन्तोष कर लिया। इस विषय पर अब किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—अब वह प्रश्न समाप्त हो चुका है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो मैंने तिथियां स्वीकार की हैं वह इस प्रकार हैं—

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि २ नवम्बर, १९६२ को सायंकाल, पांच बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ३ नवम्बर, १९६२ को १२ बजे सचिव

विधान सभा के कमरे में और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ५ नवम्बर, १९६२ को सायंकाल ५ बजे तक। निर्वाचन, यदि आवश्यक होगा, तो उसके लिये स्थान और समय की सूचना बाद में दी जायगी।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह के निलम्बन का समाप्तिकरण

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन ने जो श्री रुद्रप्रतापसिंह जी का निलम्बन किया था, वह एक नये सदस्य हैं। अभी तक मेरे खयाल से किसी ने उनको खड़े होकर बोलते नहीं देखा। यह पहला अवसर उनका था। वह किसी विशेष पार्टी से सम्बन्धित नहीं हैं। निर्दलीय हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि चार पांच दिन निलम्बन हो गया, काफी सजा हो गयी है। आशा करता हूं कि वह प्रस्ताव को वापस करेंगे और प्रार्थना है उस प्रस्ताव को रद्द करके उनको आने की अनुमति दी जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मैं भी इसका समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, जब जनसंघ ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया है, इनके और सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य निष्कासित हैं, क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी कह चुके हैं कि राष्ट्रीय संकट है, तो मैं निवेदन करता हूं कि उनका भी निष्कासन वापस ले लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा हो कि माननीय राघवेंद्र प्रताप जी मिल लें। माननीय मुख्य मन्त्री से बातचीत हो जाय। इस तरह का प्रस्ताव आना अच्छा नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, श्री राघवेंद्र प्रतापसिंह जी मुझ से दो रोज पूर्व भी मिले थे और आज भी उन्होंने इस विषय में मुझसे बातें कीं। मैंने दो रोज पूर्व भी उनसे यह निवेदन किया था कि मुझे तो बहुत तकलीफ होती है जब मैं कोई प्रस्ताव किसी भी अपने साथी के निलम्बन के सम्बन्ध में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं यह निलम्बन के प्रस्ताव हमारी शोभा को बाहर नहीं बढ़ाते। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण एक जिम्मेदारी को करना पड़ता है और मुझे दुख है कि उस दिन हमारे उस नौजवान साथी ने, जो इस सदन में नये आये हैं, मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने के लिये अवसर दिया। राजा साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह चूंकि नये नवयुवक साथी हैं जिन्हें अभी सदन की परम्पराओं का पता नहीं है, इसलिये जो उन्होंने सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसको इस विश्वास और आशा के साथ मानते हुये जो राजा साहब ने मुझे दिया है अवश्य यह प्रस्ताव करूंगा कि जो निलम्बन का उस दिन प्रस्ताव हुआ था श्री रुद्रप्रतापसिंह के प्रति, वह अब खत्म किया जाय और वे इस सदन में आ सकें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कुंवर रुद्रप्रताप सिंह जो सदन की सेवाओं से निलम्बित किये गये थे उनका निलम्बन आज से समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री श्यामलाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---श्यामलाल जी, आप बैठ जाइये। रिजल्ट डिक्लेयर कर लेने दीजिये। कुंवर रुद्र प्रतापसिंह का निलम्बन आज से समाप्त हुआ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है, बड़ा महत्वपूर्ण।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—एक प्रस्ताव मेरा कल से पड़ा हुआ है, जिसके लिये आपने कहा था कि मुख्य मन्त्री से बात करके आप रखेंगे, तो इसके लिये इससे उपयुक्त समय कब होगा जब आप रखेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय कल्पनाथ सिंह जी, आप बैठ जायं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—मैं यह कहना चाहता था कि अभी पिछले दिनों आपको सूचना दी गयी थी कि जनसंघ के बन्दियों के साथ जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि २० तारीख को मैं माडेल जेल पर श्री वृजराज सिंह, एम० पी० और अन्य माननीय सदस्यों.....

श्री अध्यक्ष—आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री हरीशकुमार गंगवार—मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी २० तारीख को मैं उन राजनीतिक बन्दियों के पास मिलने के लिये गया.....

श्री अध्यक्ष—वह एक नियम ५२ की सूचना आई है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है....

श्री हरीशकुमार गंगवार—मैं अपनी बात एक मिनट में निवेदन कर दूंगा। अधिक समय नहीं लूंगा। वहां जब मैं पहुंचा तो जेलर साहब ने कहा आप अप्लीकेशन दीजिये। मैंने अप्लीकेशन दी तो कहा कि "आप उनके रिश्तेदार हैं या नहीं? लिखकर दीजिये"। मैंने लिखकर दिया मैं रिश्तेदार नहीं हूं तो बोले कि "मैजिस्ट्रेट की परमीशन लाइये"। मैंने कहा कि "मैं रिश्तेदार होता तो"? तो उन्होंने कहा कि तब "मैं ही परमीशन दे देता।" लेकिन वहां पर अजित प्रसाद सिंह जी के दो पुत्र मौजूद थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। आछू बाबू की धर्मपत्नी दो दिन से उनसे मिलने के लिये वहां आयी थीं, उनको भी कल तक परमीशन नहीं दी गयी थी और कल वह लौट आयी थीं। तो इस तरह से उन राजनीतिक बन्दियों से मिलने में अड़चन डाली जा रही है जो उचित नहीं मालूम होता है। कहीं रिश्तेदार का बहाना बनाया जाता है.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। एक बात सुन लीजिये। मैं नियम २७२ पढ़कर सुनाता हूं—(क) यदि पूर्वगामी नियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तावक संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा सदन से प्राप्त कर ले, तो संकल्प किसी नियत दिन पर लिये जाने के लिये कार्य-सूची में सम्मिलित कर लिया जायगा।

(ख) ऐसा संकल्प प्रश्न के घंटे के बाद और अन्य कोई कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लिया जायगा।

अतः और कोई कार्य नहीं होगा। माननीय नरेंद्रसिंह विष्ट, आप आइये।

(शोर)

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माधो बाबू का दफा ५२ जो स्वीकार किया है वह किस दिन के लिये स्वीकार किया है?

श्री अध्यक्ष—यह बता दिया जायगा आपको।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मुझे निलम्बन के सम्बन्ध में एक निवेदन करना है....

(व्यवधान)

(इस समय ११ बजकर ५५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—अब माननीय नेकराम शर्मा अपने संकल्प के विषय में १५ मिनट तक भाषण दे सकेंगे।

विद्युत उप-मन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—कितना समय लगेगा, इसे आप निर्धारित कर दें। नियम में इसके लिये कोई व्यवस्था है या नहीं, इसकी जानकारी भी करा ।

श्री अधिष्ठाता—इसके लिये रूल्स में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन ही इस बात को डिसाइड करे। माननीय नेता विरोधी दल की इस सम्बन्ध में क्या राय है?

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं समझता हूं कि यह विषय जो माननीय सदस्य लाये हैं उनकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और चूंकि इस विषय में रूल्स साइलेंट हैं इसलिये अधिष्ठाता महोदय को पर्याप्त समय देना चाहिये और मैं समझता हूं कि इसके लिये एक दिन का समय रखा जाय तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—तो इसके लिये मैं आज का पूरा दिन रखता हूं। पहली स्पीच १५ मिनट की होगी और फिर १०, १० मिनट की स्पीचेज होंगी। नेकराम जी अब अपना भाषण शुरू करेंगे।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—समय कितना रहा इसके लिये?

श्री अधिष्ठाता—आज का दिन भर नेता विरोधी दल ने कहा है, वह मन्जूर हो गया।

(व्यवधान)

कोई दूसरी सूचना का इसमें सवाल नहीं है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय को हटाने के लिये जो प्रस्ताव है उसी पर चर्चा होगी क्या? उपाध्यक्ष महोदय को हटाने के लिये चर्चा नहीं होगी? क्योंकि दोनों को हटाने के लिये प्रस्ताव आये हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप से कहा किसने कि दोनों के बारे में चर्चा हो?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन अपने अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा को उनके पद से हटाने का निश्चय करता है"।

श्रीमन्, बड़े दुख के साथ आज इस सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भार मेरे ऊपर पड़ा है। श्रीमन्, मैं नहीं चाहता था कि यह प्रस्ताव इस सदन में आये और श्रीमन्, आपको स्मरण भी होगा कि हमारे विरोधी दल के राजा साहब राघवेंद्रप्रताप सिंह जी और माननीय झारखंडेराय जी ने इस बात का प्रयत्न किया था कि यह प्रस्ताव इस सदन में न लाया जाय तो अच्छा है। लेकिन श्रीमन्, अध्यक्ष का जो व्यवहार इस सदन में रहा और रहता है, जो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर उनके निर्णय होते ह, उनके इशारे पर जिस प्रकार चलते हैं और सदन की मान और मर्यादा और नियमों का उल्लंघन दिन प्रति दिन होता रहता है, उसे देख कर, मजबूर हो कर आज हमें यह संकल्प इस सदन में अपने अध्यक्ष को हटाने के लिये लाना पड़ा। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि माननीय वर्मा जी इस सदन में खाली

[श्री नेकराम शर्मा]

कांग्रेस की तरफ से ही नहीं बल्कि हमारी सम्मति से भी सदन के अध्यक्ष बनाये गये थे। उस समय जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें से ३–४ लाइनें पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि "यह अध्यक्ष पद महान परम्पराओं, उत्कृष्ट मान्यताओं और मर्यादाओं से सम्बन्धित है।" उन्होंने आगे यह भी कहा है कि "यह सही है कि जो अध्यक्ष यहां पर रह चुके हैं, उनकी तुलना में आप मेरे निर्बल कन्धों या निर्बल हाथों पर यह भार सम्भाल रहे हैं।" मैं यह कहूंगा कि हमको उस वक्त यह उम्मीद थी कि अवश्य ही कि वह निर्बल हैं परन्तु यह सब कुछ होते हुये भी वह यहां पर न्याय से कार्य करेंगे। वह अपनी सारी व्यवस्थायें किसी ग्रुप से सलाह लेकर या उसके इशारे पर नहीं देंगे। हमको उनसे यह सब आशायें थीं यह सब आशायें निर्मूल सिद्ध हुईं। उन्होंने आगे कहा था "केवल इतना विश्वास अवश्य दिलाना चाहता हूं कि मेरा पूरा प्रयत्न होगा और प्रयास रहेगा कि उन मर्यादाओं और मान्यताओं का संरक्षण इस सदन में हो, जो मान्यतायें और मर्यादायें तथा परम्परायें इस आसन से, सम्बन्धित रही हैं।"

इस भाषण के पश्चात् हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना की थी और स्वयं मैंने कहा था कि आप अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे वरन सारे सदन के अध्यक्ष हैं। लिहाजा आप अपना सम्बन्ध सत्ताधारी दल से विच्छेद करें। उन्होंने अपने भाषण में भी इस सिद्धान्त को माना है। परन्तु इसके बाद भी उन्होंने अपना सम्बन्ध सत्ताधारी गुट से नहीं तोड़ा। यदि वह अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते तो मुझे उम्मीद है कि आज इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा हो सकती थी। उनकी व्यवस्थायें जो यहां पर हुई हैं वह न हुई होतीं। वह वास्तव में निर्बल और कमजोर हैं क्योंकि उनको अपनी इच्छाओं के विरुद्ध निर्णय देना पड़ता है और उनको सत्ताधारी गुट की इच्छाओं पर ही चलना पड़ता है। इस बात के ज्वलन्त उदाहरणों को इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, चाहे वह इधर के बैठने वाले हों और चाहे वह उधर के बैठने वाले हों सभी जानते हैं कि जब हमारे एक माननीय सदस्य जनसंघ ने शिकायत की थी कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है तो इसपर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वह इस अफसर की भर्त्सना करायेंगे। परन्तु जैसे ही माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हो गये और विरोध करने लगे तो उसी समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय बदल दिया। इतना ही नहीं, इस सदन में आज तक जितने भी निष्कासन हुये हैं वह इस सदन के इतिहास में, लोक सभा में और हाउस आफ कामन्स में कहीं भी आप देखें इतने निष्कासन नहीं हुये हैं। एक उदाहरण और दे दूं। हमारे माननीय सदस्य कुंवर प्रताप सिंह जो कि कभी नहीं बोले और वह अपनी बात कहना चाहते थे परन्तु एकदम प्रतिशोध की भावना से उनको एक महीने के लिये निलंबित करवा दिया गया। खैर, यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी राय बदलनी पड़ी और माननीय सदस्य के निष्कासन को रद्द करना पड़ा। वह तो बहुत ही सीधे सदस्य हैं, न कभी शोर मचाते थे और न कभी नियमों का उल्लंघन ही करते थे। मेरी राय में तो उनका निष्कासन ही नहीं होना चाहिये था।

हमारे अध्यक्ष महोदय, माननीय मदन मोहन वर्मा, ने बड़े ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में लिये हैं और उनकी बड़ी ही अजीब व्यवस्थायें हुई हैं। मैं तो यही कहूंगा कि उनसे इस आदरणीय सदन की मान-मर्यादा भंग हुई है और इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब तक माननीय मदन मोहन वर्मा इस सदन के अध्यक्ष हैं, तब तक इस सदन की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रह सकती। सत्ताधारी गुट के हितों की रक्षा और उनका पोषण आपकी सारी व्यवस्थाओं से होता है। इस बात का मैंने अभी उदाहरण भी दिया है।

दूसरा उदाहरण और है। इसी सदन में माननीय शारदाभक्त सिंह ने एक अनआफिशियल प्रस्ताव कि आधा लगान कर दिया जाय और सारे किसानों को भूमिधर के राइट्स मिल जायें, जब इस सदन में प्रस्तुत किया तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि इसकी बहस

हो चुकी है कटमोशन के समय लिहाजा अब नहीं आ सकता है । माननीय राजस्वमंत्री की आपत्ति पर उस समय जब विरोधी दल की ओर से जोरदार विरोध हुआ तो मुख्य मंत्री उठकर खड़े हुए और उन्होंने उसी व्यवस्था के प्रतिकूल इस सदन को असरकारी प्रस्ताव पर बहस करने का अवसर दिलाया । यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा में माननीय वर्मा जी की अध्यक्षता में ही हो सकता है कि वह रूलिंग ज्यों की त्यों है, उसको रिवाइज नहीं किया गया, अब भी आपरेटिव है और उसके विरुद्ध सदन में मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर बहस हो गई है । श्रीमन्, मैं या और कोई सदस्य उस स्थान पर होता तो वह जो बहस नान-आफिशियल रेजोल्यूशन पर हो गयी, अध्यक्ष की रूलिंग के होते हुए, तो उसके बजाय अध्यक्ष का त्याग-पत्र आ जाता ।

कल जब उनके खिलाफ इस सदन में अनुज्ञा प्राप्त हो गयी और १८१ में से बहुत से गैर-हाजिर थे, इसलिये ११४ सदस्य उनके खिलाफ खड़े हुए---सारे नेता विरोधीदल के खड़े ए थे तो जब सब उनके खिलाफ थे तो चाहे कानूनी प्रावीजन न हो लेकिन कल माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रेसाइड करने के लिये सदन में नहीं आना चाहिये था । उनको मालूम पड़ गया था, आपने या किसी घोषणा नहीं की कि आज बहस होगी, लेकिन सदन की बिना राय लिये ही वर्मा जी ने कह दिया कि कल बहस होगी । एक दिन और वह सदन में न आते तो ज्यादा उचित होता । एक परम्परा कायम करने के लिये टंडन जी ने कहा था कि विरोधी दल का एक भी सदस्य अगर मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाता है तो मैं तुरन्त उठ जाऊंगा । नैनीताल म जब असेम्बली हुई, विरोधीदल के एक सदस्य ने माननीय टंडन जी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दिया । टंडन जी ने सदन में आने से इन्कार किया और जब उस सदस्य प्रस्ताव वापस कर लिया तब सदन में आये । वर्मा जी का नाम अमर रहता संसदीय इतिहास में यदि वह अप डिप्टी स्पीकर सहित सदन में न आते, यदि उनकी व्यवस्था के विरुद्ध जो मुख्य मंत्री ने असरकारी प्रस्ताव पर बहस करा दी थी, वह इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । यह उस कुर्सी के लिये, जिस पर वह विराजमान हैं, शोभा नहीं देता ।

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इसी सदन में माननीय वर्मा जी ने जब माननीय यादव जी, रामायण राय और नरसिंह नारायण पांडेय ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, सब माननीय नेताओं से सलाह-मशविरा करके निर्णय दने की अध्यक्ष ने बात कही थी, लेकिन अध्यक्ष ने उनसे कोई सलाह लिये बिना व्यवस्था दे ी । आप रोज देखते हैं कि कोई इन या प्वाइंट आफ आर्डर हम उठायें, माननीय अध्यक्ष अपना फैसला नहीं देते, अधिकतर व्यवस्थाएं रिजर्व रखते हैं । इसलिये नहीं कि उन्हें समय नहीं मिला । जब नियमों में प्राविजन है कि आधा या एक घंटे पहले प्रस्ताव उपस्थित होगा तो माननीय अध्यक्ष के पास सचिवालय फौरन भेज देता है, पढ़ कर आते हैं तो समय की कमी के कारण पढ़ने और विचार करने के लिये व्यवस्थायें नहीं रोकते, बल्कि कांग्रेस दल के मुख्यमंत्री और सचेतक की सलाह लेने के लिये सदन में न देकर, अपने निर्णय रिजर्व कर लेते हैं, यह मेरा आरोप है । कभी भी सदन के इतिहास में यह नहीं हुआ कि स्पीकर नियमों को सस्पेंड कर दें बिना सदन में वोट लिये हुए, बिना अनुमति और मत लिये हुए, लेकिन अध्यक्ष ने, जब माननीय शारदाभक्त सिंह का प्रस्ताव आया तो सदन में न मत लिये और न अनुमति ही ली और जो नियम थे उनको सस्पेंड कर दिया । श्रीमन्, इस सदन में, कांग्रेस दल के सदस्य भी जानते हैं कि जस्टिस मुल्ला के संबंध में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक जज के रूप में उनके कन्डक्ट की आलोचना की तो उस समय एक प्रश्न यहां उठाया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि वह आर्बिटर डिक्टा है । अगर वे उसी समय माननीय मुख्य मंत्री को रोक देते तो अच्छा होता । श्रीमन्, इस संबंध में जो उनकी रूलिंग है उसको जो भविष्य में माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो वे यही कहेंगे कि माननीय वर्मा जी ने जो व्यवस्था दी थी वह न्याय से कोसों दूर थी और एक मुख्य मंत्री जी को बचाने के लिये ही वह व्यवस्था दी गयी थी । हमारे संविधान के खिलाफ जो यह व्यवस्था माननीय वर्मा जी ने दी है उसको संसदीय इतिहास के पढ़ने वाले ताजी रखेंगे । यही नहीं, जब माननीय दीपनारायण सिंह ने, संविधान आदि का उदाहरण देकर, अध्यक्ष

[श्री नेकराम शर्मा]

की रूलिंग के संबंध में उस व्यवस्था के डिस्एप्रूवल का प्रस्ताव रखा तो उसको भी वर्मा जी ने अस्वीकार कर दिया । मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में यह लिखा है कि स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सदन के समक्ष, डिस्एप्रूवल का प्रस्ताव लाया जा सकता है । उस प्रस्ताव को माननीय वर्मा जी ने उसी तरह रेजेक्ट कर दिया जिस तरह से इंगलैंड में किंग के बारे में कहा जाता है कि "किंग कैन डू नो रांग" । यहां उत्तर प्रदेश की असेम्बली में यह कहा जा सकता है कि "स्पीकर कैन डू नो रांग" । जब माननीय लखीसिंह जी और माननीय शिक्षक जी को यहां सदन से निकाला गया तो उनको निकल जाने का आदेश भी नहीं दिया गया और उनको इंगित कर दिया गया । जब उस संबंध में यहां सदन में प्रस्ताव उठाया गया तो उन्होंने यानी अध्यक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की, किन्तु गलती स्वीकार करने पर भी, आज भी वे दोनों सदस्य सदन से बाहर हैं । कम से कम अध्यक्ष को इस गलती पर इस्तीफा दे देना चाहिये था । मेरा ऐसा खयाल है कि वे हृदय से एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कांग्रेस दल का प्रेशर पड़ता है, उसके भय से वे ऐसा करते हैं । उनको यह भय रहता है कि कहीं माननीय मुख्य मंत्री नाराज न हो जायं । भातखंडे यूनिवर्सिटी में उनके बारे में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने शब्द कहे थे, उस संबंध में एक ब्रीच आफ प्रीविलेज का प्रस्ताव भी इस सदन में आया । यही नहीं, इन ९/१० महीनों में और भी कई ब्रीच आफ प्रीविलेज के प्रस्ताव आये, लेकिन एक भी विशेषाधिकार कमेटी को रेफर नहीं किये गये । उन प्रस्तावों के संबंध में तो केवल यह देखना होता है कि प्राइमाफेसी केस है या नहीं । किन्तु वर्मा जी ने, गवर्नमेंट की तरफ से उसके एक स्पोक्समैन बन कर, उन सभी प्रस्तावों का जवाब देकर उनको रेजेक्ट कर दिया । कोई भी कामरोको प्रस्ताव आज तक स्वीकार नहीं हुआ, यहां तक कि गोरखपुर जैसे कांड तक के संबंध में जो कल प्रस्ताव आया उसको भी रिजेक्ट कर दिया . . . . . (लाल बत्ती होने पर) मुझे १५ मिनट का समय श्रीमन्, और दे दिया जाय, नियमों में भी यह है ।

श्री अधिष्ठाता—१० मिनट का समय और देता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं यह कह रहा था कि सदन में प्रदेश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कामरोको प्रस्ताव आये, लेकिन माननीय वर्मा जी ने एक भी काम रोको प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी । गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, जिसमें आफीसरों के अनुसार ४ मरे लेकिन वैसे मरे ७-८ वहां हैं, बहुत से विद्यार्थी मारे गये । कौंसिल में जो हमारे लेजिस्लेचर का आधा भाग है, स स्ताव को स्वीकार कर लिया गया लेकिन इस सदन में माननीय वर्मा जी ने यह तो स्वीकार किया कि वे इसको स्वीकार करने के पक्ष में थे, यह उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर २ बजे में निर्णय दूंगा और २ बजे उनको यह सलाह मिली कि वह पेश नहीं हो सकता। उसके बारे में उन्होंने नियम ६० का हवाला दिया । जिस नियम ६० का हवाला दिया है वह मैं पढ़ कर सुनाऊंगा । उन्होंने कहा कि क्योंकि वह जुडीशियल मामला है, उसमें इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है । क्योंकि जांच बैठी हुई है सलिये वह सदन में नहीं आ सकता लेकिन उसी के लिये कौंसिल के चेयरमैन ने इजाजत दे दी । लेकिन वर्मा जी डरते हैं । उन्होंने आज तक कांग्रेस दल से अपना संबंध विच्छेद नहीं किया । वे समझते हैं कि वे किनकी मर्जी पर यहां हैं । माननीय बनारसी दास जी और मुख्य मंत्री जी कभी भी कह सकते हैं कि 'जाओ' । जो आदमी वीक होता है वह कभी ट्रेजरी बेंचेज को खुश करता है तो कभी विरोधीदलों को। नतीजा यह है दोनों की नाराजगी उसको मिलती है । निष्पक्ष तो वही हो सकता है जो किसी की परवाह न करे, अपनी ईमानदारी और विवेक से काम ले और निर्णय बिना भय के दे । अगर ऐसा न होगा को यह सदन न चल सकेगा । जिस कुर्सी पर माननीय वर्मा जी बैठे हुए हैं, उसकी मान मर्यादा और शोभा का सवाल है । इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा नहीं रह सकती ।

मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हूं और माननीय विरोधी दल के सब नेताओं से भी कहने के लिये तैयार हूं यदि माननीय अध्यक्ष महोदय यह घोषणा करें कि जब तक मैं स्पीकर हूं तब तक कांग्रेस पार्टी से मेरा संबंध विच्छेद रहेगा और माननीय बनारसीदास जी और गुप्ता जी से मैं गाइड नहीं हूंगा। इतना ही कह कि जब तक मैं स्पीकर हूं कांग्रेस दल से मेरा कोई संबंध नहीं होगा, मैं अप प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। नियम ६० इस प्रकार है—

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority...."

इसमें खास तौर से 'स्टेटुटरी' शब्द आया है। लेकिन ऐसा कोई अधिकार उसको नहीं मिला है। वह एक जांच की रिपोर्ट देगा कोई जजमेंट नहीं देगा। मुझ से कहा जा रहा है कि उसे पूरा पढ़ दूं। अधिष्ठाता महोदय, उसे मैं पूरा पढ़ देता हूं। मुझे ५ मिनट और दे दिया जाय। पूरा नियम इस प्रकार है—

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigate a matter shall ordinarily be permitted to be move".

ट्रिब्युनल या ओथोरिटी कोई भी हो वह स्टेट्यूट्स से बननी चाहिये जो बनी नहीं है। हाउस ने उसका कोई एप्रूवल नहीं दिया। आगे उसमें आया है परफार्मिंग जुडीशियल फंक्शन, लेकिन यह भी नहीं है। वह तो अपनी सिफारिश कर देगा कि यह ठीक हुआ या नहीं। जिस समय डी० आई० जी० ने फाइरिंग करायी स्टेट्समैन के श्री डित वहां मौजूद थे। डी० आई० जी० सामने से चला आ रहा था कि उसको थोड़ी-सी चोट लगी और उसने आर्डर कर दिया कि फाइरिंग हो और धड़ाधड़ गोली चलने लगी। डित वाल से एक गोली उखाड़ कर ल आय हैं। उस पर हम यहां सदन में बहस करना चाहते थे लेकिन उसकी हमें आज्ञा नहीं दी गयी। आखिर लेजिस्लेचर सुप्रीम है या मुख्य मंत्री सुप्रीम हैं? प्रश्न यह है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है और लेजिस्लेचर को अधिकार है कि वह विषय पर बहस करे। हमारे कई ऐक्ट जिन्हें हाई कोर्ट ने अल्टरावायरस करार दिया उनको हम फिर ीक किया। तो कोई जांच कमेटी नियुक्त हो जाने पर भी इस हाउस को अधिकार है कि वह डिस्कशन करे। माननीय वर्मा जी ईमानदारी से पहले सके लिये तैयार मालूम होते थे कि वे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को ऐडमिट करेंगे लेकिन बाद में कोई प्रेसर पड़ा और उन्होंने उसे ऐडमिट नहीं होने दिया। तिहास में यह बात जायगी कि जहां तने छात्र गोलियों से मारे गये और पुलिस के एक बदनाम डी० आई० जी० ने गोली चलाने का आर्डर दिया, डी० एम० ने नहीं आर्डर दिया। नियम ६० के अंतर्गत अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि वे ऐसे विषय पर डिस्कशन करने की अनुमति दें लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। माननीय बनारसीदास जी को मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं कि जब डाक्टर सम्पूर्णानंद की गवर्नमेंट थी और इसी कानपुर में लाठी चार्ज हुआ था सदस्यों की मांग थी कि इस पर डिस्कशन होना चाहिये जांच बैठाने के बाद भी सदन में बहस हुई। लेकिन जहां इतने सदस्यों की मांग है कि जो लोग गोरखपुर में गोलियों से मारे गये हैं उन पर चर्चा करने का अवसर सदन को मिले, तो समय मिलना तो दूर रहा, जिस पुलिस कर्मचारी ने गोली चलवायी वह आज भी वहां मौजूद हैं। स्टेट्यटरी अथारिटी का यह उद्देश्य तो नहीं हो सकता। हाउस को कान्फीडेन्स में लेने के लिये बजाय माननीय वर्मा जी ने मुख्य मंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों को अपने कान्फीडेन्स में लिया है जो गलत है। स तरह से अध्यक्ष महोदय ने सदन के अधिकार क छीन लिया है जिसे सदन कभी माफ नहीं कर सकता। आपके नियम २९८ में लिखा हुआ है—

"Votes may be taken by voices or by division and shall be taken by division, if any member so desires".

[श्री नेकराम शर्मा]

यहां "शैल बी `किन" है, लेकिन अध्यक्ष महोदय अपने नियमों का भी उल्लंघन करते हैं । उस दिन विरोधी दल के नेता ने लैंड टैक्स बिल पर क्लोजर प्रस्ताव मूव होने पर जब लाबी की मांग की थी तो अध्यक्ष महोदय ने लाबी नहीं ी और कल बिना किसी के मांग किये हुए पहले से ही लाबी देने लगे कि मैं लाबी दे दूंगा । ये सारी बातें पक्षपातपूर्ण हैं और एक तरह से नियमों का उल्लंघन है । जब अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है और आपोजीशन के लीडर ने जब नियमानुसार उस दिन लाबी की मांग की तो अध्यक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया । क्यों नहीं किया ? क्योंकि उस दिन रिकार्ड में मत सरकार के खिलाफ होता । इसलिये यह निश्चित है कि गवर्नमेंट के इशारे पर माननीय वर्मा जी नियमों की भी अवहेलना करते हैं ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—किस ोज की यह बात है ?

श्री नेकराम शर्मा—जिस दिन श्रीमन् `क्लोजर मूव किया था ।

श्री बनारसीदास—उस रोज हमारी तादाद क्या कम थी ?

श्री नेकराम शर्मा—यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह मैं जरूर कहता हूं कि जो गिनती करने वाले कर्मचारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, कांग्रेस दल के बहुत से लोगों से बातचीत हुई, आप २२१ कभी नहीं थे । मैं महात्मा गांधी के चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की कसम खाकर कहता हूं कि माननीय बनारसी दास जी, आप के लोगों ने ही कहा कि हम २२१ नहीं थे उस दिन मेरी बात को आप मान लें । अगर आप २२१ थे और और बहुमत में थे तो फिर लाबी में क्यों नहीं वोटिंग करायी ? अगर आप बहुमत में होते तो अध्यक्ष महोदय अपने रूल का उल्लंघन नहीं करते और विरोधी दल की मांग पर लाबी में वोटिंग करा देते । अध्यक्ष ने घोर पक्षपात किया । रूल २९८ इस प्रकार है कि—

"Votes may be taken by voices or by division and shall be taken by division, if any member so desires :

Provided that the Speaker may if he is satisfied that the divisions unnecessarily claimed, avoid a division by taking votes by show of hands". लेकिन अगर उनमें विवेक है तो वह शब्द 'शैल' पर गौर करें, इसके माने हैं कि डिवीजन देना ही पड़ेगा.....

श्री अधिष्ठाता—आप आपस में बातें न करें, भाषण जारी रखें ।

श्री नेकराम शर्मा—उनको क्या दिक्कत थी इस रूल में कि जब माननीय नेता विरोधी दल के नेता ने लाबी मांगी और उन्होंने नहीं ी । उस दिन श्री बनारसी दास जी निश्चित नहीं थे अपनी संख्या के विषय में केव न इतनी बात उस दिन थी । मान ीय वर्मा जी ने जिस पक्षपातपूर्ण नीति में सदन में काम किया है उससे सदन की मर्यादा बढ़ती नहीं है । वह घटती है । स्पीकर के विषय में कहा गया है कि "Speaker should not be impartial but he should appear to be impartial" यानी उनकी व्यवस्थाओं और निर्णयों में उन के हावभाव में यह मालूम पड़ना चाहिये कि वह इम्पार्शियल हैं, भले ही वह पार्शियल हों । इस सदन में जब वह बोलते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यहां अध्यक्ष स्वयं नहीं बोल रहे हैं बल्कि सरकार या वह किसी और की हिदायत और प्रभाव में आकर यहां निर्णय दे रहे हैं । जो प्रश्न यहां उठाया जाता है या विचार के लिये लिया जाता है तब-तब यही होता है । जब यहां माननीय उग्रसेन ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय यहां की प्रोसीडिंग्स को बदल ते हैं। लेकिन आजतक उनके खिलाफ इस पर कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं उठाया गया कि उनका आरोप गलत था । इसके माने यह हैं कि उनका आरोप सही था क्योंकि अगर गलत होता तो ब्रीच आफ प्रिविलेज

उनके विरुद्ध लाया जाता । इसके अर्थ यह हैं कि प्रोसीडिंग को बदला जाता है अध्यक्ष द्वारा ।

इसके अलावा अध्यक्ष श्री वर्मा जी ही बैठे हुये सदस्य को सदन में बोलने के लिये बुला सकते हैं और अगर दूसरे सदस्य खड़े भी हों तो उनको वह नहीं बुला सकते । यह परम्परा श्री वर्मा जी की ही अध्यक्षता में पड़ सकती है जो मेम्बर हाउस की फ्लोर के पजेशन में हो उसको वह बिठा सकते हैं । श्री अध्यक्ष मंत्री जी से नया बिल पेश करा सकते हैं । अध्यक्ष श्री वर्मा रोज ही प्रायः सरकार को बचाने के लिये उसकी सहायता के लिये किसी भी दिन १५ मिनट का समय बढ़ा देते हैं, विरोधी दल के लोग कितना भी विरोध करें तो भी वह नहीं सुनते लेकिन मंत्री जी को स्पीच के लिये वह बिना कहे ही समय बढ़ा देते हैं । श्री वर्मा जी ही अपनी कलिंग को भी कार्यवाही से एक्सपंज करा सकते हैं, कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि अध्यक्ष अपनी व्यवस्था स्वयं न छपने दे और सदन की कार्यवाही से अपनी ही व्यवस्था अध्यक्ष निकलवा दें । इसका उदाहरण संसदीय इतिहास में नहीं मिलेगा ।

(लाल बत्ती हो पर)

श्रीमन्, आप मुझे ५ मिनट और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—आपने बहुत समय ले लिया, अब मैं और समय नहीं दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—तो मैं ३ मिनट में समाप्त कर रहा हूं । मैं कह रहा था कि वर्मा जी अपनी ही व्यवस्था को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश देते हैं । उनके पक्षपात-पूर्ण और सत्ताधारी दल से प्रभावित होकर निर्णय होते हैं और इससे सदन की मान-मर्यादा, यहां की उन उच्च परम्पराओं का तो हनन होता ही है साथ ही सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों का विश्वास माननीय अध्यक्ष में शेक हो जाता है । माननीय सदस्य खूब समझने लगे हैं कि माननीय वर्मा जी एक पार्टी के इशारे पर चलने वाले हैं और वह समस्त सदन के अध्यक्ष नहीं हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष रह गये हैं । वह अपनी डायरी में लिख लेते हैं कि कल से मैं पक्षपात से अलग रहकर काम करूंगा, वह स्वयं महसूस करते हैं और कहते भी हैं कि तुम लोग कोआपरेट करो तो मैं कांग्रेस दल की मर्जी पर ही क्यों चलूं लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर करते हो और मुझे उनके साथ जाना ही पड़ता है । सहृदयता के साथ सरल व्यक्ति, अच्छे आदमी सब उनकी विशेषता होने के बावजूद भी उन्होंने एक ही गलती की है । वह कांग्रेस सरकार से अपना विच्छेद नहीं कर पाये हैं वे अपना संबंध विच्छेद कर लें तो अच्छे स्पीकर साबित हो सकते हैं । अच्छा और सही निर्णय दे सकते हैं अगर वह निर्णय तुरन्त सदन में देदें कमरे में जाने से पहले । हाउस में प्वाइंट आफ आर्डर उठाना हो तो मेरे कक्ष में बात कर लो यह अध्यक्ष का कौन से प्वाइंट आफ आर्डर का तरीका है । मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस व सारी संसदीय किताबें इस बात की साक्षी हैं कि प्वाइंट आफ आर्डर यह नहीं है कि माननीय अध्यक्ष के कमरे में पहले बात कर लो, उससे सलाह पहले लो तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं । कैसी कैसी व्यवस्थायें उनकी हैं, उनके निर्णय हैं ? जब संसदीय इतिहास पर विद्यार्थी रिसर्च करेंगे उस समय वह कहेंगे और प्रदेश की जनता यह कहेगी कि कैसे अध्यक्ष महोदय हैं, कैसे गवर्नमेंट के इशारे पर चलते थे अध्यक्षगण मैं नहीं कहता । प्रदेश की जनता, बार एसोसियेशन सब जगह इसकी चर्चा है । मैं सच कहता हूं कि माननीय वर्मा जी ठीक ढंग से काम करें तो इतना उपद्रव विरोधी दल नहीं करते और विंडिक्टिवनेस की जो भावना विरोधियों के प्रति रही है श्री वर्मा जी की वह न रहती । जब देखा कि लैन्ड टैक्स बिल आने वाला है तो सरकार और अध्यक्ष ने यह नीति अख्तियार की कि लैन्ड टैक्स बिल में विरोधियों की संख्या कम होती जाय । इसलिये सस्पेंड करना शुरू कर दिया क्योंकि यह उनकी पालिसी है कि विरोधी अधिक से अधिक सदस्य कम हो जांय सदन से । अतएव मेरा निवेदन है कि यह जो मेरा प्रस्ताव है इस पर दोनों तरफ से गंभीरतापूर्वक संसदीय परम्पराओं को बचाने लिये माननीय समस्त सदस्य मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठाता महोदय, नेकराम शर्मा जी का एक पंक्ति का प्रस्ताव जो मैंने कल और आज के एजेंडे में देखा तो मैं आश्चर्य कर रहा था कि कौन से ऐसे कारण और कठिनाइयां आ गयी हैं, जिनकी वजह से इतना कठोर कदम श्री नेकराम शर्मा ने और विरोधी दल के समस्त आदरणीय सदस्यों ने उठाया । क्योंकि एक पंक्ति में सब बातें नहीं आ जाती थीं इसलिये मैं नेकराम शर्मा जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने इसे एक बड़ा भारी प्वाइंट बनाने का प्रयास किया कि यदि स्पीकर महोदय कांग्रेस पार्टी से अपना संबंध विच्छेद कर लें तो वह यह घोषणा करते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव हटा लेंगे और जो कुछ कठिनाई विरोधी दल के सदस्यों से होती है वह भी उपस्थित नहीं की जायगी और अपने डिबेट के स्तर को भी काफी ऊंचा उठा कर हाउस आफ कामन्स की परम्परा का भी जिक्र किया। मैं समझता हूं कि माननीय नेकराम शर्मा जी काफी पढ़े लिखे आदमी हैं। वह हाउस आफ कामन्स की इस परम्परा को भी जानते होंगे कि विरोधी दल स्पीकर के विरुद्ध अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते और वह यह घोषणा कर देंगे कि स्पीकर के विरुद्ध अब विरोधी दल कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—आचार्य संहिता बनाते वक्त हमने कहा था कि अगर स्पीकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से खड़ा न हो तो उसके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट विरोधी पार्टी से खड़ा नहीं किया जायगा। लेकिन इसे माना नहीं गया।

श्री कृष्णानन्द राय—आज इंग्लैण्ड की वह परम्परा यदि हमारे देश में कायम नहीं है तो स्पीकर महोदय से हम उसकी आशा नहीं कर सकते।

एक चीज का उन्होंने और जिक्र किया कि इस सदन में जितने निष्कासन हुये हैं उतने कभी किसी सदन के इतिहास में नहीं हुये। निष्कासन सब के लिये दुखद विषय है। चाहे इधर के बैठने वाले चाहे उधर के बैठने वाले जब देखते हैं अपने किसी आदरणीय साथी को निष्कासित होते हुये तो सब के हृदय पर चोट लगती है और माननीय मुख्य मंत्री और स्पीकर महोदय ने भी इस बात की घोषणा की है किसी को निष्कासित करने में उनको भी बहुत दुःख होता है। लेकिन माननीय नेकराम शर्मा जी अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें कि नियम २८६ और ३१८ जिसमें आदरणीय सदस्यों के लिये कुछ कोड आफ कांडक्ट दिये गये हैं का जितना उल्लंघन इस सदन में होता है क्या और भी किसी सदन के इतिहास में उतना उल्लंघन देखा है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब कोई आदरणीय सदस्य बोलता हो तो उसको बोलने में या सदन की कार्यवाही में किसी दूसरे सदस्य को बाधा नहीं डालनी चाहिये या स्पीकर महोदय की व्यवस्थाओं के विरुद्ध चुनौती नहीं देनी चाहिये। लेकिन क्या एक मिनट भी माननीय सदस्य यहां पर बिना कार्यवाही में बाधा डाले बैठे रह सकते हैं?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—आपने ठीक कहा कि कोई माननीय सदस्य बोलते हों तो बीच में इंटरफियरेन्स नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी माननीय नेकराम शर्मा जी जब बोल रहे थे तो क्या बैठे-बैठे सूचना मंत्री ने दस बार उन्हें टोका नहीं? तो जब सूचना मंत्री टोका-टाकी कर सकते हैं तो दूसरे सदस्यों से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे न टोकें?

श्री कृष्णानन्द राय—हमारे आदरणीय भाई इंटरफियरेन्स के माने नहीं समझते। कोई एक्सप्लेनेशन माँगना इंटरफ़ियरेन्स नहीं होता। वह तो हम रोज माँगा करते हैं। लेकिन कोई सदस्य बोलने न पाये उसको इंटरफ़ियरेन्स कहते हैं।

माननीय नेकराम शर्मा ने एक और बड़ा कैपिटल प्वाइंट बनाने का प्रयास किया और कहा कि गोरखपुर फ़ायरिंग के बारे में काम-रोको प्रस्ताव स्पीकर ने नहीं लाने दिया। मुझे बड़ा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आश्चर्य हुआ जब नियम ६० को उन्होंने कोट किया। वे हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। लेकिन वे इतना स्वीकार करेंगे कि किसी भी नियम का हवाला तब तक नहीं देना चाहिये जब तक उसको पूरा न पढ़ा जाय। वे केवल 'स्टैट्यूरी ट्रिब्यूनल" आदि शब्दों का जिक्र करते रहे। उसमें लिखा है—

".....or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigate a matter shall ordinarily be permitted to b moved":

उन्होंने केवल 'स्टैट्यूरी ट्रिब्यूनल" शब्द पढ़े और आगे के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने बड़ी चर्चा की कि गोरखपुर में गोली चली, प्रदेश में बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं और स्पीकर महोदय यहां उनको लाने की आज्ञा नहीं देते। ये सब बातें तो जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसमें कही जाती हैं, स्पीकर से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक सदन में विरोधी दल के नेता मंत्रिमंडल की आलोचना करने के लिये समय में अविश्वास का प्रस्ताव लाया करते हैं। डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की स्वयं की कोई नीतियां नहीं होतीं। सदन का कार्य तो रूल्स आफ़ प्रोसीजर चाहे असेम्बली के हों, पार्लियामेन्ट के हों या हाउस आफ़ कामन्स के हों उनके मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चलाया करते हैं। वे कोई अपनी ओर से नहीं चलाया करते। कुछ असुविधायें जरूर होती हैं जो सभी सदनों में होती हैं। जैसे मेजारिटी टाइम को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को फानेन्शल मैटर्स में कुछ प्रिविलेजेज दिये हुए हैं। तो स्पीकर चाहें तो भी उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। और स्पीकर को जो थोड़ा बहुत डिस्क्रीशन सदन में होता है वह श्रीमन्, अधिकतर हम लोगों के विरोध में ही रहता है। क्वेश्चन आवर में अधिकतर समय विरोधी दलों को ही दिया जाता है। नियम ५२ के अन्तर्गत सभी लोग अपनी बात लाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रख कर कि थोड़ा बहुत मौका विरोधी दलों को देना चाहिये, सरकार की आलोचना पर अधिकतर मौका उनको ही दिया जाता है। इसलिये श्रीमन्, जहां तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का डिसक्रीशन है हम लोग मरमर करते रहते हैं। लेकिन उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सदन की प्रतिष्ठा को रिप्रेजेन्ट करता है और सदन की मर्यादाओं को कायम रखता है। इसलिये यह सदन का गलत कदम होगा यदि इस तरह से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव आया करेंगे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, अभी जो प्रस्ताव सदन के समक्ष विचाराधीन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन में जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे कायम हो सकती है। यह श्रीमन्, अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि जब से माननीय मदन मोहन जी वर्मा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही चल रही है तो यह विधान सभा नहीं रह गई है बल्कि यह गुप्ता सभा में परिणित हो गई है। श्रीमन्, ऐसा लगता है कि चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री जी की यह सभा है और उनकी ही इच्छा, आकांक्षा और विचारों का आदान-प्रदान इसमें होता है और बहस-मुबाहसा स्पीकर महोदय चलाते हैं। अगर इसी तरह से विधान सभा की कार्यवाही होती रहेगी तो जनतांत्रिक मर्यादा कैसे कायम रह सकती है।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्पीकर को कैसा होना चाहिये, अध्यक्ष को कैसा होना चाहिये। सन् १९१९ में इसके ऊपर हाउस आफ कामन्स में डिबेट हो चुकी है। उसमें कहा गया है कि किसी भी सदन का अध्यक्ष, उसकी पर्सनेलिटी, उसका व्यक्तित्व लीडर आफ दि हाउस से ऊंचा होना चाहिये और वह किसी भी वक्त नेता सदन होने की क्षमता रखता हो। यदि यह गुण किसी अध्यक्ष में न हों तो इस कुर्सी पर उसको आसीन होने का अधिकार नहीं है। स्पीकर के माने यह नहीं होते हैं कि वह सदन में मुख्य मंत्री का गुलाम

[श्री काशी नाथ मिश्र]

बन कर बैठे और उनकी इच्छाओं को ही चलाता रहे। इस तरह से जनतंत्र की मर्यादा नहीं हो सकती है। किसी भी अध्यक्ष के लिये यह आवश्यकता है श्रीमन्, थोड़ा समय है नहीं तो मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़ कर बताता कि अध्यक्ष के साथ जुड़ी हुई बात क्या है? उसको निष्पक्ष होना चाहिये और जब वह कुर्सी पर हो तो उसे दोनों दलों की इच्छा क्या है इसका ध्यान रखना चाहिये। श्रीमन्, स्पीकर को अधिक से अधिक विरोधी दलों की बातों पर ध्यान देना चाहिये तभी जनतांत्रिक मर्यादा कायम रह सकती है। जब इन बातों पर विचार किया जाय तो हमें ऐसा लगता है कि जब से माननीय मदनमोहन जी वर्मा इस कुर्सी पर विराजमान हुये हैं तब से उन्होंने सरकारी पक्ष की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया है। हमने श्रीमन्, इसलिये कहा कि उन्होंने इस विधान सभा को गुप्ता सभा में परिणित किया है क्योंकि जब मुख्य मंत्री जी खड़े होते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं, दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे होते हैं तो कह देते हैं कि अच्छा अब मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

श्रीमन्, आज की ही घटना है जब प्रस्ताव निलम्बन का आया तो उन्होंने खुद कहा कि प्रस्ताव ठीक नहीं है, कमरे में आकर बात कर लें। लेकिन जब मुख्य मंत्री जी की तरफ निगाह गई तो कह दिया कि मुख्य मंत्री जी बयान देंगे। श्रीमन्, क्या यही सदन की मर्यादा है? इस कुर्सी की मर्यादा नहीं रह गई है। मुझे पता है कि अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रक्षा के लिये, घर पर सरकार की मदद से सात सात सी० आई० डी० के पिस्तौलधारी जवान रखे हुये हैं। जो अध्यक्ष अपनी हिफाजत के लिये सरकारी मदद लेता है, उसका जनता पर विश्वास कायम नहीं रह सकता है और ऐसे अध्यक्ष को सदन का कार्य संचालन के लिए बराबर बन्दूक और टोपधारी पुलिस की मदद की आवश्यकता होगी और सदन में उनका विश्वास नहीं रह जायगा उनके कुर्सी पर होते हुये, उनका विश्वास सदन में न हो और वे विराजमान रहेंगे तो बराबर सदन में हंगामा और हुल्लड़बाजी होती रहेगी, क्योंकि स्वयं उसका विश्वास जनतंत्र में नहीं है, क्योंकि वह अपनी रक्षा के लिये पिस्तौलधारी और सी० आई० डी० और पुलिस के लोगों का संरक्षण आवश्यक समझता है। तो मैं स्पष्ट इस सदन में कहना चाहता हूं कि यह सरकारी पक्ष के हित में ही है कि जो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा का इतिहास माननीय गुप्त और माननीय बनारसी दास जी और सरकार के जो अन्य संचालक लोग हैं देखें और उस पर गौर करें। क्या दुनिया में कोई ऐसी विधान सभा है जिसमें एक महीने की अवधि में ११, १२ सदस्यों को निलम्बित कर दिया गया हो। अभी कृष्णानन्द राय जी फरमा रहे थे कि यहां पर नियम तोड़े जाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि नियम तोड़े जाते हैं। हम लोग भी नियमों को तोड़ते हैं लेकिन मैं पूछना-चाहता हूं कि कौन-सी स्थिति ऐसी आती है कि जिससे हम मजबूर हो जाते हैं? वह स्थिति कौन पैदा करता है? उसकी जिम्मेदारी किस पर है? मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि जब सरकारी पक्ष की तरफ से और अमर्यादित अध्यक्ष की तरफ से नियम तोड़े जायंगे तो हम विरोधी दल के लोग मजबूर होंगे नियमों को तोड़ने के लिये। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर माननीय मदनमोहन वर्मा यह कह सकते हैं कि सदन में व्यवस्था कायम करने के लिये मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अभी उन्होंने कल या परसों जब डिबेट पर क्लोजर मूव हुआ था तब उन्होंने कहा था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हमारी विधान सभा की नियमावली २९९ (४) और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस देखें। उनमें पार्लियामेंट और विधान सभा में जब अव्यवस्था फैले तो उसको रोकने के लिये अध्यक्ष को क्या-क्या हक दिये गये हैं? कहां पर हक दिये गये हैं? यहां क्या है? अध्यक्ष ने यह आदेश दे दिया कि विरोधी दल वालों के माइक काट दिये जायं। यह विधान सभा नहीं है मानों उन्होंने एक लड़कों का खिलवाड़ बना लिया है। जैसे लड़कों का खिलवाड़ होता है कि गुड़ दो नहीं तो गाली देंगे। आज तो वह आदेश देते हैं कि हमारा माइक काट दिया जाय और कल आदेश दे सकते हैं कि हमारी बेंचें उठवाकर फेंक दी जायं। क्या समझ रखा है उन्होंने? उनकी यह स्वेच्छाचारिता इस सदन में नहीं चल सकती है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि माननीय मदनमोहन वर्मा के कारण इस सदन में रूल आफ ला (Rule of

law) नहीं रह गया है। यहाँ रूल आफ दि जंगिल (Rule of the jungle) बन गया। माइट इज राइट (Might is right) अर्थात् जिसका बहुमत है वह जो चाहे कर दे और करता रहे।

अध्यक्ष की कुर्सी के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो है निष्पक्षता, लोकप्रियता यानी जो इस कुर्सी पर बैठने वाला है वह लोकप्रियता का इच्छुक है, प्रतिष्ठा का इच्छुक है, निष्पक्षता का इच्छुक है या सुविधाओं का इच्छुक है, ये २ चीजें हैं। एक तो व्यापक लोकप्रियता और दूसरी भौतिक सुखसुविधा। ७, ७ पिस्तौलधारी पुलिस, अच्छा मकान, अच्छी तनख्वाह और मोटरगाड़ी। जो आज कल के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं वह नहीं चाहते कि उनकी भौतिक सुविधाओं में हेरफेर हो। लोकप्रियता उनके लिये अच्छी चीज नहीं है, निष्पक्षता उनके लिये अच्छी नहीं है, वह नहीं चाहते कि समाज में उनको प्रतिष्ठा मिले, उनको चाहिये अच्छा मकान, अच्छी तनख्वाह, अच्छा बंगला, और अच्छी मोटरकार। तो इस प्रवृत्ति के आदमी से हम इस सदन में जनतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उग्रसेन जी का निलम्बन हुआ, वह क्या था? उन्होंने एक शब्द कहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है आप की रूलिंग की वजह से। और ठीक इसी शब्द का प्रयोग, जब बड़े-बड़े नेताओं ने उनका ध्यान आकर्षित कराया था, इस सदन में किया गया है, तब उन्होंने कहा कि नहीं यह तो ठीक है। वही शब्द उग्रसेन जी जब प्रयोग में लाते हैं तो उन पर कार्यवाही होती है, निलम्बन करना पड़ता है और दूसरी बार कहते हैं कि ठीक है। यह ठीक है कि वे किसी भी शब्द के बारे में कुछ भी व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन नियम है कि जब वह शब्द इस्तेमाल हो तो उन्हें अध्यक्ष को क्लर्क को हिदायत करनी चाहिये कि यह शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वह इसको नोट करे। हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्ज स्पष्ट हैं कि जिसमें आदरणीय सदनों के अध्यक्षों को ऐसे समय पर क्या करना चाहिये। लेकिन हमारे अध्यक्ष को उससे क्या मतलब है? वह समझते हैं कि बहुमत अगर उनके हाथ में है तो उनका कोई कर क्या सकता है। वह समझते हैं कि आज जिस बहुमत के बल पर उनकी रोटी रोजी चल रही है वह सुरक्षित अगर रखनी है तो बहुमत को अपने हाथ में रखो। वरना, जिस तरह से ११, ११ सदस्यों को यहां निलम्बित किया गया है वह बिल्कुल गैर-कानूनी है। लक्खी सिंह जी और नाथूराम शिक्षक जी सदन में उस समय नहीं थे जिस समय उनको इंगित किया गया। मैंने उसी वक्त कहा श्रीमन्, लखीसिंह जी सदन में नहीं हैं आप किसको इंगित कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े ताव में, बड़े गुस्से से कहा 'हों या न हों, कहीं भी हों, निकल जायं।" कोई सदस्य जो सदन में नहीं है, लेकिन हमारे महाबली मदनमोहन वर्मा जी कहते हैं कि कहीं भी कोई सदस्य है उसको निलम्बित करा देंगे। हाउस आफ कामंस के अन्दर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में साफ लिखा गया है कि पहली दफा ५ दिन के लिये, दूसरी दफा २० दिन के लिये और तीसरी दफा रिमेंनिंग आफ दि सेशन के लिये मुअत्तल किया जायगा, लेकिन बिना इसका ख्याल किये हुए कहते हैं कि हमारी नियमावली में ऐसा ही है। हमारी नियमावली के नियम हाउस आफ कामंस की नियमावली के अनुकूल बनाये गये हैं। हमारी नियमावली में केवल यह है कि निलम्बन का प्रस्ताव आयेगा। कितने दिन का आयेगा, यह क्लैरीफाइड नहीं है। जब यह क्लैरीफाइड नहीं है तो हाउस आफ कामंस में जो परम्परा रही है उसका अनुकरण संविधान के अनुच्छेद १९४ के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन उसका पालन माननीय मदन मोहन वर्मा जी नहीं करते हैं। इन सब बातों को गौर से सोचें। सरकारी पक्ष अगर चाहता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की मर्यादा हिन्दुस्तान और दुनिया में रहे तो उनके हक में है कि ऐसे अध्यक्ष को हटा कर किसी दूसरे आदमी को रखें, क्योंकि मैं जानता हूं, उनका बहुमत है, यह प्रस्ताव पास नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष की बहुत कमजोरी है। इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए विरोधी दल के नेताओं का किसी का पता नहीं है। मैं कल खड़ा नहीं हुआ था, मैं या नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि इस तरह का अध्यक्ष इस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। अगर वह यह ईमानदारी से नहीं सोचते तो वह इस प्रस्ताव को अनुज्ञा मांगने के समय क्यों खड़े हुए? इस प्रस्ताव को क्यों आने दिया? अगर यह मनोवृत्ति

[श्री काशी नाथ मिश्र]

विरोधी दल के नेताओं की है तो विरोधी दल की दशा गिरती जायगी और विधान सभा, विधान सभा नहीं रह जायगी। यह मजाक नहीं है। मैं विरोधी दल के नेताओं से अदब के साथ कहूंगा कि जनाबआली, जब इस प्रस्ताव को पेश किये और इस प्रस्ताव की अनुज्ञा माँगते समय खड़े हुए तो आपका नैतिक कर्तव्य था कि इस प्रस्ताव पर बोलते और यहाँ पर मौजूद रहते। लेकिन आज वह हटे हुए हैं। समझते हैं कि हमें स्पीकर की कृपा से बोलने का मौका मिलेगा। हम को वह मौका देते रहें और हम भाषण करते रहें। इस मनोवृत्ति से जनतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है, न विधान सभा की मर्यादा रह सकती है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, पाँच मिनट और दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट और ले लीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं निवेदन करूंगा कि जब अध्यक्ष का खुद का विश्वास जनतंत्र में न हो तो उसके ऊपर ऐसा भरोसा करना, सारे सदन का कार्य सौंपना उचित नहीं है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब कोई प्रिविलेज मोशन, या दफा ५२ या ५३ के अन्तर्गत प्रस्ताव आता है तो अध्यक्ष को कभी यह कहने का हक नहीं है कि अभी पढ़ा नहीं है, तैयार नहीं है। जब हम समय से नियम के अन्दर देते हैं, तो उसी दिन उसका निर्णय करना चाहिए। हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और लिख कर दिया था, माननीय दीपनारायण जी को जिस समय इंगित किया गया और वह हटाये गये, तो निलम्बन के पहले वह सदन को छोड़ कर चले गये थे, मैंने यह प्रश्न उठाया था कि हाउस आफ कामंस में क्या व्यवस्था है। उसका जवाब आज तक नहीं मिला। हाउस आफ कामंस में साफ लिखा है कि इंगित करने के बाद निलम्बन का प्रस्ताव आने के बाद अगर सदस्य सदन छोड़ दे तो निलम्बन की कार्यवाही उस दिन नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं आप से कहना चाहता हूं कि सारी कार्यवाही संविधान और नियमावली के विरुद्ध रही है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि यह अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सौभाग्य से इस सदन में मुझे प्रथम बार आज अपनी राय इजहार करने का मौका मिला है मैं १९३७ से बराबर, चाहे दो, एक महीने का फर्क रहा हो इस सदन और अपर हाउस का सदस्य रहा हूं यह भी अपना अनुभव है कि संभवतः प्रथम बार इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन में आया है मेरी जानकारी, जहां तक मुझे स्मरण है, ठीक ही है। यह सदन अपने अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा को उनके पद से हटाने का निश्चय करता है, इस प्रकार का प्रस्ताव माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ा ही दुखद प्रस्ताव है। सारे सूबे की हुकूमत इसी केन्द्र-स्थान से चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय की संरक्षता में हम सारे शासन संबंधी कानून को बनाते हैं और उसके अनुरूप गवर्नमेन्ट पालिसीज को देखते हुए चलती है। यह सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वह कौन से प्रमुख कारण हैं, वह कौन खास वजह है कि जिसके अनुसार इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है। यह जानकारी की बात है कि पुराने जमाने से और आजकल के समय का यदि सिंहावलोकन किया जाय तो विरोधी पक्ष एक कसीर तादाद में आजकल है और विभिन्न दल के यहां

नमाइन्दे हैं। हो सकता है कि उनके उद्देश्यों में कुछ अर्क फर्क हो तो यह कशमकश होने का कारण हो सकता है और जटिल समस्यायें भी अध्यक्ष के सामने निर्णय करने के लिए उपस्थित होती रही हों। मेरा जो थोड़े दिन का अनुभव है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह यह है कि अध्यक्ष महोदय बराबर अधिकारों का जिक्र यहां पर किया करते हैं। इटली देश के मैजवी की लिखी एक छोटी सी किताब है 'डयू ीज ब्रिफोर राइट्स' का वर्णन उस पुस्तक में किया गया है। इस पक्ष से भी कई माननीय सदस्य कई बार सदन में उठे। बदकिस्मती ऐसी रही कि उनको मौका बोलने का नहीं मिला और जब उन्होंने कुछ उज्र पेश किया तो कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया बल्कि अपने अधिकार पर जोर दिया गया। जब इतने सुन्दर तथा पवित्र स्थान पर एक सम्मानित व्यक्ति बैठा हुआ हो तो उसको चारों तरफ अपनी निगाह रखनी चाहिए। माननीय अधिठाता महोदय, इसी कुर्सी पर जो कि बहुत ही पवित्र, पाक और मुतबर्रिक स्थान पर है, हमारे स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन भी बैठ चुके हैं और मुझे निजी जानकारी है कि उनके सामने इस प्रकार का एक बार प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति उनके कर्त्तव्य पालन करने से विरोध रखते हों तो वह इ मुतबर्रिक और पाक तथा पावन स्थान को छोड़ देंगे। सोचना पड़ेगा कि विरोध में ११४ माननीय सदस्य क्यों कर खड़े होते हैं? और बातें अलग हैं लेकिन मैंने जो शिकायत की है वह व्यवहार की है, वह व्यवहार अगर उचित न हुआ तो यह सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। जहां माननीय अध्यक्ष महोदय का अधिकार है माननीय अधिष्ठाता महोदय, वहीं हमारे भी कुछ छोटे-मोटे अधिकार हैं। हम भी अपने कर्त्तव्य को जानते हैं हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की कि जहां पर बौछार है अधिकारों की, वहां हमारे कर्त्तव्य और अधिकार का पालन किस भांति हो सकेगा। ऐसे स्थान पर बैठकर केवल अधिकार पर जोर दिया गया और समुचित ढंग से यहां का कार्य-संचालन नहीं हुआ तो इस ढंग के प्रस्ताव सहसा आ जाया करते हैं। हमारे सामने एकाध व्हिप पत्र भी है कि हमको मौजूद रहना चाहिए। हम मौजूद भी हैं लेकिन अनुचित बात के विरोध से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता यदि जो यहां उचित व्यवस्था न हुई हो अपनी दृष्टि से उसको हम अपने हृदय में दबा लेते हैं और मौके से उसका इजहार नहीं करते तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन कदापि नहीं करते। हमारा भी पुराना तजुर्बा है कि इसी पवित्र स्थान पर बैठकर के बहुत ही संयम के साथ कर्त्तव्य का पालन किया गया था। और अब भी कर्त्तव्य का पालन हो सकता है। जब दूसरी तरफ से कथित ऐडवोकेट जनरल, अध्यक्ष महोदय की तरफ से वकालत करते हों, मैं मुफस्सिल का एक साधारण सदस्य होने के नाते समझता हूं कि कहीं न कहीं कोर दबी हुई है। यदि वास्तव में अपनी कोर कहीं दबी हुई हो तो उसे सम्हाल लेना सर्वथा उचित होगा। इसलिये इस प्रस्ताव से फायदा उठाकर अपने मन की जो भावना थी उसको मैंने एक मुनासिब जगह पर उचित प्रकार से व्यक्त किया है। जहां पर खामी हो, चाहे अध्यक्ष महोदय की तरफ से अथवा मुख्य मंत्री की तरफ से हो या नेता विरोधी दल की ओर से हो, हमें उसे दुरुस्त करना चाहिये। हम सब एक परिवार के विभिन्न अंग हैं। हम यहां एक स्थान पर बैठ कर निर्णय लेते हैं विशेषतः जब देश का वातावरण चिन्ताजनक हो अर्थात् दूसरे मुल्क के लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हों तो हमारे मन में यदि कहीं मुटाव भी आता है तो हमें उसे सतर्कता से देखना पड़ेगा, गौर से विचारना पड़ेगा और उसे सुधारना पड़ेगा। हमारे कई माननीय मित्रों के साथ सदन में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अध्यक्ष की निगाह उनकी तरफ नहीं पड़ी, यदि पड़ी तो कटुता के साथ में व्यवहार हुआ लेकिन उसने उसको अपने हृदय में दबा लिया.....

श्री अधिष्ठाता—क्या माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री—जरूर।

श्री अधिष्ठाता—तो अब हम उठते हैं और दो बजे के बाद फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामकुमार शास्त्री—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, जो प्रस्ताव मेरे मित्र माननीय नेकराम शर्मा जी ने पेश किया है, उसी के सिलसिले में अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। मैं जो कुछ भी अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूं वह इस अभिप्राय से कि एक सुदृढ़ सुनिश्चित हमारी पुरानी परम्परा इस सदन की रही है, वह कायम रहे और उसी चीज को दृष्टि में रखकर के ही मैं अपने विचारों को इस आदरणीय सदन के सामने व्यक्त कर रहा हूं। मेरे एक मित्र कुछ दिन पहले यहां पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये जोतकर विधेयक के संबंध में खड़े हुए थे तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने, मैं नहीं जानता कि किन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन आदरणीय सदस्य के प्रति ज्यादती हो रही है। आज इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन में प्रथम बार आया है। अतः मैं सावधान और सतर्क होने की भावना से उसका जिक्र करना चाहता हूं? आप देखें कि २ सदस्य खड़े हुए। जिन आदरणीय सदस्य का मैं जिक्र करना चाहता हूं, वह ३–४ दिन से बराबर खड़े हो रहे थे उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। हमारे आदरणीय अध्यक्ष का स्वभाव सा बन गया है कक्ष में बुलाने का, मैं तो यह कहता हूं कि जब कहीं गुत्थी पड़ जाती है और मामले को सुलझाने की आवश्यकता होती है तब वह कृपापूर्वक कहते हैं कि कक्ष में आ जाइये और इस मामले को सुलझा लिया जाय। मैं आपको इस सदन की ही नहीं बल्कि सेन्ट्रल असेम्बली की भी बात बता देना चाहता हूं कि वहां पर भी ऐसे मामले पेश हुए होंगे लेकिन कक्ष में आ जाने का बराबर जिक्र कहीं नहीं किया गया। इसलिये यह ठीक नहीं है कि आप बराबर यह कहें कि आप कक्ष में आ जाइयेगा और वहीं पर कहियेगा। जब २ सदस्य खड़े हुए तो अध्यक्ष महोदय ने कहा है आदरणीय सदस्य से "अधिक उपयुक्त व्यक्ति को मैं बुला रहा हूं और मैं अपना अधिकार समझता हूं कि किसे समय दूं", यह चीज खटकी। जांच कर और तौल करके इस पावन स्थान पर जो बैठे हों उन्हें ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए? यह बड़े सम्मान का स्थान है। यह भी कोई उचित परम्परा नहीं है कि किसी अपराध में अगर किसी माननीय सदस्य को इंगित कर दिया हो तो बार-बार जो निर्णय दिया जाय उसमें फिर हम उलट-फेर कर दें। इसलिये ऐसी भावना मेरे मन में आयी कि जरूर इस बात को आदरणीय सदन के सामने मैं कहूं कि जिससे शुद्ध परम्परा कायम रहे। कहा जा सकता है कि बड़ी जटिल समस्याएं हैं, उलझन और परेशानी है। मुझे याद है कि सेन्ट्रल असेम्बली में जब एक बिल आया उस वक्त स्वर्गीय विट्टलभाई पटेल अध्यक्ष थे और उस वक्त लाला लाज पत राय, स्वर्गीय पं० मोती लाल नेहरू, और महामना मालवीय जी, माननीय सदन के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने उस हाउस की परम्परा को कायम रक्खा था। उस आदरणीय सदन में हमारे मुख्य मंत्री जी भी सदस्य रह चुके हैं, हम भी यहां बराबर बैठ चुके हैं लेकिन अब जिस तरह से शोरगुल होता है उससे कुछ अपने आप को लज्जा मालूम होती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक की जिम्मेदारी है। यह तो ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। यदि कार्यकुशल तथा दक्ष अध्यक्ष हो तो बहुत सुगमता से कार्य-संचालन किया जा सकता है, पूरी परिस्थिति को भी संभाला जा सकता है।

मान्यवर, मेरे निवेदन करने का मतलब केवल यह है कि जो उत्तर प्रदेश सिरमौर भारतवर्ष का समझा जाता रहा और इसी प्रदेश के रहने वाले यूनियन गवर्नमेंट तक का भी कार्य-संचालित करते रहे हैं जहां बड़े-बड़े मेधावी पुरुष और फ्लोर आफ दि सोसाइटी इस

स्थान की शोभा बढ़ाते रहे। जब यहां की ऐसी विचित्र दशा हो तो आश्चर्य होता है। ऐसे समय पुराना इतिहास हमारे सामने याद आता है कि यह वही उत्तर प्रदेश है जहां इतना हंगामा मचा रहता है, रोज निश्चय में परिवर्तन होते रहते हैं। उसके लिए दोषी कहना तो उपयुक्त न होगा, लेकिन आखिर जिम्मेदारी किसकी है? उसमें अध्यक्ष ही नहीं, मैं अपनी भी जिम्मेदारी ओढ़ता हूं और अध्यक्ष महोदय की भी समझता हूं। अतएव प्रार्थना करता हूं कि जहां हमें अपने अधिकार की फिक्र हो वहां हमारे ऐसे ना चीज साधारण सदस्य जो लाखों की जनता से चुनकर और निर्वाचित होकर आये हैं उनके अधिकारों की भी फिक्र करनी चाहिए "पयसा कमलं कमलेन पयः" पानी से कमल की और कमल से पानी की शोभा है। हाउस से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो मुझसे हाउस की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि सब मामले कक्ष में तय होते हैं तो वह कौन सी अभाव स्वरूप बात थी जिसकी वजह से यह प्रस्ताव यहां एक दम आ गया? उसको नहीं आने देना चाहिए था। विपक्ष के नेतागण मामलों को वैसे भी तय करा लिया करते हैं। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की और उन्होंने एक मामले को सुलझाया तो यह मामला जो एक बुरी परम्परा कायम करेगा, क्यों नहीं सुलझाया गया? मैं चाहता हूं कि यहां की परम्परा सुन्दर रहे और यहां के अध्यक्ष को लोग मिसाल के रूप में याद किया करें, यही मेरी विनय है।

श्री नेकराम शर्मा—एक स्पष्टीकरण करना था, श्रीमन्, एक मिनट लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैंने अपने भाषण में सदन के समक्ष जो जिक्र किया वह मैंने "स्टेट्समैन" में जो समाचार छपा था उसके आधार पर कहा है। मेरे भाषण को उसी समाचार के अन्तर्गत पढ़ा जाय।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके पूर्व मैं बजट सेशन में बोला था। दुर्भाग्यवश मैं आज नेकराम शर्मा जी ने जो प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय बनारसी दास जी हम लोगों की बातों से बहुत घबराते हैं और बीच-बीच में हमको रोकते हैं और विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो आपकी शोभा भी नहीं रहेगी। "हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देख कर आप शरमाइयेगा।" हम लोग जो तथ्य की बात करें, उसे आप कम से कम सुनने की तो दया किया करें।

अध्यक्ष महोदय के बारे में मुझे कोई विशेष बात नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि सदन का अधिक समय माननीय अध्यक्ष महोदय खुद ही ले लिया करते हैं। जब भी हम लोग अपनी फर्याद सुनाने के लिये खड़े होते हैं, पता नहीं कैसे वे बिना हम लोगों को सुने हुये स्वतः जान जाते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं और हमको बोलने नहीं देते। आखिर हम लोग चुन कर आये हैं और अपने अपने क्षेत्र की बात कहने के लिये आये हैं। उनको बोलने के लिये समय देना चाहिये। जितना समय हम लोगों को इंगित करने, पुलिस को बुलाने और हमको निकालने आदि में निकल जाता है उससे कम समय में तो हम लोग बोल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं सबसे गड़बड़ बात यही है कि जितना समय हम लोगों को कुछ कहने के लिये चाहिये, उससे ज्यादा समय अध्यक्ष महोदय इन कामों में खर्च कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय की वह कुर्सी इन्साफ की कुर्सी है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि अध्यक्ष महोदय सरकारी पक्ष के किसी बड़े आदमी के इशारे पर नाचा करें। मैंने अनेकों बार देखा है कि जब भी अध्यक्ष महोदय कोई इंसाफ करने की कोशिश करते हैं और कोई कड़ा

[श्री बांकेलाल]

रुख अख्तयार करते हैं तो वे जब माननीय मुख्य मंत्री की तरफ देखते हैं और उनका कुछ और इशारा पाते हैं तो झट अपना रुख बदल लेते हैं और गैरइंसाफी की तरफ उनका कदम बढ़ जाता है।

तीसरी बात यह है कि एक दिन मैंने गिना कि उन्होंने यहाँ सदन में ३०० बार से अधिक बार "आर्डर आर्डर" शब्दों को प्रयोग किया। ३०० बार तक तो मैंने गिना, बाद को जब थक गया तो छोड़ दिया। इस वक्त उसका प्रयोग जरूर बन्द है, किन्तु पिछले ४-५ महीनों में उसका निरन्तर प्रयोग हुआ। कोई भी बात हम लोग यहाँ कहना चाहते हैं, परेशानी की या दफा ५३ की, तो वह कह देते हैं कि कक्ष में, कमरे में, बात कर लेना। पता नहीं कमरा क्या है। कमरे में जाने पर माई डीयर, माई डीयर, उनका हमारी समझ में नहीं आता। मैं तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि गाली ही देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हम सब लोग बच्चे हैं और इसलिये वह माई डीयर, माई डीयर करके हमसे बात करते हैं।

ऐसे ऐसे मामले यहाँ अभी आये हैं, जैसे गोरखपुर में गोलीकांड हुआ। मैंने खुद जाकर देखा कि वहाँ की सड़कें खून से पट गई थीं। वहाँ के डी० आई० जी०, डी० एम० और डी० वाई० एस० पी० ने और पुलिस कर्मचारियों ने जैसा अत्याचार किया है उससे छोटे-छोटे बच्चे के खून से सड़कें लबरेज हो गई हैं। तमाम लोग अस्पताल में पड़े हुए थे। जब हम लोग उसे सदन में लाना चाहते थे तो अध्यक्ष महोदय ने रोक दिया। हम यहाँ चुनकर जनता की बात कहने के लिये आये हैं, सरकारी अधिकारियों से जनता पर जो अत्याचार होता है उसे कहने के लिये आये हैं। वह हम कहने नहीं पाते हैं। इसलिये हम लोगों का अध्यक्ष महोदय के ऊपर अविश्वास है कि वह इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठ कर सबको समान नहीं समझते। उस पक्ष के भी बहुत से सदस्यों को, जैसे माननीय विकल जी हैं, उनको भी समय नहीं दिया। बहुत लोगों ने समझाया, तब उन्हें समय दिया गया और कितने ही बैठे हुये लोगों को कह दिया गया कि आप बोलिये।

सदन में हंगामा, हुल्लड़बाजी और अवैधानिकता जितनी भी आज तक हुई है उस सबकी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय के ऊपर है चूंकि उन्हीं के जरिये सारी दुर्व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। यह क्या तरीका है कि जिसे इंगित किया जाये वह तो निकाला ही जाये लेकिन जिसे इंगित न किया जाये वे सदस्य भी घसीटकर निकाल दिये जायं? कोई सुनवाई नहीं होती। मैं समझता था कि सदन की बहुत मर्यादा है। मैं यही सोचकर खड़ा हुआ था कि यहाँ आकर कुछ सीखूंगा, जनता को जाकर कुछ सबक बतलाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद सिवाय उद्दंडता के और गलत-फहमी के और कुछ लेकर मैं नहीं जाता हूं।

इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के खिलाफ श्री नेकराम शर्मा के अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यही कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को माननीय बनारसीदास जी जरूर यह शेर सुना देंगे या वह प्रोसीडिंग्स में पढ़ लेंगे—

गुल चढ़ायेंगे कबर पर जिनसे यह उम्मीद थी,
वह भी पत्थर रख गये सीने पर मर जाने के बाद।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, ऐसा अविश्वास का प्रस्ताव बहुत सुरक्षित हथियार माना जाता है। अल्पमत दल अच्छे वक्त पर अच्छे काम के वास्ते इस हथियार का प्रयोग किया करते हैं। जब वे दल प्रस्ताव करते करते, बहस करते करते, अपनी चीजों को रखते रखते, अनेक प्रकार की मांगों को करते करते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थक जाते हैं, परेशान हो जाते है, चिढ़ जाते हैं, उनके अन्दर जिद पैदा हो जाती है, तब यह अविश्वास का प्रस्ताव सरकार को गाली देने के लिये या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाता है।

अधिष्ठाता महोदय, यह सदन जब से चला है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रहा और इस बात की भी कोशिश करता हूं कि सदन की बैठक जब से आरम्भ हो और अन्त तक मैं सारी बातों को देखता रहता हूं और अपने को भी उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता रहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, शिकायतें हैं, ठीक हैं, होनी चाहिये। यह आपका अधिकार है और उसे चाहे आप बेवक्त इस्तेमाल करें, चाहे आप वक्त से इस्तेमाल करें, यह आपकी बुद्धि की बात है। वक्त से इस्तेमाल करेंगे, आपकी शोभा होगी और उसकी तारीफ होगी। उससे थोड़ा सा आपको लाभ भी होगा। बेवक्त इस्तेमाल करेंगे, लोग उसकी निन्दा करेंगे और आपको भी पश्चाताप होगा। गुस्से में, जल्दी में, आकर इस सुरक्षित हथियार का इस्तेमाल कर गये जो नहीं करना चाहिये था। दरअस्ल, मैं समझता हूं कि इस समय यह प्रस्ताव असामयिक था और कुछ जल्दी में, चिढ़ कर, क्रोध में, अपने इस पवित्र और सुरक्षित हथियार का इस्तेमाल कर डाला।

अधिष्ठाता महोदय, इंसान सोचता है कि जो वह करता है और सोचता है वह ठीक है और जो दूसरे उसके विपरीत सोचते या करते हैं वे गलत हैं। उसमें उन्हें अनेक प्रकार की खामियाँ नजर आती हैं। अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध और उपाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध ऐसे चारजेज हैं कि दरअस्ल हम भी उस हथियार के साथ कुछ अपना थोड़ा सा समय बिता रहे हैं। आपने जो इस पर एक दिन का समय ले लिया, हम समझते हैं कि किसी दूसरे दिन के लिये आपको यह हथियार सुरक्षित रखना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें आईं। वह इधर की सुनते हैं, उधरवालों की नहीं सुनते हैं, इधर की बातों को मानते हैं और उधर की बातों को नहीं मानते, मुख्य मंत्री की तरफ देखकर दब जाते हैं, वह काँग्रेसी हैं, एक पार्टी से प्रभावित रहते हैं, न्याय नहीं करते हैं, इस प्रकार की बातें यहाँ प्रस्तुत की गईं। श्रीमन्, मैं भी देख रहा हूं कि उधर के माननीय सदस्य, बिना बुलाये, दिन में २०,२० और २५, २५ मर्तबा खड़े होकर बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि विराजिये, बैठ जाइये, स्थान ग्रहण कीजिये, परन्तु उसकी कोई परवाह न करके वे बोलते रहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे जरा अपनी तरफ भी सोचें। एक दिन की प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें कि उन्होंने कितनी बार अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन किया है और सुबह से शाम तक कितनी बार उन्होंने अध्यक्ष की आज्ञा के विरुद्ध असंसदीय परम्पराओं का पालन किया है। यह बात दूसरी है कि प्रजातंत्र में अधिकार है कि जैसे चाहें तोड़-मरोड़ कर बात रखें। लेकिन अगर अपने गरेबाँ में निगाह डालकर देखें तो आप मुझसे ज्यादा गुनहगार निकलेंगे। आप जितनी संसदीय परम्पराओं को रोज काटते रहते हैं उसकी रोज मजम्मत करते रहते हैं, दरअस्ल, वह बात सदन के लिये शोभा की नहीं है। बहुत से दोस्तों ने उस चेयर को पाक-साफ और मुतबर्रक बतलाया। जब वह चेयर ऐसी है तो जिन कुर्सियों पर हम बैठते हैं ये भी पाक, मुतबर्रक और साफ हैं। यहाँ पर बैठकर हम अनर्गल बातें कहें, जो बातें न कहनी चाहिये वे कहें, अनुशासनहीनता करें, आड़ में से शिकार खेलें, दिल में कुछ हो, कुछ वह कहना चाहते हों और उसका अर्थ कुछ और ही होता हो, ऐसा करना भी सोचने और समझने की बात है। हम यह सभी जानते हैं कि हम चाहे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, हम अनुशासन से बंधे हुए हैं। कोई भी सदस्य क्यों न हो दूसरी पार्टी के लोग उसकी तभी इज्जत करेंगे कि जब कि वह अपने सिद्धांतों का मजबूत हो। हम लड़ते झगड़ते हैं, परेशान होते हैं, गुस्से में आकर न जाने क्या क्या बातें कह डालते हैं फिर बाद में उसी की शिकायत करते हैं। माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय भी इंसान हैं, उनके अन्दर भी वही खून और लज्जा है जो हम में है, उनका शरीर भी वैसा ही है जैसा हमारा है। उनको न्याय करना चाहिये लेकिन हमारा और आपका भी तो यह कर्त्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। माननीय मैनेजर सिंह जी जो यहाँ बैठे हुये हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कि वे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की आज्ञा के विरोध में खड़े न हुये हों।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को किसी का नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—अगर मेरे नाम लेने से उनको दुख हुआ है तो मुझे इसका दुख है। लेकिन यह बात नितांत सत्य है कि जो बात हमें अच्छी नहीं लगती उसके लिये यह सोच लेना चाहिये कि दूसरे को भी अच्छी न लगती होगी। माननीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो महाशय खड़े हुये हैं, वह बैठ जायं। लेकिन जब वे नहीं बैठते तो अध्यक्ष महोदय आज्ञा देते हैं और उनको निलंबित करते हैं तब आप शिकायत करते हैं। आप डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, उपद्रव करते हैं, अपमान करना चाहते हैं। कल ही मंत्री जी बोल रहे थे लेकिन उधर से न जाने किस प्रकार की आवाज आ रही थी और वह आवाज इस तरह से आ रही थी जो संसदीय नहीं थी। इसलिये दूसरी तरफ की बात हमें हमेशा सोचनी चाहिये। माना कि आपकी बुद्धि बड़ी तेज है, आपको उसी की वजह से उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है लेकिन आपको उसके साथ ही साथ सही और गलत भी सोचना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने और उपाध्यक्ष महोदय ने जितने भी निर्णय दिये हैं, मेरी समझ में उनमें से एक भी निर्णय गलत नहीं दिया। उन्होंने न्याय, ईमानदारी और उस कुर्सी की इज्जत का ध्यान रखते हुये ही निर्णय लिया है। यह हो सकता है कि उनकी कोई बात हमें पसंद न हो, यह भी हो सकता है कि कोई निर्णय गलत हो गया हो लेकिन जब हम गलत काम करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उनका उत्तर भी उतना ही कटु हो सकता है। मैं अपने सब दोस्तों से कहना चाहता हूं कि एक दूसरे की शिकायत न करते हुये जरा अपनी ओर भी देखें, जरा ठंडे दिल से सोचें कि हम कौन सा वायुमंडल यहां बनाना चाहते हैं, उन सब बातों पर थोड़ा गौर कर लें, तब हमें इस प्रकार की शिकायतों के करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक दफा भी इस तरह अपनी ओर निगाह नहीं डाली जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव असमय में आया है, इसको नहीं आना चाहिये और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि संसदीय परम्परा को कायम रखने के लिये वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि एक ऐसे विषय पर मुझे बोलने के लिये कुछ समय मिला है जिसके लिये आत्मा तो नहीं चाहती लेकिन दिमाग चाहता है। आत्मा इसलिये नहीं चाहती कि माननीय मदन मोहन वर्मा जी उसी वर्ग व पेशे के हैं जिसका कि मैं हूं। आप भी जो इस कुर्सी पर बैठे हुये हैं उसी पेशे के हैं। एक जज साहब कहा करते थे कि अगर इस कुर्सी पर कोई काठ का उल्लू भी बैठा हुआ हो, लक्ष्मी का वाहन बैठा हुआ हो, तो हम वकील उस उल्लू को भी विद्वान, ईमानदार यानी सब कुछ प्रशंसात्मक शब्द कह सकते हैं और कहते हैं, क्योंकि एक वकील को ऐसा ही कहना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि माननीय मदन मोहन वर्मा जी एक विद्वान हैं, समझदार वकील हैं। उस वकील के रूप में और माननीय सदन के एक साथी के रूप में उनके प्रति मुझे प्रेम है, सद्भावना है लेकिन दिमाग कर्तव्य की तरफ ले जाता है कि हम एक संसदीय प्रणाली की स्थापना करते हैं और हिन्दुस्तान में तथा हिन्दुस्तान के बाहर यह शोर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली में क्या हो रहा है? माननीय मुख्य मंत्री जी की पार्टी के पक्ष का पत्र जो नेशनल हैराल्ड है वह भी हमारे सदन के व्यवहार की कमेंट करता है। अक्सर इस सदन में सरकार के कार्यवृत्त का ऐडवर्स कमेंट नेशनल हैराल्ड में निकलता है और राष्ट्रपति राधाकृष्णन् ने भी यही कहा कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली क्या बन गयी है, हमें यह सोचना पड़ेगा। इसलिए सदस्य के रूप में हमें भी देखना होगा कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। संसदीय प्रणाली में एक शासक दल होता है। सदन में जिसका एक वोट से भी बहुमत होता है वही शासन की कुर्सी पर बैठता है। लेकिन यहां कांस्टिट्यूशन के अनुसार आप ४९ प्रतिशत जनता का वोट पाकर भी आधे से अधिक संख्या में आ गये जब कि ५१ प्रतिशत जनता का वोट पाकर भी विरोधी दल अल्पमत में रहा। लेकिन यहां कुर्सी पर बैठ कर आप अल्पमत जनता के वोट से आने के बाद बहुमत में होकर बहुमत जनता के वोट से आये हुए अल्पमत वालों का अनादर नहीं कर सकते

हैं। एक एक आदमी जो यहां आया है वह संसदीय प्रणाली के अनुसार ही चुन कर आया है। संविधान के अन्तर्गत हमें बोलने का हक मिला है, यहां जनता की आवाज उठाने का हमें हक मिला है। फिर अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या खतावार हो गये? क्या हम यहां चुप बैठे रहें?

एक तरफ आर्टिकल १९४ के अन्तर्गत हमें फ्रीडम आफ स्पीच दी गयी है। हमारा संविधान सबसे ऊपर है, अगर यह संविधान खत्म कर दिया जाय तो आर्टिकल २५६ के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप और हम सब इस सदन में इस पर बहस नहीं कर सकते हैं। इसलिये संविधान सब से ऊपर है। जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है वह हमारा गुरुजन है, पूज्य है लेकिन यदि वह उस कुर्सी का अपमान करता है तो उसे हटाने के लिये इस सदन को प्रस्ताव लाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय को सदन के सदस्यों ने ही चुना है और यहां सदन के हर सदस्य ने कसम खायी है कि हम संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। आर्टिकल १८८ के अन्तर्गत कोई सदस्य अगर चुन जाने के बाद भी कसम नहीं खाता है तो वह इस सदन में नहीं बैठ सकता है। इसलिये कि अगर वह संविधान को लोअर डाउन करता है, चाहे वह अध्यक्ष ही क्यों न हो तो वह मेम्बर भी नहीं रह सकता है। मैंने इस प्रश्न को राष्ट्रपति के सामने भी उठाया है और मैं आपके सामने थोडी सी बात ही कहूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से माननीय मदन मोहन वर्मा जी के बारे में कोई शिकायत नहीं है कि वे किस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं या क्या करते हैं लेकिन अध्यक्ष के पद पर बैठ कर जो व्यवहार उन्होंने किया है, चाहे वह जान बूझ कर किया हो या अप्रत्यक्ष रूप से किया हो, वह इस सदन के सामने हैं और उसी प्रश्न पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आप की पार्टी के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के पहले स्पीकर माननीय टंडन जी ने ३१ जुलाई, सन् १९३७ को कहा था, उन्हीं के ये शब्द हैं जिन्हें मैं अंग्रेजी में उद्धृत कर रहा हूं:

"On my part I can easily promise that it will be earnest end eavour to guard the rights and the privileges of this House and of the individual members composing it.

You are all aware that I belong to the Congress Party and every member of that party is pledged to work for the political independence of the country. Our presence here is only a step in that direction. While, therefore, the nature of my political work and my party connections are very definite, you have certainly a right to expect on the floor of this House that the opinion which I express regarding matters of procedure will be absolutely impartial."

श्री अधिष्ठाता—इसका आप अनुवाद कर दें।

श्री दीपनारायण सिंह—उन्होंने कहा था कि मैं सदन के अधिकारों की रक्षा करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं जो देश की आजादी की शपथ लिये हैं। मैं कांग्रेस दल का कार्य अवश्य करूंगा लेकिन सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में मेरा निर्णय कतई इम्पार्शियल (निष्पक्ष) होगा। मेरी व्यूज (विचार धारा) बेलेन्स्ड होंगी और निष्पक्ष होंगी। अध्यक्ष ही विरोधी दल के अधिकारों की रक्षा करते हैं वर्ना कोई भी प्रस्ताव आ जाय आप बहुमत से उसे पास करा सकते हैं, अगर मुख्य मन्त्री जी कह दें कि इस समय रात के १२ बजे हैं तो श्री बनारसी दास जी उस पर अपना ह्विप लगा देंगे और सब सदस्यों के वोट से उधर के बहुमत के बल पर यह भी यहां पास हो सकता है कि इस समय रात है, तो विरोधी दल के अधिकार की रक्षा इन हालात में यदि कोई कर सकता है तो वह केवल अध्यक्ष की इसी कुर्सी से यह आशा की जा सकती है।

अब मैं शुरू से लेता हूं कि पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन की आंख के सामने यह कहा कि जस्टिस मुल्ला का निर्णय संतुलन के बाहर है और वह वास्तविकता से परे है। उस पर मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर सदन में उठाया। यह इसलिये था कि माननीय अध्यक्ष उनको

[श्री दीपनारायण सिंह]

ऐसा कहने से रोक दें मुमकिन है उनको यह जानकारी न हो, बाकी वह एक वकील के रूप में पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं और मेरे कहने पर अध्यक्ष महोदय, अगर उनकी पक्षपात की नीति न होती तो उनको ऐसा करने से रोक देते, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय संविधान की धारा २११ का उल्लंघन किया था। यह भी उन से कहा गया कि यह मामला सब-जूडिस है उनके फैसले के खिलाफ स्टेट की तरफ से सुप्रीमकोर्ट में अपील चल रही है। उस के बारे में उस वक्त उन्होंने कहा कि वह ओबिटर-डिक्टा (obiter dicta) है इसलिये उस पर कमेंट हो सकता है। संविधान की धारा २११ की बात उनसे कही गई लेकिन बहस सुनने के बाद उन्होंने निर्णय उल्टा ही दिया कि कमेंट हो सकता है.....

श्री अधिष्ठाता---आप ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं एक शब्द भी ऐसे वैसे नहीं कहूंगा थोड़ा समय और आप दे दें।

श्री अधिष्ठाता---आप ५ मिनट और बोलें।

श्री दीपनारायण सिंह---यद्यपि संविधान के अनुच्छेद २११ का उल्लंघन हुआ था लेकिन उन्होंने अपना निर्णय माननीय मुख्य मन्त्री जी के पक्ष में न्याय और सिद्धान्त के खिलाफ दिया। मुख्य मन्त्री जी जजों क यह कहने लगे कि जज जो फैसला देते हैं वह ठीक नहीं होता, ऊट पटांग फैसला होता है तो सारी जुडीशियरी कांप उठेगी और जुडीशियरी खत्म हो जायेगी। श्री ए० एन० मुल्ला के निर्णय के सम्बन्ध में सदन में जो उल्लेख हुआ उस पर अपने (अध्यक्ष ने) यह निर्णय दिया "श्री ए० एन० मुल्ला के निर्णय से सम्बन्धित समस्त चर्चायें जो ३ व ४ मई, १९६२ को पुलिस अनुदान के सम्बन्ध में हुई हैं कार्यवाही से निकाल दी जायं। फलस्वरूप जो मेरा निर्णय माननीय दीप नारायण सिंह की आपत्ति पर दिया गया था, वह भी निकाल दिया जायगा।' उक्त निर्णय में दूसरे यह भी कहा अतः अनुच्छेद २११ भी हमारे नियमावली के नियम ३०० के अन्तर्गत आ जाता है और उसका अतिक्रमण भी व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता न कि विशेषाधिकार की अवज्ञा के रूप में। अतः अनुच्छेद २११ नियम ३०० के अन्तर्गत आ जाता है" और इस तरह से संविधान की धारा २११ नीचे है और उसको ढके हुए हैं नियमावली का नियम ३००, जब कि नियमावली सब्जेक्ट टू दी प्राविजन्स आफ दी कांस्टीट्यूशंस बने हैं। लेकिन अध्यक्ष की रूलिंग से ऐसा प्रतीत होता है कि यह असेम्बली संविधान को भी ढंकने वाले नियम बना सकती है और इस प्रकार उसको सेंक्टीटी को स्पीकर ने खत्म कर दिया।

दूसरे आप ३०४ नियम देखें। उसके अनुसार जो शब्द असंसदीय हों, डिगनिफाइंड न हों उनको हटाने का अधिकार अध्यक्ष को है। उनकी उपरोक्त रूलिंग क्या इसी नियम के अन्तर्गत आ जाती है? उनकी रूलिंग मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर दी गई अपने यानी स्वयं अध्यक्ष के उक्त निर्णय को हटाने वाली है। उन्होंने खुद निर्णय दिया कि उन्होंने ४ मई को गलत रूलिंग दे डाली थी जिससे मुख्य मन्त्री उस समय अपराधी होने से बच गये। तो उनको इस प्रकार रूलिंग को एक्सचेंज करने का अधिकार किस संविधान में है? आपकी (अध्यक्ष की) नकारात्मक समिति के बावजूद भी हाउस के सामने विशेषाधिकार का प्रस्ताव आ सकता है। मैंने इस पर रूलिंग ब्रिटेन की पार्लियामेंट की दी थी। १२ अप्रैल, १९६० में हाउस आफ कामन्स के अन्दर यह रूलिंग हुई थी। सर हैरीट हिल्टन फोस्टर स्पीकर की वाइफ के खिलाफ प्रिविलेज का प्रश्न आया और स्पीकर महोदय ने कहा कि सदन सुप्रीम है, सदन कोर्ट है अपने प्रिविलेजेज के बारे में। तो कंटेम्प्ट आफ दी हाउस के बारे में यह सदन कोर्ट है और सदन ही सजा दे सकता है वह निर्णय दे सकता है, मेरी सम्मति भी बेकार है। आप अध्यक्ष के रूप में विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में क्या हैं? एक मुन्सरिम या दारोगा हैं? केवल आप को सम्मति देने का अधिकार है, निर्णय देने का नहीं, मगर दरोगा किसी की रिपोर्ट पर चार्ज शीट नहीं लगाता है तो भी मुस्तगीस को अदालत में इस्तगासा दायर करने का अधिकार है और इस सदन के सामने इस्तगासा प्रस्ताव के रूप में आ सकता है। मैंने अध्यक्ष की १७ मई, १९६२

की रूलिंग के बावजूद सदन के सामने सीधे विचारार्थ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखा था जिसको भी उन्होंने (अध्यक्ष ने) २८ मई, १९६२ को सदन के सामने आने से रोक दिया और कहा कि यह प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं बनता। अगर विशेषाधिकार के प्रश्न पर पहले ही उनको निर्णय देने का अधिकार है तो फिर सदन की अदालत होने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। यह बहुत बड़ा सवाल उठता है, सदन के अधिकारों का। सदन को जो कोर्ट के रूप में फैसले करने का अधिकार है, उसको उन्होंने समाप्त किया है और सदन बन कर निर्णय दे दिये हैं।

मैंने यह बात राष्ट्रपति को २० सितम्बर को भेजी है कि वे इन तमाम बातों का निर्णय करा दें और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद १४३ में भेज दें। अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर से हटें ताकि संसदीय प्रणाली व संविधान की रक्षा करने वाला और कोई व्यक्ति आसीन हो।

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय नेकराम जी इस आदरणीय सदन में यह प्रस्ताव लाये और बहुत हल्के तरीके से इस प्रस्ताव को लाये। इस प्रस्ताव पर कितनी गंभीरता माननीय नेकराम जी और उनके साथियों ने समझी उसका सुबूत यह है कि सामने पड़ी हुई कुर्सियां खाली हैं। मान्यवर, जब आज इतना गंभीर प्रश्न इस सदन के सामने उपस्थित हो। जिस समय कि सदन के अध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव आया हो और जो माननीय नेकराम शर्मा जी ने पेश किया है उसके असमर्थन का सब से बड़ा सबूत यह है कि विरोधी दलों का एक भी नेता इस सदन में मौजूद नहीं है।

मान्यवर, इस तरीके से माननीय अध्यक्ष के विरोध में बातें कही गयीं और परम्परा की बात की गयी। ऐसे लफ्ज हमारे कानों को अखरते हैं। आखिर परम्परायें क्या ये दीवारें बना रही हैं या ये तख्ते बना रहे हैं या ये कुर्सियां बनायेंगी या हम लोग बनायेंगे जो यहां बैठते हैं? यहां हर प्रश्न पर इस सदन की परम्परा, मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा की ओट में गलत से गलत काम हम लोग कर लें क्या तब इस सदन की परम्परायें कायम होंगी? क्या अभी आधा मिनट पहले आपने नहीं देखा कि डेढ़ मिनट तक आप यह कहते रहे कि आप का समय समाप्त हो गया परन्तु माननीय सदस्य ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और मुतवातिर बोलते रहे? क्या इन बातों से हम परम्परायें स्थापित करेंगे? और फिर हम दोष लगायें उस व्यक्ति के ऊपर जो इस पवित्र कुर्सी पर बैठा हो।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य आपस में बात न करें और शान्ति से सुनने की कृपा करें।

श्री बृजभूषणशरण---मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना की परन्तु ये आपकी प्रार्थना को मानने वाले नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता---अब यह उनके लिये छोड़ दीजिये।

श्री बृजभूषणशरण---इसलिये नहीं छोड़ रहा हूं कि ६ महीने से मैं देखता चला आ रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष की किसी प्रार्थना की परवाह इन लोगों ने नहीं की और आज हमारे मित्र कहते हैं कि हम यहां परम्परायें कायम करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र---इनके पास कुछ प्वाइंट्स कहने को नहीं हैं ऐसा इनके भाषण से ज्ञात होता है।

श्री बृजभूषणशरण---स्पीकर साहब के कहते रहने के बावजूद दस दस आदमी एक साथ खड़े हो कर बोलते हैं और फिर कहते हैं कि बोलने की इजाजत नहीं देते। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आप बैठिये, मेरे कक्ष में बात कर लें लेकिन यह लोग नहीं मानते हैं। तो क्या यह पब्लिसिटी चाहते हैं? कई कई प्रस्ताव नियम ५२-५३ आदि के रखते हैं। यह जानते हैं कि अध्यक्ष केवल एक को ही स्वीकार कर सकते हैं। फिर भी जिनके नहीं स्वीकार होते वे अपनी बात यहां कहने के लिये आग्रह करते हैं। यह कैसी परम्परा है? काम करने की

[श्री बृजभूषण शरण]

सीरियसनेस एक मर्तबा भी मैंने नहीं देखी। हर मर्तबा हुडदंगा मचा रहता है फिर गोरखपुर का प्रस्ताव मेरा पढ़ा जाय या इनका पढ़ा जाय। संसदीय प्रणाली को कायम रखने के लिये रोज रोज मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और हाउस आफ कामन्स की बातें करने की जरूरत क्या है महज दिल्ली तक जाना काफी है। क्या माननीय सदस्यगण दिल्ली जाकर देखने की कृपा करेंगे कि संसदीय प्रणाली किस तरह से चलती है। जहाँ एक सदन में बहुत सी विरोधी पार्टियाँ हों वहाँ व्हिप के अलावा और कौन सा तरीका है सदन में व्यवस्था कायम रखने का। बहुमत पार्टी की सरकार होगी। सरकार जो अधिनियम बनाना चाहेगी उसके लिये विधेयक लायेगी और उस बहुमत पार्टी का व्हिप या उसका नेता यह तय करेगा कि कौन उसके प्वाइंट आफ व्यू को अच्छी तरीके से रख सकता है। मेरे एक माननीय बुजुर्ग दोस्त ने कह दिया कि कोई खड़ा होता है तो उसको मौका नहीं दिया जाता और दूसरों को मौका दे दिया जाता है। यह बहुमत की पार्टी तय करेगी कि कौन उसके पक्ष को अच्छी तरह से रख सकता है।

मान्यवर, हमारे आदरणीय मित्र जो इस किस्म की शिकायत कर रहे थे, मुझे अफसोस हुआ कि वे पार्टी में रहना चाहते हैं, पार्टी के एडवांटेजेज भी लेना चाहते हैं और स्वतंत्र सदस्य के रूप में काम करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि हम परम्परा बनाना चाहते हैं। मान्यवर, इतनी बड़ी शिकायत की गई है आपके सामने कि हमारे अध्यक्ष ने गोरखपुर के फायरिंग के संबंध में एडजर्नमेन्ट मोशन को एलाऊ नहीं किया। माननीय दीपनारायण सिंह जी कह रहे थे कि सबजूडिस मामले को नहीं उठाना चाहिये और माननीय नेकराम शर्मा जी ने नियम सुनाया और उसमें लिखा है कि कोई मामला यदि किसी कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है तो उसको एलाऊ नहीं किया जायगा। इस सदन में हम गोरखपुर फायरिंग के बारे में क्या डिसकस करना चाहते थे। यही तो हम चाहते थे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाय। यह लोग खुद कहते हैं कि हाई कोर्ट जज बहुत ऊंची चीज है, जुडीशियरी पवित्र है, इसलिये वह सही फैसला देगा तो जो वे चाहते थे वही तो किया गया। जब इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट जज के सुपुर्द कर दी गई फिर भी उसको प्रेस करने के माने हैं कि वे अखबारों में अपना नाम निकलवाना चाहते थे कि हमने यह कहा, हमने यह कहा। इसके सिवाय और कुछ नहीं था।

श्रीमन्, अभी बताया गया कि जस्टिस मुल्ला के मुताल्लिक मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया कि उसका जजमेंट संतुलन से परे है। क्या चार्ज श्रीमन् ये लगा रहे हैं? मेरी समझ में तो आया नहीं। जज के कंडक्ट के मुताल्लिक हम कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन उसके जजमेंट के मुताल्लिक हम सब कुछ कह सकते हैं। मैं संसदीय प्रणाली के बारे में भी दिखा सकता हूं। अध्यक्ष महोदय ने जब मेरे प्वाइन्ट को ओवर रूल कर दिया तो मैं उनके कक्ष में गया और उन्होंने मेरी बात मानी। जजमेंट के मुताल्लिक तो हम कह सकते हैं लेकिन जज के कंडक्ट के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते हैं। जजमेंट के मुताल्लिक सदन में और बाहर भी कह सकते हैं। उस दिन मुख्य मंत्री जी ने जजमेंट के मुताल्लिक कहा था, जज के कंडक्ट के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अगर इजाजत दी थी तो कौन सी ताज्जुब की बात थी। उस पर उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग प्रोसीडिंग्स से निकाल दी। मान्यवर, उस समय अध्यक्ष ने अपनी रूलिंग प्रोसीडिंग्स से निकाली थी जब सभी विरोधी दल के नेताओं ने कहा था कि जस्टिस मुल्ला के जजमेन्ट के मुताल्लिक जितनी बातें हुई हैं वे सब निकाल दी जायं। जब सब चीजें निकाल दी गईं तो रूलिंग का भी निकालना आवश्यक था। अगर रूलिंग प्रोसीडिंग्स में रही आती तो किस तरह से रेलेवेंट होती। क्या हम चाहते थे कि बहुत दिनों के बाद जब लोग हमारी प्रोसीडिंग्स का अनुसंधान करेंगे कि किस तरह से हमारी प्रोसीडिंग्स चलती थीं तो उनको यह चीज दिखाई पड़ेगी कि जिसका न सिर है और न पैर है। इसलिये इसका निकाला जाना जरूरी था क्योंकि उसका अगले और पिछले दोनों हिस्से निकल गये थे।

मान्यवर, टंडन जी की बड़ी दुहाई दी जाती है। मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं और उनके सामने सिर झुकाता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आज वे कुर्सी पर बिठा दिये जाते तो वही हालत होती जो आज है।

श्री मैनेजरसिंह—गलत।

श्री बृजभूषण शरण—गलत कहने की बात क्या होती है ?

श्री अधिष्ठाता—आप मुझसे कहें।

श्री मैनेजरसिंह—मान्यवर, श्रद्धेय टंडन जी के विरुद्ध जो बातें कही गई हैं उनको वापस कराइये।

श्री बृजभूषण शरण—मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि दस-दस विरोधी दल के सदस्य खड़े होते हैं कि प्वाइन्ट आफ आर्डर है अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर है। उन्होंने शायद प्वाइन्ट आफ आर्डर वाला रूल पढ़कर नहीं देखा, वह जानते नहीं हैं कि प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या चीज है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—आप नहीं जानते हैं, आपके वर्मा जी नहीं जानते होंगे।

श्री बृजभूषणशरण—मैं यह कहां कह रहा हूं कि आप प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते लेकिन प्वाइन्ट आफ आर्डर का वह विषय तो होना चाहिये। प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन को प्वाइन्ट आफ आर्डर कह देते हैं। हर बात को इस बात के जरिये से छिपा देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, "माई डियर" शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो एक सदस्य कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, हिन्दी तो पढ़े हैं। तो नियम तो पढ़ेंगे नहीं और किसी चीज को सुचारु रूप से चलने नहीं देंगे।

एक यह शिकायत की जाती है कि हम डेढ़ लाख आदमियों से चुनकर आते हैं और हम खड़े होते हैं। अगर हमको अपनी बात कहने का हक नहीं है तो हम किस लिये आये हैं। आप को कहने का हक है लेकिन यहां के नियमों के अन्तर्गत और नियमों के इन्फोर्समेंट का अधिकार अध्यक्ष को है अगर वह उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं तो फिर व्यवस्था कैसे होगी ? हर आदमी खड़ा होकर अपनी बात कहने लग जाय तो ४३१ सदस्य हैं। उनमें से अगर ३०० आदमी भी अपनी बातें कहें और अध्यक्ष महोदय उनका जवाब देने लगें और ५–५ मिनट लगें तो मान्यवर, जरा हिसाब लगायें, मैं तो मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, ६–७ घंटे इसी में लग जायेंगे और फिर सदन का कार्य कैसे होगा। इसलिये अगर आप अध्यक्ष को कंडेम करने लगेंगे तो आपको पहले अपनी नीतियों को देखना पड़ेगा कि हमारा कंडक्ट यहां क्या रहा है।

मान्यवर, जिस आदमी को एक निर्णय करने का काम सुपुर्द किया जाता है उसका काम सबसे ज्यादा अनप्लेजेन्ट होता है। एक नियम ५२ का प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार है, ७ आते हैं तो ६ आदमी अनिवार्य है कि नाराज हो जायेंगे। यह अनप्लेजेन्ट ड्यूटी और उस अनप्लेजेंट ड्यूटी को जो उस पवित्र कुर्सी पर बैठकर करेगा तो जिसको नाराजगी होगी वह कहेगा कि हमारे साथ ज्यादती की गयी है।

मान्यवर, शिकायत की गयी कि पुलिस बुलाई जाती है। क्या किया जाय, जिस तरह की परिस्थितियां यहां आती हैं उनमें ? क्या परसों आपने नहीं देखा कि जब सदन खत्म हो रहा था और १ मिनट बाकी रह गया था और कोई काम भी नहीं था लेकिन एक माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं, माननीय अध्यक्ष कहते हैं कि बैठ जाइये वह नहीं बैठते हैं और कहते कि नहीं बैठेंगे। तो क्या किया जाय ऐसी परिस्थिति में ? अगर डेढ़ लाख जनता से चुने हुए होने के कारण अधिकार मांगते हैं तो हमें अपने अधिकार नियमों के अन्तर्गत ही चलाने पड़ेंगे।

[श्री बृजभूषण शरण]

एक बात यह कही गयी कि सदन ऊपर है या अध्यक्ष ऊपर है ? सदन ऊपर है। किन्तु सदस्य के ऊपर अध्यक्ष है। किसी सदस्य का निर्णय सदन का निर्णय नहीं है। सदन का निर्णय तो वह होगा जो हम सब करेंगे। अकेला सदस्य जो बोल रहा है वह सदन नहीं है।

इन शब्दों के साथ मुझे दुख है कि माननीय नेकराम जी ने इस प्रस्ताव को रखा है मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो जल्दी में उन्होंने कर लिया है उसको वह वापस लें।

*श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का सदस्य रह चुका हूं। मैं पहली मर्तबा जब था तब भी देखा और अबकी बार भी देखता हूं। जिस कुर्सी पर आप इस समय बैठे हैं मुझे यहां सदस्यों ने बताया है कि माननीय टंडन जी बैठा करते थे और उधर जहां गुप्ता जी बैठे हैं वहां स्वनामधन्य पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त बैठा करते थे। एक बार की कहानी है। कोई सदस्य यहां सवाल कर रहे थे पंडित पन्त ने उनसे सवाली जुमला इस्तेमाल किया। टंडन जी ने फौरन कहा कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप जवाब दें, गवर्नमेंट जवाब देगी। मगर यहां रोज अध्यक्ष महोदय कहा करते हैं "सुनो"। यह क्या कोई संसदीय वाक्य है। अगर किसी आदमी के विरुद्ध फैसला होता है, वह कहता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ तो वह असंसदीय कहा जायगा और उसे निलम्बित किया जायगा ? दूसरी तरफ जो उस कुर्सी पर बैठे हों "सुनो" कहें तो क्या यह "सुनो" शब्द संसदीय कहा जायगा ? वह कह रहे हैं "सुनो", यह क्या संसदीय शब्द है ? आपको याद होगा पंडित लाल बहादुर शास्त्री केन्द्र के रेल मन्त्री थे। न वे ओवरसियर थे, न ड्राइवर थे, न इंजीनियर थे। रेल ऐक्सीडेंट हो गया उनकी मिनिस्ट्री में। उन्होंने इस्तीफा दाखिल कर दिया। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपसे अच्छा आदमी दूसरा कौन होगा जो रेल मिनिस्टर होगा और आप का क्या दोष है, जो आपने इस्तीफा दाखिल कर दिया ? उन्होंने कहा कि मेरे इन्तजाम में इतनी घटनाएं हो गयीं। मेरा जमीर भीतर से नहीं कहता है कि मैं अब इस कुर्सी पर बैठा रहूं। एक तरफ लालबहादुर शास्त्री हैं, दूसरी तरफ पंडित जी वहां बैठते हैं। टंडन जी ने जहां कहा था कि एक अपोजीशन का आदमी अगर मेरे विरुद्ध होगा तो मैं इस कुर्सी को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ यहां ११४ अपोजीशन के मेम्बर खड़े होते हैं, कहते हैं कि मेरा विश्वास नहीं है और विराजमान हैं। एक नैतिकता का सवाल है। कल से यहां लोग आवाज लगा रहे हैं कि आपके विरुद्ध हमारी भावनाएं जाहिर हो गयी हैं, अब आपसे हम को उम्मीद नहीं है कि फैसला अच्छा होगा। मैं रोज देखता हूं कि अदालतों में, यह हाउस बड़ा भारी है, स्पीकर का दर्जा हाईकोर्ट से मैं कम नहीं समझता क्योंकि वसीअ पावर हैं। उन अदालतों में जो मुकदमे चलते हैं जहां जबान से निकला कि अब हमारे मुकदमे की कार्यवाही बन्द हो जानी चाहिये, हमें विश्वास नहीं है, फौरन कार्यवाही बन्द हो जाती है और अवसर दिया जाता है कि आप अपना मुकदमा दूसरी जगह ले जायं। यहां ११४ मेम्बर कल से कह रहे हैं कि साहब हमारी भावनाएं मालूम हो गयीं, अब आप को नहीं बैठना चाहिये, मगर साहब बैठे हुए हैं। नहीं टस से मस हुए ? जब तक सौ में ५१ आदमी नहीं कहेंगे तब तक बैठे रहेंगे। इससे न्याय नहीं हो सकता।

आपको याद होगा एक बार इस सदन में जमींदारी उन्मूलन विधेयक जब पास हुआ था तो उसमें नियम यह था कि अधिवासियों को अधिकार रहेगा यह पांच वर्ष के बाद तय होगा। सदन यह तय करेगा कि वह निकाले जायं या उनको हक दिया जाय। विरोधी दल के २४, २५ आदमी हम लोग थे और यह सदन ११ बज कर ५५ मिनट तक चला रात को। माननीय रामकुमार शास्त्री को याद होगा, माननीय चन्द्रसिंह रावत को याद होगा। यह सब लोग सदस्य रहे हैं। ११ बजकर ५५ मिनट तक सदन चलता रहा और आज १५ मिनट के अन्दर ५, ६ कानून पास हो गये जिन पर ७ करोड़ जनता का भविष्य निर्भर करता है। यह जोतकर विधेयक सात करोड़ जनता से सम्बंध रखता है। मैं मानता हूं कि उन्होंने बोलने का पूरा अधिकार दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। लेकिन कितने आदमी बोले हैं? आप बताइये? डेढ़-डेढ़ लाख के प्रतिनिधि आये हुए हैं। अपने क्षेत्र में क्या बतायेंगे कि इतना अहम जो विधेयक आया हुआ था हाउस में उसके सम्बन्ध में क्या राय दी तुमने, उनसे पूछा जायगा तो वह क्या बतायेंगे कि हमारी क्या राय थी? किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। क्लोजर मूव हो गया फट से और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि प्रश्न उपस्थित किया जायगा। क्या उस दिन प्रश्न नहीं उपस्थित हो सकता था जिस दिन रात को ११ बजकर ५५ मिनट तक सदन चलता रहा? माननीय चौधरी चरण सिंह जी मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिए उनको दबकर, सलाह करनी पड़ी २४ आदमियों से और आज १८१ हैं। उस दिन २४ थे। २४ आदमियों से सलाह करनी पड़ी और अधिवासियों को सीरदारी का अधिकार देना पड़ा। यह वह असेम्बली थी। बी० बी० शरण जी आज क्या कहते हैं? गोरखपुर का मामला अभी कल परसों हुआ है। बी० बी० शरण जी बता दें जब गुप्ता जी बोल रहे थे और माननीय दीपनारायण सिंह जी ने उस प्वाइन्ट को बता दिया, प्वाइन्ट आफ आर्डर हुआ कि साहब, यह एक जज के फैसले पर जो बेचारा यहां मौजूद नहीं है कि अपनी सफाई दे सके, उस पर काहे को बोल रहे हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर कहते हैं कि नहीं, हो सकता है, चलने दीजिए और जब सदस्यों ने रख दिया प्रिविलेज कमेटी के पास भेजने का प्रश्न तो सब खत्म कर दिया। यह कोई निर्णय है जो रोज बदला जाता है या बनिये की दूकान है?

गोरखपुर का मामला अभी आया। यह सदस्य क्या चाहते थे? न्याय चाहते थे। माननीय मुख्य मन्त्री ने घोषणा की कि कोई जज साहब मुकर्रर हो रहे हैं जांच करने के लिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग देहात के रहने वाले हैं जानते होंगे, हमारे यहां बीसों आदमियों ने दरख्वास्त दी कि सब-इन्स्पेक्टर घूस लेता है, मुझसे कहा, मैंने माननीय पुलिस मन्त्री जो उस समय के थे सम्पूर्णानन्द जी उनसे जाकर उसी कुर्सी के पास बैठकर के कहा कि इसकी मैजिस्टिरियल एन्क्वायरी करा दीजिये। उन्होंने बड़ी खुशी से लिख दिया कि मैजिस्टोरि ल एन्क्वायरी कराई जाय। लेकिन जब मैजिस्ट्रेट जाने वाले थे सब-इंस्पेक्टर ने घेरा डलवा दिया और दरख्वास्त देने वालों को छिपा दिया, उनको बुलाकर के थाने की कोठरी में बन्द कर दिया जिसमें कि मैजिस्ट्रेट के सामने बयान न दे पायें। आज आप देखें क्या निकला है—दो आदमी मरे हैं जबकि १७—१८ आदमी वहाँ मरे हैं। दूकान पर बैठा हुआ आदमी मरा है, रास्ता चलता हुआ, रिक्शा वाला मरा है और रिपोर्ट आयी है कि दो आदमी मरे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि यही तो यहाँ के लोग चाहते थे कि जिनके हाथ में पावर है, जिनके हुक्म से काम चलता है उनको हटा दिया जाय ताकि जज जो जाय वह बेचारा खुली एन्क्वायरी कर सके, लोग उसके सामने आम तौर से न आ सकें। यही न अपोजीशन चाहता था; उनकी इतनी ही तो बात थी। आपने कहा कि नहीं आ सकता। यह सब क्या है? शरण साहब कहते हैं कि परम्परा की दोहाई दी जाती है। आप कोई नयी किताब लिख दीजिये तो उसकी दोहाई हम देंगे। परम्परा की दोहाई नहीं देंगे तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर सदन को ठीक से चलाना हो तो मैं एक आदमी हूं, अपनी खुशी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की बात छोड़िये, खेर साहब मेरी जगह पर खड़े हो जायं, मैं इस्तीफा दे दूंगा वह चुनकर आ जायं और स्पीकर हो जायं और इनको मैं हाथ जोड़कर कहता हूं हटा दिया जाय, इस सूबे के कल्याण के लिये यह मेरी प्रार्थना है आपसे।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नेकराम शर्मा जी ने अविश्वास का माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हूं। अभी तक यह देखा जाता था कि विरोधी दल की ओर से हर सत्र में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आता था, अब जब वे सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाते लाते हार गये हैं तो उन्होंने मालूम होता है कि इस प्रकार से अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना प्रारम्भ किया है।

अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव बहुत ही एक्सेप्शनल केसेज में लाना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, जो बातें विरोधी दल की ओर से अध्यक्ष के विरुद्ध कही गयी हैं वे केवल इस भावना को लेकर कही गयी हैं कि अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्यों की ओर से

[श्री श्रीराम तिवारी]

जो असंसदीय तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं, जिन के लिये सदन में ही नहीं, बाहर हम लोगों को सुनना पड़ता है कि जब विधान सभा के सदस्य, लाख और डेढ़ लाख जनता के प्रतिनिधि इस प्रकार असंसदीय रुख अख्तियार करते हैं और कानून और नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो किस प्रकार आशा की जाय कि बाहर जनता भी ठीक से अनुशासन में रहेगी और नियमों और कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगी, जब इस प्रकार की बात देखते हैं तो वे नियमों के पालन कराना चाहते हैं लेकिन उसे विरोधी दल के सदस्य इल फील कर इस प्रकार का यह प्रस्ताव लाये हैं।

अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दल के सदस्यों द्वारा बार बार टंडन जी का नाम लिया गया है और यह कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि यदि एक भी सदस्य कह देगा कि उसे उनमें विश्वास नहीं है तो वे त्यागपत्र दे देंगे। लेकिन क्या विरोधी दल के सदस्य यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि टंडन जी के समय में क्या कोई समय ऐसा आया कि जब एक ही दिन में इतने सदस्यों का निलंबन करना पड़ा हो, या ऐसा समय आया हो कि उनको मजबूर होकर सदन में पुलिस बुलानी पड़ी हो? जब विरोधी दल के सदस्य इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं तो नियमों का पालन कराने के लिये अध्यक्ष की ओर से कार्यवाही होती है और उस पर यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है।

अभी कुछ सदस्यों ने गोरखपुर की घटना का जिक्र किया। उस सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति माननीय मुख्य मंत्री की ओर से पढ़ी गयी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर यहाँ बहस की जाती। विज्ञप्ति के ऊपरी भाग में तो केवल एक सूचना थी जो एफ०आई०आर० के समान थी। एफ०आई० आर० के आधार पर किसी कोर्ट में निर्णय नहीं होता। कोर्ट को अधिकार होता है है कि वह पूरे मामले की छानबीन करे। विरोधी दलों की ओर से जो बहस के लिये माँग हो रही थी उसे अध्यक्ष महोदय ने रोका तो वह कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे विरोधी दल के सदस्य अपने साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा समझते। रोज देखा जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बार बार कहते हैं कि आप बैठ जाइये किन्तु विरोधी दल के सदस्य बोलते ही चले जाते हैं। सदन में कोई १५ ऐसे मिनट नहीं जाते होंगे जिसमें विरोधी दल के सदस्यों की ओर से नियमों की अवहेलना न की जाती हो। ऐसी परिस्थिति में यह प्रस्ताव बिलकुल निराधार है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि समय नहीं देते हैं बोलने के लिये तो मैं तो इस सम्बन्ध में यही कहूंगा कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिये अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। इस सदन में ४३१ सदस्य ह और उनमें से बहुत सदस्य से ऐसे होंगे जिन्हें बोलने के लिये मौका नहीं मिला होगा और बहुत से ऐसे भी सदस्य हैं जो बिना कहे हुये बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर है। एक रिजोलूशन है कि अध्यक्ष जब यहाँ मौजूद न हों तो जितनी बातें कही जाती हैं उसको वह कैसे सुनेंगे। जब सुनेंगे नहीं तो उनको कैसे कहने और सुनने का मौका मिलेगा? इसलिये उनको यहाँ पर होना चाहिये कि वह भी अपनी सफाई दे सकें। यहाँ पर जो कार्यवाही हो रही है वह एकतरफा ही कही जायगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय को भी यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिये कि वह भी स्पष्ट रूप से अपनी बातें यह कह सकें जो कि यहाँ पर कही जाती है उनके बारे में।

श्री अधिष्ठाता—मैंने आपकी आपत्ति सुनी। जो प्रक्रिया नियमावली है, उसमें साफ यह प्राविजन है कि अगर माननीय अध्यक्ष इस वाद विवाद में चाहें तो भाग ले सकते हैं और चाहें तो उत्तर भी दे सकते हैं। यह उनका वैकल्पिक मत है। यह डिसक्रिशनरी चीज है। उनको अधिकार है और उसका वह प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री श्रीराम तिवारी—अभी मेरे पूर्व एक सदस्य ने यह कहा कि माननीय खेर साहब ने ११ बजकर ५५ मिनट तक इस सदन की कार्यवाही को चलाया है। लेकिन आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब यहाँ समय बढ़ाने के प्रश्न पर मत लिया जाता है तो विरोधी दल वाले यह कहते

हूं कि समय न बढ़ाया जाये। तो यह कितना भ्रमात्मक है। मैं तो यह कहता हूं कि यह जो जोत कर विधेयक यहाँ पर चल रहा है उसके लिये यदि विरोधी दल के सदस्य चाहें तो रात रात भर इस सदन की बैठक की जा सकती है। हमको कोई एतराज नहीं होगा।

एक बात और कही गई जोतकर विधेयक पर कम बोलने का समय दिया गया विरोधी दल वालों को। परन्तु मैं समझता हूं कि सबसे अधिक समय विरोधी दल वालों को ही दिया गया है। विरोधी दल के सदस्य एक एक करके ४–४ और ५–५ घंटे तक बोले हैं और उन्होंने अपना मत जाहिर किया है। अब मैं अधिक समय न लूंगा क्योंकि लाल बत्ती जल गई है और मैं यही कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय का जो व्यवहार इतने दिनों तक रहा है वह विरोधी दल वालों के साथ लीनियेन्सी ही का रहा है। अगर इस प्रकार नियमों की अवहेलना होती है इस स्थान पर तो अगर वर्तमान अध्यक्ष के स्थान पर कहीं पूज्य टंडन जी होते तो इस प्रकार नियमों की अवहेलना कतई नहीं हो सकती थी और वह न इसको बर्दाश्त ही कर सकते थे वह इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करते।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में, अध्यक्ष संसदीय प्रणाली की धुरी होता है जिस पर यह सारा चक्र चलता है। उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों समान होते हैं। पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठकर अध्यक्ष को देखना होता है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो संसदीय परम्पराओं का बड़ा आदर करने वाले हैं। मैंने न कभी जबरदस्ती बोलने की चेष्टा की और न कभी ऐसे कृत्यों में भाग लिया। जो नियम के विरुद्ध होते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय की कठिनाइयों को भी समझता हूं। जब कुछ लोग यह चेष्टा करते हैं कि वह अपनी बात कहें, कई कई आदमी खड़े होते हैं कुछ को कुछ बात कहनी होती है, कुछ पब्लिसिटी के लिए खड़ा होना चाहते हैं। तो मैं उन कठिनाइयों को, जो अध्यक्ष के सामने ऐसे समय में उपस्थित होती हैं, समझता हूं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मेरे दिमाग पर जो इन ६ महीनों के भीतर एक इम्प्रेशन पड़ा उसके आधार पर मैं विवश हूं इस बात को कहने के लिए कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय एक पक्ष के हैं और वह पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ कर काम नहीं कर रहे हैं।

मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा आज बदनाम हो रही है और वह उत्तर प्रदेश जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में देश को लीड करता रहा और आज भी वह नेतृत्व में आगे है, वहाँ इस प्रकार की बातें होती हैं तो बड़ा दुःख होता है। मैंने बहुत सोचा, समझने की कोशिश की और इस नतीजे पर आया कि इस सब का एक मात्र कारण वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाते तो जो आये दिन की घटनाएं होती रहती हैं वे न घटती, यह मेरा निश्चित विश्वास है। मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा जो इस सदन में देखने को मिलती हैं और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी जिनका वर्णन किया है और करेंगे। मैं तो एक इम्प्रेशन जो मेरे मस्तिष्क पर बना है उसी के बारे में निवेदन करने वाला हूं अक्सर मैंने देखा है कि अध्यक्ष महोदय की रूलिंग वही होती है जो मुख्य मंत्री चाहते हैं। उनकी आँखें मुख्य मंत्री की ओर लगी रहती हैं और देखते रहते हैं कि मुख्य मंत्री क्या चाहते हैं, वही कहा जाय। जब मुख्य मंत्री की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं कि इसका निर्णय बाद में करूंगा। अपना जजमेंट रिजर्व रख लेते हैं। रोज रोज सरकार के सामने बड़े भारी प्रश्न नहीं आते। रोज रोज सरकार उलटने की बात नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों में एक पक्ष की बात करना मुख्य मंत्री की ओर देखना यह अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। इस सदन में अध्यक्ष मुख्य मंत्री के ऊपर हैं। अगर वे अपने पद का दायित्व समझते तो इस तरह की बातें न होतीं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं, कुछ अप्रिय घटनायें भी घटित हो जाती हैं, मैं उनसे

[श्री बसन्तसिंह]

पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि आखिर इसकी जड़ में क्या बात है ? इन सब की जड़ में एक ही बात है और वह है अध्यक्ष की अयोग्यता। कई अवसर ऐसे आये हैं जब कि यह देखा गया है कि उन्होंने पहले कुछ कहा है और बाद को कुछ कहा है। अगर उनको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो उनको २-३ घंटे अध्ययन करना चाहिये।

माननीय टंडन जी के बारे में जिन लोगों ने चर्चा की, क्या कभी उन्होंने उनकी योग्यता के बारे में भी चर्चा की ? मैं यह ठीक नहीं समझता कि लोग बात करते रहे, शांत न बैठें, लेकिन यह दोनों तरफ से होता है। कोई भी मंत्री आज यहाँ आदर्श उपस्थित नहीं कर रहे हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने इस हाउस का बहुत कम समय लिया है। मैं शांत बैठा देखता रहता हूं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं ? क्या हम इसी तरह से जनतंत्र के पौधे को पनपा रहे हैं ? मैं यह पसन्द नहीं करता कि महज पब्लिसिटी के खयाल से सदस्य अनर्गल बातें करते रहें, हूटिंग करते रहें, शोर मचाते रहें। हमें शान्ति के साथ माननीय सदस्यों की बातों को सुनना चाहिये और जवाब देने के वक्त उसका जवाब देना चाहिये। जब मैं यहाँ आया तो कुछ दिनों तक मैं यह सब घटनायें देखता रहा, किन्तु बाद में मैंने इन सब चीजों की तह में जाने की कोशिश की। उनके पीछे जाने पर मेरे मस्तिष्क पर ऐसा इम्प्रेशन बना कि अध्यक्ष अपनी जगह पर लचर हैं, वह अपने अधिकार का उपयोग ठीक तरह से नहीं करते हैं। सदन में माननीय अध्यक्ष मुख्य मंत्री से ऊपर हैं और उनको हर बात में उनकी तरफ नहीं देखना चाहिये। यह उनकी दुर्बलता है। अगर वे इतने दुर्बल न होते तो माननीय मुख्य मंत्री भी उनको हर बात मनवाने के लिये विवश नहीं करते। कभी कभी तो उनके निर्णयों को देख कर ऐसा लगता है कि क्या बचकानी चीज हो रही है। बहुत से सदस्य बोलते नहीं हैं, लेकिन जो चीज यहां होती है उसको समझते तो हैं। उदाहरण के लिये जब एक शिक्षक किसी क्लास में पढ़ाने के लिये जाता है, तो विद्यार्थी भले ही वह पढ़ता न हो, मगर अध्यापक की योग्यता को तो जान ही जाता है। भले ही विद्यार्थी कितना ही बुद्धू क्यों न हो। शिक्षक को ताड़ने में वह बड़ा कुशल होता है। अगर शिक्षक योग्यता से अध्यापन नहीं करता तो कक्षा में शरारत होती है। भले ही मैनेजमेंट उसका कितना ही संरक्षण करे। विद्यार्थी स्ट्राइक आदि करके उसका विरोध करते हैं।

क्या आज इन ४३१ सदस्यों में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो अपनी योग्यता तथा विद्वत्ता के बल पर अपना प्रभाव जमा सके ? हमें उसकी खोज करना चाहिये और अगर पहले से ही इसकी खोज की गयी होती तो उत्तर प्रदेश बदनाम न होता। शर्म से गरदन झुक जाती है जब बाहर लोगों में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्बन्ध में इन घटनाओं पर बातें होती हैं। सरकार के एक बहुत ही उच्च आफिसर हैं, जो चौबीसों घंटे राज्य के उत्थान में लगे रहते हैं, अभी देहली गये थे। मेरी उनसे बातचीत हुई, वे बता रहे थे कि उनकी गरदन शर्म से झुक गयी जब उनसे दिल्ली के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों ने यह कहा कि हम उस दिन के इन्तजार में हैं जब कि उत्तर प्रदेश के विधान सभा में जूता चलेगा। तो ऐसी हालत में हमें सोचना पड़ेगा। जब भी देश के सामने कोई संकट का समय आयेगा तो हम सब एक हो जायंगे। फिर आपको क्या चिन्ता है ? आपको इस पर सोचना चाहिये, अध्यक्ष को अपने पद का उत्तरदायित्व समझना चाहिये और पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ कर काम करना चाहिये। मेरा ऐसा खयाल है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे न तो अपने उत्तर-दायित्व को समझते हैं और न ही उस पर अमल करते हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं मैं यह भी नहीं कहता कि सदन का समय व्यर्थ में नष्ट किया जाता है, लेकिन मुझे बहुत सी बातें अपील नहीं करतीं जो हूटिंग और शाऊटिंग आदि होता है वह शुरू में नहीं था, लेकिन जो लोग यह समझते थे कि यह नहीं होना चाहिये, बाकी उनमें भी यह चीज फैलती गयी और वे भी इसको करने लगे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किन आदर्शों का निर्माण कर रहे हैं ? जब मैं इन चीजों को देखता हूं कि तो मुझे एक ही चीज

नजर आती है और वह यह कि यह सब वर्तमान अध्यक्ष महोदय के ही कारण है। इसका उत्तर-दायित्व सब उन्हीं पर है। जब तक वर्तमान अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं ये सारी बातें घटित होती रहेंगी। इन शब्दों के साथ जो अविश्वास का प्रस्ताव उनके विरुद्ध आया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

(श्री सैयद अली जहीर का नाम पुकारने पर)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—हम लोगों की तरफ से यह प्रस्ताव है, हमें भी समय मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिये।

***न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**—अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव पर आज सुबह से बहस हो रही है। हम सब यह भी जानते हैं कि इस बहस का क्या नतीजा होने वाला है क्योंकि जिन माननीय सदस्य ने पेश किया है उन्होंने कान्स्टीट्यूशन की वह दफा भी देख ली होगी जिसके मातहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये यह कायदा है कि अगर उनके रिमूवल का कोई रिजोल्यूशन होगा तो वह सिर्फ उस हालत में मंजूर किया जायगा जब हाउस की तमाम स्ट्रेन्थ यानी ४३१ का आधे से ज्यादा २१६ आदमी उसके मुआफिक हों। गवर्नमेंट या और किसी के रिमूवल के लिये यह चीज नहीं है वह तो सिर्फ अक्सरियत से हो सकता है लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अगर सहबन गवर्नमेंट के बहुत से मेम्बर मौजूद न हों और विरोधी दल की अक्सरियत हो जाय, तब भी वह प्रस्ताव मंजूर नहीं समझा जायगा क्योंकि उनकी संख्या २१६ नहीं है। मैंने इसका हवाला इसलिये दिया कि विरोधीदल के माननीय सदस्य भी इसकी अहमियत समझते होंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ओहदा एक अहम ओहदा समझा जाता है। हम यहां एक ऐसी जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके किसी बात पर निर्णय लेते हैं तो उस वक्त किसी किस्म की गरमी पैदा होने की गुंजायश रहती है, जोश आ जाता है, यह कोई गैर मामूली चीज नहीं है लेकिन उसको रोकने के लिये एक ऐसा शख्स भी हो जो इन चीजों को किसी खास सीमा से आगे न बढ़ने दे। इसके लिये अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है और इसी काम के लिये वह वहां बैठता है।

इसके लिये इस हाउस के सब लोगों ने मिल कर कुछ रूल्स बनाये हैं और ये रूल्स अक्सरियत के बनाये हुए नहीं हैं। यह नहीं है कि गवर्नमेंट पार्टी मजबूत थी, उसके मेम्बरान ज्यादा थे इसलिये उसने ऐसे रूल्स बना लिये हों, ऐसी बात नहीं है। यह सब की मुश्तरका राय से, विरोधी दलों, कांग्रेस के मेम्बरान और इन्डिपेंडेंट्स, सब ने मिल कर इन नियमों को मंजूर किया है और मंजूर करने के बाद उनको हमने अपनाया है। सवाल यह है कि इनमें से कितने रूल ऐसे हैं जिन पर इस सदन में रोजाना हम सब की तरफ से अमलदरामद होता है। मैं इसी तरफ खास तौर से आपकी तवज्जह दिलाऊंगा। मैं इसी की तरफ यह हम सब लोगों के देखने की बात है कि हम लोग इन नियमों का पालन कितना करते हैं। हम उन पर अमल नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि फैसले कायदे के साथ नहीं होते। फिर, उसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? नियम २८६ को मैं अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—जब सदन की भाषा हिन्दी है तो अंग्रेजी में क्यों पढ़ते हैं?

श्री अधिष्ठाता—ज्यादा अच्छा होता कि जब रूल्स हिन्दी में हैं तो आप हिन्दी में पढ़ देते। अगर वह नहीं हैं तो आप उसका अनुवाद कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—पहला रूल यह है कि वह और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ जो हाउस में काम हो रहा है उसी में मशगूल रहेगा। दूसरा रूल यह है कि—

"Shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner ;"

जब कोई मेम्बर बोलता तो वह बीच में दखल नहीं देगा और इस तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा जिससे डिसआर्डरली मेनर का बिहेवियर मालूम हो और जिससे सदन के काम में रुकावट पैदा हो। अक्सर ऐसा होता है कि एक वक्त में बारह-बारह आदमी खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसकी बहस छिड़ जाती है कि किसकी आवाज ज्यादा ऊंची होती है। तीसरा रूल इस तरह से है—

"Shall bow to the Chair while entering or leaving the House, and also when taking or leaving his seat ;"

अगर कोई मेम्बर अपनी जगह से उठ कर सदन के अन्दर या बाहर जायगा तो चेयर की तरफ झुक कर जायगा। चौथा रूल है—

"Shall not pass between the Chair and any member who is speaking ;"

अगर कोई शख्स तकरीर कर रहा हो खड़ा होकर तो उसके और चेयर के बीच में होकर कोई नहीं जायगा। पांचवा रूल यह है—

"Shall not leave or cross the floor of the House when the Speaker is addressing the House ;"

जिस वक्त स्पीकर खड़ा हो और वह कुछ बात कह रहा हो तो उस वक्त कोई मेम्बर न तो अपने जगह को छोड़ेगा और न हाउस के बाहर जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—जब अध्यक्ष को हाउस की तरफ मुखातिब होना चाहिये उस वक्त तो वह सेक्रेटरी से बात करते हैं, तो यह कौन सा नियम है ? नियमों का उल्लंघन तो वे खुद करते हैं। न्याय मंत्री को तो न्यायपूर्ण बात ही कहनी चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—छठां रूल यह है —जब मेम्बर कोई बात करेगा तो सिर्फ चेयर को मुखातिब होकर ही करेगा और किसी से बात न की जायगी। ७ वाँ रूल यह है—

"Shall ordinarily keep to his usual seat while addressing the House;"

जिस स्थान पर बैठा हुआ हो अमूमन वहीं से बोलेगा। ८ वाँ रूल यह है —

"Shall maintain silence when not speaking in the House."

जब हाउस में तकरीर करने के लिये खड़ा होगा तब तो बोलेगा लेकिन जिस वक्त तकरीर न कर रहा होगा उस वक्त हाउस में खामोश बैठा रहेगा अपनी जगह पर।

श्री काशीनाथ मिश्र—यह सब आदरणीय सदन के लोग जानते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जिसकी यहाँ मुमानियत है उसी पर माननीय सदस्य यहाँ अमल कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि जिस वक्त कोई तकरीर कर रहा हो, उस वक्त न तो कोई इंटेरप्ट करेगा और न बीच में बोलेगा और न रनिंग कमेंटरी करेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—जहाँ तक बीच में टोकने का सम्बन्ध है इसका तो हमें हक है।

श्री अधिष्ठाता—आप माननीय सदस्यों का उत्तर न दें।

श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, आप खुद समझ सकते हैं कि माननीय सदस्य ने इसको बिलकुल पढ़ा नहीं है, नहीं तो इस वक्त तो कम से कम वे खामोश रहते ही।

नियम २८७ को देखें जिसमें लिखा हुआ है—

"When a member rises to speak, his name shall be called by the Speaker. If more members than one rise at the same time, the member whose name is so called shall be entitled to speak."

कायदा यह है कि खड़े तो कई मेम्बर हो सकते हैं लेकिन एक वक्त में तकरीर केवल एक ही मेम्बर करेगा कि जिसका कि नाम स्पीकर महोदय पुकारेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बार इसपर उधर के लोग अमल करते हैं। ८–८, १०–१० और १२–१२ सदस्य खड़े हो जाते हैं एक साथ और हर शख्स बिना नाम पुकारे तकरीर करने लगता है और चिल्लाने लगता है और कोशिश करता है कि उसकी आवाज इतनी तेज रहे कि दूसरे को न सुनाई दे। (व्यवधान) मैं वह कायदे पढ़ रहा हूं जिनकी पाबन्दी करना यहाँ हम सब ने मंजूर किया है।

अब नियम २८८ यह है कि—

"A member desiring to make any observations on any matter before the House shall rise when he speaks and shall address the Speaker :

Provided that a member disabled by sickness or infirmity may be permitted by the Speaker to speak while sitting."

यानी जब कोई मेम्बर कोई आबेजरवेशन करना या बोलना चाहेगा तो वह स्पीकर को एड्रेस करेगा और जब उसका नाम पुकारा जायगा तब वह बोलेगा। उसके बाद नियम २८९ है—

"The matter of every speech must be strictly relevant to the matter under discussion."

जिस चीज पर बहस हो रही है उसी के मुताल्लिक स्पीच होनी चाहिये, यह नहीं कि बीच बीच में प्वाइंट आफ आर्डर और प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन दूसरे विषयों पर उठाये जायं जिनका कोई संबंध सदन के जारी विषय से न हो, इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिये। इसमें यह भी है कि कोई मेम्बर कोई इवेसिव जबाव सदन में नहीं देगा। दूसरे इसमें यह है कि कोई मामला जो अदालत में पेंडिंग है उस पर कोई कमेन्ट या राय जाहिर नहीं की जायगी। तीसरे कोई सदस्य दूसरे सदस्य के खिलाफ कोई व्यक्तिगत चार्ज नहीं लगायेगा।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह नियम तो सब को मालूम हैं, इन सब को सुनाने से सदन में क्या लाभ है, जो प्रस्ताव आया है उसी पर बोलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अगर कोई माननीय सदस्य किसी नियम को पढ़कर सुनना चाहें तो उस से कोई नतीजा निकालना चाहें तो यह उचित है और संसदीय है और ऐसा बराबर होता रहा है।

श्री सैयद अली जहीर—पाँचवा यह है कि "reflect on any decision of the House except on a motion for rescinding it ;"!

अगर एक बार फैसला हो जाय तो उसके ऊपर कोई ऐसी बात करना या एतराज करना मुनासिब नहीं है। तो यह सब कायदे बने हैं, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि अभी कल यहाँ एक मामला आया कि आया वोट आफ नो कॉंफिडेंस एडमिट होने के बाद अन्दर कन्सीडेरेशन है या नहीं। तीन चार बार इसी को लेकर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आधा-आधा घंटा सर्फ किया गया और बार बार वही बात कही गई कि चूंकि उसकी इजाजत मिल गई है इसलिये वह अन्डर कन्सीडरेशन और इसलिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यहाँ नहीं बैठ सकते, उन को यहाँ से हटना चाहिये। तो इस तरह से जब एक फैसला हो जाय तो दोबारा उसी को लेकर खड़े हो जाना मुनासिब नहीं होता। उसमें फिर यह भी कभी कभी हो जाता है कि बाज वक्त शिकायत हो जाती है कि ज्यादती होती है और फैसले बदले जाते हैं। हर वक्त खड़े हो जाते हैं नाम पुकारा जाय, न पुकारा जाय और एक हंगामा हो जाता है और झगड़ा किसी तरह से खत्म हो, उसके लिए ऐसा हो सकता है और हो जाता

[श्री सैयद अली जहीर]

है कि अध्यक्ष कोई बात मामले को खत्म करने के लिये कह दें। इस पर इल्जाम लगाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। इसी तरह से २९४ में दिया है कि अगर स्पीकर बोलते होंगे तो हर मेम्बर चुप होकर बैठा रहेगा। कितनी दफा यहाँ देखा गया कि एक तरफ स्पीकर साहब बोल रहे हैं और दूसरी तरफ मेम्बर साहबान बोल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। जिस वक्त स्पीकर बोले हर शख्स को खामोश हो जाना चाहिये और उनकी बात को सुनना चाहिये। इस तरह के जो कायदे बने हुये हैं और उनके ऊपर अगर अमल हो और उसके बाद शिकायत हो तो उसकी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से जब फैसला होने को होता है, यानी वायस कलेक्ट हो जाती है और घंटी बज जाती फिर उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिये, लेकिन यहाँ उसके बाद भी लोग तकरीरें करते चले जाते हैं और मामला वह कभी खत्म नहीं होता।

जहाँ तक अध्यक्ष का मामला है, आप जानते हैं कि अभी लैंड होल्डिंग्स बिल पर यहाँ डिस्कशन हुआ। तीन-तीन, चार-चार घंटे की तकरीरें हो रही थीं। हम जानते थे कि ये तकरीरें बिला वजह हो रही हैं जिसकी मन्शा यह है कि हाउस का वक्त खराब किया जाय। हमने कहा कि क्लोजर होना चाहिये। अध्यक्ष ने कहा कि नहीं और उन्होंने रोक दिया। हमको अच्छा थोड़े ही लगा। तो यह तो उनकी इम्पार्शियलटी का सबूत है। जहाँ तक हो सकता है दोनों पार्टीज को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से इक्के और ताँगे वाले अपने झगड़े चिल्ला चिल्ला कर तय करते हैं अगर उसी तरह से हम भी तय करेंगे तो जाहिर है कि फिर यह कहना कि अध्यक्ष हाउस में आर्डर नहीं मेन्टेन करते इसके कोई माने नहीं रहते।

एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। बार बार कहा गया कि गोरखपुर के मुताल्लिक डिस्कशन नहीं होने दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर जज एप्वाइंट नहीं होता तो आप लोग बार बार यहाँ पर खड़े होकर यह कहते कि जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये, आपने कमिश्नर को क्यों भेज दिया। कलेक्टर को तो इन्क्वायरी करनी ही थी। जब फायरिंग हो जाती है तो उसके बाद फौरन इंक्वायरी होना लाजिमी है। और जब कभी फायरिंग होती है तो हमेशा यह डिमांड आती है कि जुडिशल इन्क्वायरी होनी चाहिये। अब इसमें अगर हमने जुडिशल इन्क्वायरी मुकर्रर कर दी तो सारा इल्जाम रूल ६० पर। आखिर रूल ६० हमने अपनी तरफ से तो बनाया नहीं। सब की राय से वह बनाया गया है। अब अगर वह रूल ६० मौजूद है और डिस्कशन को बन्द करता है तो उसका इल्जाम अध्यक्ष के ऊपर क्या हो सकता है? लेकिन एक शिकायत बनी हुई है। हमारी तरफ से बहुत से लोग समझते हैं कि अध्यक्ष बाज वक्त हमारा कहना नहीं मानते लेकिन जो हाल है हाउस का, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि तमाम हिन्दुस्तान के लोग आज यू० पी० के ऊपर हंसते हैं कि आज यह हालत हो गयी है कि पुलिस आती है, लोगों को खींचती है तब भी नहीं जाते हैं, बीच में दूसरे लोग अड़ंगा डालते हैं और जब दूसरे लोगों को हटाया जाता है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज आता है। तो इन बातों का हमें रोकना है तभी यहाँ की शान बढ़ेगी, यहाँ की इज्जत कायम होगी और लोगों में रेस्पेक्ट होगी।

श्री कमलासिंह यादव—मैं एक एक्सप्लेनेशन चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से।

श्री अधिष्ठाता—इस समय पूछना कुछ उचित नहीं मालूम होता।

*श्री श्यामलाल—अधिष्ठाता महोदय, महान कौन है इस पर तीन, चार प्वाइंट्स रख कर असली बात पर आता हूं। (१) निष्पक्षता, (२) जो मोहब्बत में, प्यार में विश्वास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हो और डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी में विश्वास न करता हो, (३) माइट इज राइट पर विश्वास न करता हो, बल्कि राइट इज माइट पर विश्वास करता हो (४) जो कमजोर हो उस को उठाने में अपना सहयोग दे न कि जो ताकतवर हो उसका साथ दे।

जिस समय यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बातचीत की जा रही थी उस समय इस तरह की बातचीत की गयी थी कि यह आसन जो है विक्रमादित्य का आसन है और वे कितने महान थे। यह आसन जहाँगीर के न्याय का आसन है जो न्याय केवल भारत में ही नहीं प्रसिद्ध है बल्कि सारे संसार में प्रसिद्ध है। यह आसन उसी तरह का है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का आसन होता है। पाँचवा महानता का एक लक्षण और है और वह यह कि जो वर्चुअस ऐक्ट्स में विश्वास करता हो और विशस ऐक्ट्स में विश्वास करता हो। मैं सदन के वातावरण के बारे में स्वयं अधिक नहीं कहना चाहता। हृदय से आप स्वयं उस पर सोचें। न्याय मंत्री जी ने एक बात कही थी जो थोड़ी सी लगने वाली बात थी कि आप हूटिंग करते हैं और शान्त नहीं रहते। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान स्पीकर जो हैं जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि he is spokesman of the congress government, वह दिन दूर नहीं है कि जब टिरेनिकल डिक्टेटरशिप यहाँ पर कायम हो जायगी। अगर यहाँ पर लगाम सरकार पर इसी तरह से छूटी रही तो इस राज्य में नागरिकों की हालत जानवरों से भी बदतर हो जायगी। यहाँ पर सरकार का मुख्य लक्ष्य है डिक्टेटरशिप कायम करना और उसका समर्थन करना माननीय वर्मा जी का काम है लेकिन यह डिक्टेटरशिप रशियन डिक्टेटरशिप से भी खराब होगी। अब तक तो कम्युनिस्ट बहुत बदनाम थे। कहा जाता था वह तो उनका रूल डिक्टेटरशिप का है, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो वर्मा जी द्वारा कायम किया जा रहा है, यह रशियन और चाइनीज से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि "That is the dictatorship of proletariat and this is the dictatorship of capitalists." यह बहुत बड़ा अन्तर है। माननीय वर्मा जी के माध्यम से पूंजीपतियों के डिक्टेटरशिप यह सरकार कायम करने जा रही है। श्रीमन्, इस पर आप अवश्य ध्यान दें।

श्रीमन्, किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के नाम पर, किसान मजदूरों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के नाम पर और डेमोक्रेसी के नाम पर किसान और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। और आगे भी किया जायगा माननीय वर्मा जी के माध्यम से। इंडियन पैनल कोड का एक सेक्शन है जो मुझे इस समय याद नहीं है। लेकिन उसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी घर के अन्दर चला जाता है और कत्ल करता है, दूसरा आदमी बाहर ताकता है और एक आदमी तैयार रहता है तलवार लेकर, तो जो सजा कत्ल करने वाले को मिलती है वही सजा बाहर ताकने वाले को मिलती है। मान्यवर, वर्मा जी भले ही अच्छे हों लेकिन कानून में यह नहीं देखा जाता है कि हार्ट कैसा है, वहाँ तो ऐक्शन देखा जाता है। मनुष्य भले ही ऊंचा उठा हो, महान पुरुष हो लेकिन अगर कत्ल कर देता है तो धारा ३०२ में उसको फांसी होगी। उसमें कानून यह नहीं देखेगा कि वह इन्नोसेंट है या अच्छा है।

श्रीमन्, एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम क्षमा कर देंगे, अपोजीशन पार्टीज क्षमा कर देंगी लेकिन इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी, आने वाला जेनरेशन क्या कहेगा? आप लोग ठंडे दिमाग से सोच लीजिये, यह बात मैं कह रहा हूं। इसको उपेक्षा की दृष्टि से मत देखिये। यदि मैं सरकार को ट्रेटर कह दूं तो वर्माजी उसके सरदार हैं, चीफ हैं।

(माननीय सदस्य के श्री नेकराम शर्मा से बात करने पर।)

श्री अधिष्ठाता—यह इंस्ट्रक्शन्स आपको पहले ही ले लेने चाहिये थे, इस समय नहीं।

श्री श्यामलाल—पार्डन सर,

श्री अधिष्ठाता—अगर आपको कोई जानकारी करनी थी तो पहले ही कर लेनी चाहिये थी, इस समय नहीं ।

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, एक बात और देख लें कि इस स्टेट में कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं आया था कि माननीय अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस मुबाहिसा सदन में हो । मैं समझता हूं कि प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य माननीय शिवनारायण जी जब बोला करते थे तो चारों तरफ से उदारता रहती थी और उनको विशेष रूप से अधिक समय दिया जाता था और हमारे माननीय सदस्य श्यामलाल जी भी बस्ती के ही हैं इसलिये इनको विशेष रूप से ५ मिनट का अधिक समय मिलना चाहिये ।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय न्याय मंत्री जी बतलाइये कि किस सेक्शन में उन्होंने बात की है ?

श्री अधिष्ठाता—मैं आपकी सिफारिश का ध्यान रखूंगा ।

श्री श्यामलाल—अधिष्ठाता महोदय, सच हमेशा कड़ुआ होता है । जरा टालरेंस की क्षमता अपने में पैदा करें । एक बात और कहना चाहता हूं । प्रदेश के इतिहास में इस तरह का एक भी उदाहरण नहीं आया जब कभी इतने मेम्बर्स इंगित किये गये हों और निष्कासित हुये हों जितने हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य इस वर्ष निष्कासित किये गये हैं । क्या कारण है ? मैं इसकी जिम्मेदारी माननीय गुप्ता जी को नहीं बल्कि माननीय वर्मा जी को देता हूं । अगर हम कभी आपे से बाहर हो जाते हैं तो महज इसीलिये कि हमारे मौलिक अधिकारों की हत्या होती है ।

श्री अधिष्ठाता—अब आप अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

श्री श्यामलाल—दो तीन मिनट और दें ।

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट और देता हूं ।

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, fundamental right is next to life, मनुष्य की हत्या बरदाश्त के काबिल हो सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों की हत्या बरदाश्त के काबिल नहीं होती । जब आप अपना डिक्टेटोरियल रूल करते हैं तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं । माननीय न्याय मंत्री, अगर आप डेमोक्रेसी के नाम पर स्टेट को डेस्ट्रक्शन की तरफ ले जाना चाहें तो हम बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं । दोनों हाथों से तालियाँ बजती हैं । अभी अभी माननीय न्याय मंत्री ने कहा कि जिस को बुलाया जाय वह बोलने के लिये खड़ा हो । लेकिन जब एक आदमी बार-बार खड़ा होकर ध्यान आकर्षित न कर सके तो वह क्या करे ?

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट समाप्त हो गये ।

श्री श्यामलाल—एक मिनट और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा, एक मिनट और ।

श्री श्यामलाल—एक बात और कहना चाहता हूं । बेन जॉसन का एक वर्ड है—Everybody is in humour, आज सदन में वही बात आ रही है । माननीय स्पीकर ने इंगित कर दिया, फौरन माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा और एक महीने के लिये सस्पेंड हो गये । दूसरे दिन फिर प्रस्ताव आ गया और सस्पेंशन वापस हो गया । बेन जॉसन के Everybody is in humour, का एक कैरेक्टर है । जज कहता है कि चूंकि तुम तम्बाकू पीते हो इस लिये तुम जेल भेजे जाते हो । वह जेल चला गया । फिर वह

कहता है कि मैं तम्बाकू नहीं पिऊंगा। जज कहता है कि तुम छोड़ दिये गये। Every body is in humour माननीय वर्मा जी जितनी जल्दी से जल्दी सदन छोड़ें उतनी जल्दी यह सदन पवित्र होगा।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अधिष्ठाता महोदय, इस माननीय सदन में जब अत्यधिक खिंचाव हो जाय, सब के मस्तिष्क के स्नायुतंतु कुछ देर के लिये खिंच जाँय तो ह्यूमर के अवतार को, उसकी सजीव प्रतिमा को खड़ा होना आवश्यक हो जाता है। हमारे श्यामलाल जी उसकी साकार प्रतिमा हैं। भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह रहा है कि वह बस्ती से चुन कर आये। बहुधा जब यहाँ बड़ी गम्भीरता हो जाती है, कुछ चेहरे लाल हो जाते हैं, कुछ आवेश में होते हैं, कुछ नाराज होते हैं, तो वह खड़े हो कर सब का आप्यायन कर देते हैं। प्रसन्नता हो जाती है, बत्तीसियाँ खिल जाती हैं, गुबार निकल जाता है। तो हम सब लोग उनके कृतज्ञ हैं।

श्रीमन्, हमारे भाई नेकराम शर्मा जी ने यह प्रस्ताव पेश किया है। लगता कुछ ऐसा है कि इस प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने बैक बेंचर्स डे को कायम कर दिया। नेता लोग अनुपस्थित हैं और मैं भी बैक बेंचर ही हूं। सब से पीछे बैठता हूं। सोचा, आज उनका दिन है तो मैं भी कुछ बोल लूं। नेता लोग तो रहे नहीं जो अक्सर बोलते थे। इस प्रस्ताव पर ऐसे लोग बोल रहे हैं। बड़ा गाम्भीर्य प्राप्त हुआ है इस प्रस्ताव को। मैं खड़ा हुआ हूं, कोई सरकारी बेंच का प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, इस अत्यन्त मान्य सदन का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते। जिस सदन का सदस्य होना मैं गौरव की बात समझता हूं और बहुत वर्षों से इस सदन का सदस्य होने के नाते अपने को गौरवान्वित समझता रहा हूं। जनता का प्रतिनिधि एक प्रकार से विभूति सम्पन्न होता है क्योंकि जिसके पीछे इतने व्यक्तियों का मत मिले और इतने व्यक्ति उसे अपने हृदय का समर्थन प्रदान करके अपना प्रतिनिधि बना करके भेजें तो वह विभूति सम्पन्न तो है ही और जिसमें विभूति होती है उसमें भगवान का अंश होता है :—

"यद्यदिवभूतिमत्सत्वं श्री मर्दजितमेव वा।
तत्देवोवगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम्॥

जो कुछ भी लक्ष्मी अथवा बल प्राणिमात्र को प्राप्त है वह भगवान से ही प्राप्त है। जनता का अंश होने के नाते वह भगवद्विभूतिसम्पन्न व्यक्ति होता है। जनता जनार्दन जिसे गांधी जी कहा करते थे उनका प्रतिनिधि होकर वह यहां आया है। वैसा ही सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है और आदरणीय सदन में बैठने वाले हमारे सभी बन्धुओं को प्राप्त हुआ है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन में हमारे मेम्बरों की एक मर्यादा है, इस सदन की एक प्रतिष्ठा है, हम प्रत्येक की प्रतिष्ठा है। इस सदन का गौरव हमारा गौरव है और सदन के गौरव में हममें से प्रत्येक का गौरव निहित है। हम यहां जो भी कार्य करें, जो भी विचार व्यक्त करें, जो भी कदम उठावें वह केवल अपने व्यक्तिगत आवेश में, नाराजी अथवा क्रोध के वशीभूत होकर न उठावें। हम यह समझ कर कि हम एक ऐसे संगठन के सदस्य हैं जो आदरणीय है। स्वतंत्र राष्ट्र भारत के संविधान में जिस संस्था को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जो सर्व प्रभुता सम्पन्न है, सर्वशक्तिमान है, ऐसी एक संस्था और ऐसे एक संगठन के हम सदस्य हैं। उसकी एक मर्यादा है, उसका एक गौरव है, उसकी एक विशिष्टता है। हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में और उसके गौरव के अनुकूल हमें अपने कदम को उठाना है इस बात को ध्यान में रखें, यही हमारी मर्यादा है। सदा स्मरण रखें कि हम किस संगठन के और किस संस्था के सदस्य हैं और क्या उसका गौरव है, क्या उसकी महत्ता है और क्या उसकी विशिष्टता है। सदा इसकी जानकारी करें तो वहीं हमारी मर्यादा बंध जाती है कार्यों की। आज मैं इस विचार से खड़ा हुआ हूं कि जो विवाद हो रहा है उसको कुछ दूसरा मोड़ दूं। मैं अपने भाई नेकराम जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। पूछिये क्यों? इसलिये नहीं कि मैं आपको कोई दोष देने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम सब इस संस्था के सदस्य हैं, एक दूसरे पर आक्षेप करके हम अपनी मर्यादा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

को बढ़ाते नहीं परन्तु इसलिये कि आपने एक ऐसा कदम उठाया जिससे इस महान संस्था और संगठन के गौरव को क्षति पहुंची है, आज आप हमसे नाराज हो सकते हैं। सबमें दोष हो सकते हैं, सबमें भूलें हो सकती हैं और उस नाराजी से आप ऐसी परम्परा कायम करना चाहेंगे जिसका न कायम होना सदा के लिये हितकर और अच्छा होगा। मैं पूछता हूं कि २५ साल से तो मैं ही इसका सदस्य हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया हो।

एक सदस्य---आया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे स्मरण नहीं है। कभी नहीं आया। हमारे इस सदन के अध्यक्ष रहे टंडन जी, वह तो बड़े व्यक्तित्व वाले थे उनकी बात जाने दीजिये। अध्यक्ष रहे नफीसुल हसन साहब ५ वर्षों तक। वे मुसलिम लीग के मेम्बर थे। इस सदन के डिप्टी स्पीकर थे और उनको स्पीकर चुना। मुसलिम लीग के व्यक्ति थे, उसी के टिकट पर चुनकर आये थे। कभी उनके विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया। इसी सदन ने खेर साहब को बनाये रखा और हमारे डिप्टी स्पीकर, उस समय हमारे विरोधी दल के माननीय रामनारायण जी थे जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, कभी न डिप्टी स्पीकर के और न स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया। आज अविश्वास का प्रस्ताव आप ले आये हैं। स्पीकर एक प्रतीक है सदन की मर्यादा और गौरव का। आप कांस्टीट्यूशन की हिस्ट्री पर विचार करें जहां से स्पीकर का उदय हुआ है इंग्लैंड में, किन परिस्थितियों में, किन संघर्षों ने स्पीकर नाम को और स्पीकर को जन्म दिया है। हमने उसे स्वीकार किया है और जिस युग में यह स्पीकर उत्पन्न हुआ वह संरक्षक समझा गया सदन का। वह गौरव समझा गया सदन का, वह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना सदन के लिये। आज स्पीकर मनुष्य है, अगर भूलें उससे होती हैं, हो रही हैं कहीं तो भी इस सदन के गौरव और प्रतिष्ठा का वह प्रतीक है। आज सरकार के ऊपर आप अविश्वास ले आते हो तो ले आओ, दलगत राजनीति है। पर स्पीकर को इस संघर्ष से ऊंचा रखने की हमें कोशिश करनी चाहिये और इस गुटबन्दी से भी ऊंचा रखने की कोशिश करनी चाहिये। कभी उसे आप यह कहकर कि तुम कांग्रेस दल के अधीन हो, उसकी नीयत पर आक्षेप करेंगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो भी बहुमत दल होगा, आज कांग्रेस दल है, कल कोई जितने और दल हैं-स्वतंत्र पार्टी है, जनसंघ है, पी० एस० पी० है और हमारे कम्यूनिस्ट भाई हैं, आखिर लोकतंत्र का युग है, किसी न किसी दिन कोई भी दूसरा दल बहुमत में आ सकता है और उसका स्पीकर हो सकता है, और क्या होगा उस समय ?

आज हमारी दृष्टि से हमारा स्पीकर हमारे दल का नहीं है। मैं उसे नहीं मानता कि वह हमारे कांग्रेस दल का है। उस दिन से नहीं रहे जिस दिन कि स्पीकर हो गये। हमें वह मान के चलना है, यह विश्वास करके चलना है कि वह किसी दल के अधीन नहीं है। आज अगर केवल यह आक्षेप करके कि तुम किसी एक दल के हो और उसे निकालने की एक परम्परा हम डाल दें तो कल वही किसी भी दल का स्पीकर होगा, कभी भी निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर सकेगा। आप प्रतिक्रिया देखिये इस बात की। अगर स्पीकर को यह अन्दाज लग जाय कि हमको यही आक्षेप करके कि तुम एकदल के हो हटाया जा सकता है तो लामुहाला, और निश्चित रूप से किसी न किसी दल पर निर्भर रहने की नीति वह ग्रहण करेगा, नहीं तो चलेगा कैसे ? आप सोचें इस बात को। आप स्वयं अपनी ओर से उसे ढकेल रहे हैं। और फिर एक बात मैं और निवेदन करता हूं कि मैं इसे स्वयं मानता हूं कि जिस आदमी से काम लेना हो तो उसकी नीयत पर आक्षेप मत कीजिये और अगर नीयत पर आक्षेप कर दीजिये तो उसे मत रखिये। मैं आपसे कहता हूं कि यह गलत बात है। परम्पराओं के मुताबिक, अधिकार के मुताबिक आप चूंकि सरकार के ऊपर भी अविश्वास ले आते हों या ले आते रहे हों तो स्पीकर के ऊपर भी अविश्वास ले आयें, यह गलत बात है। आप सोचें, घर में एक आपका सेवक हो, तो सेवक की नीयत पर कभी

अविश्वास मत कीजिये, साधारण सी बात है और जब उससे यह कह दें कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम चोर हो तो फिर उसे अपने घर में रखना—

"ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ।"

उसे नहीं रखना चाहिये । आप क्या समझते हैं कि स्पीकर को हटा सकते हैं ? ४३१ हमारे सदन के मेम्बर हैं । २१६ आपके मेम्बर हों, तब आप स्पीकर को हटा सकते हैं । आप कभी २१६ होने वाले नहीं हैं । स्पीकर हटेगा नहीं । तो फिर क्या केवल मर्यादा का भंग हो रहा है, केवल आवेश में आप काम कर रहे हैं,

क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात्प्रणशश्यति ।।

यह कड़ी है क्रोध की, आवेश की । आपको सम्मोह होता है, आप भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये और फिर उससे स्मृति विभ्रम हो जाता है, क्या हमारा गौरव है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह हम भूल जाते हैं । बुद्धि का नाश हो जाता है । जहां बुद्धि का नाश हुआ तो फिर विनाश होता है । आप विवेक से, सोच कर काम करें । और फिर एक बात और निवेदन करना चाहता हूं ; सब से ऊंचा संगठन और संस्था इस देश में है आप की । आप प्रमाण उपस्थित करते हो, आप नजीर कायम करते हो कि किस प्रकार से और सारे संगठनों को काम करना चाहिये । ब्रिटिश पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, हमारे मित्र हैं, काशी नाथ जी, शायद वह घोंट घोंट कर पी गये हैं । क्यों ? इसलिये कि हम उसे एक प्रमाण मानते हैं, एक नजीर मानते हैं पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और सिस्टम की । हम उसे प्रमाण मानते हैं और उसकी नजीरों को हम पढ़ते हैं, आदर्शों को पढ़ते हैं और उन के अनुसार काम करने की चेष्टा करते हैं । आपके प्रदेश का यह संगठन आपके देश की समस्त संस्थाओं के लिये प्रमाण प्रस्तुत करेगा, कर रहा है और करना चाहिये । और फिर, जो जितना ही श्रेष्ठ होता है उसका आचरण उतना हैं बड़ा महत्वपूर्ण होता है । इसी दृष्टि से मैं इस पर विचार करता हूं । जैसे बड़ा चलता है, नीचे के लोग उसकी नकल करते हैं और वह प्रमाण हो जाता है । वैसे ही जनता चलेगी । आज हम क्या प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं इस पर आप विचार करें । उन नियमों और कानूनों को मैं आपके सामने नहीं पढ़ता, जैसे कि मेरे भाई पढ़ रहे थे और जिस पर काशीनाथ जी नाराज हो रहे थे । यह आप के बनाये हुये नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं और अवश्य ही उनका पालन होना चाहिये । न करें हम पालन तो आप समझें कि ऊपर से जो अपालन की धारा चलेगी वह नीचे के तमाम संगठनों में व्याप्त होगी और फिर लोकतंत्रात्मक पद्धति से कार्य नहीं हो सकता । इसी दृष्टि से मैं कहता हूं कि इस पर आप विचार करें । हो सकता है कि आपको कोई शिकायत हो । आप जिस तरह से बर्ताव करते रहे हों, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता । उससे आपको संभव है कष्ट पहुंचता हो, थोड़ी उससे उत्तेजना होती हो । मैं किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहता, लेकिन आप स्वयं विचार करें । हम से गलतियां हुई होंगी । हमारे बहुत से मित्र हैं, साथी हैं, जिनको घनघोर शिकायत है कि उनको बोलने का अवसर नहीं मिला, बावजूद इसके कि वह चेष्टा करते रहे हैं । क्षुब्ध हैं, पर हैं । हर कृत्य में, हर आवेश में हम हमेशा हर कदम उठा लें चाहे वह उचित हो या अनुचित, यह हो तो फिर हम कार्य का संचालन, विधि की रक्षा, परंपराओं की स्थापना और सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को सुरक्षित नहीं रख सकते । चलना ही होगा इस तरह सोच कर और देख कर । आप से एक बात और कहना चाहता हूं । हम तो लोकतंत्रात्मक संगठन में हैं । लोकतंत्र के दो दुकूल हैं—जिन के बीच से उस नदी का प्रवाह बहता है जिसे आप लोकतंत्र कहते हो । एक तट यह है और दूसरा वह । एक अधिकार है, दूसरा कर्त्तव्य । एक दूसरे के बीच से, दुकूलों के बीच से वह धारा बहती है । यदि एक भी तट टूट जाय, तो फिर नदी बहुमुखगामिनी हो जायगी, विपथगामिनी हो जायगी, पथभ्रष्ट हो जायगी । न जाने कहां जायगी जब तट नहीं रहेगा । जब सदन के प्रत्येक सदस्य के

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

अधिकार की बात हम उठाते हैं, उठाना चाहिये, तो फिर कभी कभी हम को यह भी सोचना चाहिये कि सदन के प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य क्या है। कर्त्तव्य पर अधिकार निर्भर करता है। यदि हम कर्त्तव्य का पालन नहीं करते तो कौड़ी बराबर हमारा अधिकार है। गांधी जी कहा करते थे "डू योर ड्यूटी ऐंड दि राइट विल फालो।" यह सिखाया उन्होंने। जिस प्रकार की अग्नि जलेगी, उसी प्रकार का ताप मिलेगा। जिस प्रकार कर्तव्य का पालन करोगे तो उसी प्रकार का अधिकार मिलेगा, यह तो एक लाजिमी चीज है। वह बच नहीं सकते। इस समय जो अधिकारों का अपहरण करेगा वह आततायी कहलायेगा। वह चूर होगा। तो मैं यह कह रहा था कि हम कर्त्तव्य पर विचार नहीं करते हैं। यह शृंखला बंधी हुई है एक दूसरे से। कर्त्तव्य और अधिकार एक दूसरे से बंधे हुये हैं। वह दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कर्त्तव्य हमारा क्या है यह तो आप जानते ही। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लोकतन्त्र का जो कर्त्तव्य है यही सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, जहांतक मैं समझ पाया हूं। मेरी छोटी बुद्धि है उसी के अनुसार मेरी यह भावना है कि हमको दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिये। लोकतन्त्र में यही सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। वह एक स्वतन्त्रता की बड़ी भारी मर्यादा है। हम पूर्ण स्वतन्त्र हैं। परन्तु हमारी स्वतन्त्रता तो वहां पर समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की स्वतन्त्रता खड़ी होती है। हम बहुमत दल में हैं और आप यहां पर अल्पमत दल में हैं। आपके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। वहीं पर हमारे कर्त्तव्यों को रक्षा करना भी आपका कर्त्तव्य हो जाता है। हमारी बातों में विरोध हो सकता है। हमें बुरा लग सकता है और चीजों का हम घनघोर विरोध कर सकते हैं। पर यह आप सोचें कि राजस्व मंत्री बिल पेश करने के लिये खड़े हुये और आप उनको बोलने न दें तो क्या परम्परा हो जायगी। इसी तरह से आपके नेता, विरोधी दल के खड़े हों और हम न बोलने दें तो क्या यह ठीक होगा? मैं पूछता हूं कि कैसे यह सदन चलेगा? नहीं चलेगा और चल सकता नहीं है। आज घरों में आपस में भाई भाई में, विरोध होता है तो इसी लिये विचारों के विरोध को देखते हुये लोकतन्त्र में विरोधीदल के लिये गुंजाइश रखी गई है। यदि आप हमारे अधिकारों का अपहरण करोगे तो आपके अधिकारों का होगा। मैं यह कहता हूं कि हमारा यह इतना बड़ा दल है और यह निश्चय कर ले कि हम आपकी तरफ के किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देंगे और आप यह निश्चय कर लें कि हम भी कांग्रेस दल के किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा। यह नक्खास की सट्टी हो जायगी। यह अगर हो रही है तो यह बड़ी लज्जा की बात है। यदि ऐसी बातें होती हैं तो हम दुनिया को क्या जवाब देंगे।

मैं एक चीज आपको बता दूं। जब महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास उपदेश लेने गए जब कि वह अपनी मृत्यु शैय्या पर पड़े हुये थे तो सारी बातें कहने के बाद आखिर में जो उन्होंने कहा कि देखिये, और बिलकुल लोकतन्त्र की सीमा बांध दी—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानी, परेषां न समाचरेत्॥

यह बात कही उन्होंने कि जो व्यवहार अपने को बुरा लगे वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। यही मर्यादा है कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिये। इसलिये आप क्रोध के आवेश में इस को पेश तो कर गये पर पास न करा सकोगे, जब आप यह जानते हो तो ऐसी परम्परा क्यों कायम करते हो जो कि आगे के लिये हमारे सब के लिये खतरनाक सिद्ध हो, कांटे की तरह से खटके, और क्यों ऐसा कार्य करो? आरम्भ से ही जिससे काम लेना है उसकी नियम पर आक्षेप करना यह लोकतन्त्र की परम्परा के विरुद्ध है और कभी नहीं किया जाना चाहिये। जब किया जाता है तो हाउल हिम डाउन वाली बात हो जाती है। एक दूसरे की नीयतों पर जब आक्षेप होने लगेगा तो भी काम नहीं चलेगा। हमको कोई गाली देता है तो हमको बुरा लगता है, तो हम को भी नहीं देनी चाहिये। हम आपका अपमान करें तो आपको बुरा लगना स्वाभाविक है, तो हमारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि हम भी न अपमान करें। आज में इस बहस को एक दूसरा ही

मोड़ देने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप इस पर विचार करें और सोचें, मैं तो जानता हूं। हमारे भाई माननीय अली जहीर जी ने जब उस प्रस्ताव को, हम जानते हैं.....

श्री मैनेजरसिंह—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्री ने २८६ प्रक्रिया की धारा का उल्लेख किया। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी आपके समक्ष एक फाइल बांट रहे हैं। ३ बार अधिष्ठाता महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने उठायी—उसी से संबंधित है। हम लोग चाहते हैं कि नियमों का पालन हो, मैं न्याय मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मुख्य मंत्री ने आपकी बात सुन ली, माननीय वित्त मंत्री अपना भाषण जारी करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—क्या करूं, अधिष्ठाता महोदय, मैं कभी किसी को टोकता नहीं और बीच में जब कोई विचारों की शृंखला टूट जाती है तो जो कुछ कहते रहिये उसमें भी दिक्कत पड़ जाती है। मैं सचमुच भूल गया कि क्या कह रहा था। अस्तु, मैं कदाचित् निवेदन कर रहा था कि कर्तव्यों और अधिकारों, दोनों प्रकार की मर्यादाओं के ऊपर हमारे जीवन का संचालन हो, इस दृष्टि से विचार करके हम कदम उठायें। आप और हम जानते हैं कि इधर से वोट न लिया जाय, केवल आपका वोट हो तो २१६ आयेगा नहीं। बिना वोट लिये आपका प्रस्ताव गिर जायेगा, उससे क्या लाभ, सिवाय इसके कि एक नैतिक बोझ आप अपनी संस्था, संगठन और विधान सभा के ऊपर डाल रहे हैं और एक ऐसी परम्परा की ओर अग्रसर होते हो जिसे आप स्वयं नहीं चाहते कि वह स्थापित हो। आप ऐसे अभावों का उद्दीपन करते हो जिसे आप स्वयं नहीं चाहोगे कि वह इस प्रकार से उद्दीप्त हों हमारे बीच। ऐसी स्थिति में आप उसपर विचार कर लें और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि इस आदरणीय सदन के एक छोटे से किन्तु पुराने मेम्बर होने के नाते—ठाकुर साहब से तो पुराना न होऊंगा, वह तो सन् २२ से हैं, उन्होंने बहुत झांझ कूटा है, हम लोगों ने भी गाइये गणपति जगवन्दन गाथा है, २०—२५ वर्ष से सदन के सदस्य हैं और बड़ा अभिमान होता है, गौरव का अनुभव होता है कि कहीं कौड़ी और राई बराबर जो जनता की सेवा हमने की है उसके रिकग्नीशन और उसको दृष्टि में रखकर उसने हमें यहाँ स्थापित किया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सदन की मर्यादा की रक्षा करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आज की और भविष्य की प्रतिष्ठा में धक्का पहुंचे। यह ऐसा कार्य हो रहा है कि जिसको अगर "लोकस्तदनुवर्तते" तो हमको और आपको लोकतंत्रात्मक संगठनों का चलाना कठिन हो जायगा। यदि हम अधिकार और कर्तव्य के बीच से अपने जीवन की धारा को प्रवाहित नहीं करते, एक तरफ चलते हैं और दूसरा किनारा टूट जाता है तो इस धारा के सूख जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मैं पुनः इस दृष्टि से विचार करते हुये समझता हूं कि इस प्रस्ताव को तो उपस्थित ही नहीं करना चाहिये, लाना ही नहीं चाहिये और अगर आया है तो यह समझ कर कि मुनासिब है कि यह वापस हो,तो उसे वापस होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वर्मा जी उसी जिले के रहने वाले हैं जिस जिले का मैं हूं और जिस समय माननीय वर्मा जी अध्यक्ष पद के लिये चुने गये थे तो हमारे जिले में एक बड़ी खुशी थी। हम लोग यह समझते थे कि जिस परम्परा का यहाँ हमेशा पालन होता रहा है, उसका पालन माननीय वर्मा जी भी करेंगे, परन्तु वैसा न देख कर मुझे दुख के साथ इस अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना पड़ा। अभी माननीय वित्तमंत्री जी के मार्मिक भाषण को सुनकर तथा इस सदन की मान-मर्यादा और परम्परा को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि कुछ और भाषण देना उचित नहीं होगा। मैं उनके सुझाव और निवेदन पर, कि यह अविश्वास का प्रस्ताव सदन की मर्यादा के विपरीत है, ऐसा समझता हूं कि अब

[श्री जगदम्बाप्रसाद]

उनकी इस अपील के बाद,यह उचित होगा कि मैं अपने साथियों से यह अनुरोध करूं कि वे इस सदन में एक उच्च परम्परा को कायम करें और इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापस ले लें। और मैं भी अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को, त्रिपाठी जी का सुझाव मानकर, वापिस लें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय नेकराम जी, आप प्रस्तावक हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना विचार व्यक्त करें कि अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री मैनेजरसिंह—मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अन्त में बोलें आप।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अधिष्ठाता जी, क्षमा करेंगे। नेकराम जी को अन्त में बोलने का अवसर मिलेगा, या स्वंय कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे। आपको उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि वह बोलें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय पांडेय जी, मैं केवल यह जानना चाहता हूं माननीय नेकरामजी से, जिससे आगे की कार्यवाही में सुविधा हो, कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है जो कुछ अभी कहा गया उसके बाद।

श्री नेकराम शर्मा—जिस वक्त मैं अपना उत्तर दूंगा, उस वक्त मैं अपनी प्रतिक्रिया बताऊंगा।

श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, असल में यह प्रसंग किसी भी व्यक्ति के लिये, चाहे वह विरोधी पक्ष में हो या शासक दल में हो, सुखदाई नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं और यह मानता हूं कि हमारे अध्यक्ष की इज्जत और उसकी पोजीशन इंग्लैंड के बादशाह की तरह से रहे ताकि हम कह सकें कि किंग कैन डू नो रॉंग। दिल में तमन्ना और इरादा भी यही है। आप इत्मीनान रखियेगा, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो सस्ती पाप्यूलैरिटी के लिये सदन के अन्दर किसी किस्म का सकस करना पसन्द करें या किसी को हूट डाउन करें। मेरे दिल में यह रहता है कि अगरमुझमें कुछ योग्यता है, मेरे पास कोई दलील है तो मैं अपनी दलील से विपक्ष को प्रभावित करूं, मुझे हूट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपने विरोधियों को दलील से मुंहतोड़ उत्तर दूं। जब निर्वाचकों ने हमें चुनकर यहाँ भेजा, अगर उन्हें मालूम होता कि यह सदस्य कोई सम्मान जनक पार्ट अदा नहीं कर सकेगा तो मेरा खयाल है कि वे वोटर फिर से विचार करते कि इस सदस्य को भेजा जाय या नहीं। उन्होंने हमें कुछ ऊंची बात कहने की आशा करके यहाँ भेजा है, ताकि हम उनकी कुछ सेवा कर सकें। अगर यहाँ जनतंत्र है, और सदन का सदस्य होने के नाते उसके रक्षक के रूप में हम बैठते हैं तो मैं यह कहूंगा कि मुझे अपने कर्तव्य और अधिकार पर भी ध्यान देना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकार पर भी ध्यान देना है। वैसे ही असेम्बली के मंत्रि-परिषद् और सदस्यों के कर्तव्य और अधिकारों पर भी ध्यान देना है। अगर मैं सही हूं तो मैंने पंडित कमलापति शास्त्री की एक किताब पढ़ी थी, बापू और मानवता। उन्होंने उसमें कहा था कि महात्मा गाँधी को एक बार फ्रांस से निमंत्रण मिला कि आइये, हम लोग मिलकर इस तरह का विधान बनावें कि जिसमें भविष्य में युद्ध संभव न हो सके। उसमें यह तय किया गया कि फ्रांस को हक होगा कि इतनी सेना रखे, इंग्लैंड को अधिकार होगा कि इतनी सेना रखे। तो महात्माजी ने कहा था कि जब अधिकार की ही बात हो रही है तो मेरा खयाल है कि हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। अगर कर्तव्यों का ध्यान दिलाया जाय तो संभव है उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें, कुछ इस तरह की भावना उनकी थी। रोजमर्रा इस सदन में हम और हमारे साथी अपने अधिकारों का हनन होना देखते हैं लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, मैं उसको मानता हूं। जब माननीय

गुप्ता जी का एक साधारण सा चौकीदार या डी० एस० पी० हमारी ओर जरा सी त्योरी चढ़ा कर देख भर लेता है तो सारा बदन कांप जाता है, जलील हो जाना पड़ता है लेकिन यहां बैठकर हम उन्हीं गुप्ता जी को खरी-खोटी सुनाते हैं, यह सब जनतंत्र की महिमा है जिसके कारण हम चीफ मिनिस्टर को भी इस सदन के अन्दर सब कुछ कह सकते हैं, तो विरोधीपक्ष की बातें उनको सहना भी चाहिये। यह मैं मानता हूं कि कमलापति जी एक विद्वान आदमी हैं, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ सरमन उन्होंने प्रीच किया वह विरोधी दल वालों को न कह कर अपनी पार्टी वालों को कहते तो ज्यादा अच्छा होता।

हमारे अध्यक्ष की पोजीशन तो उसी दिन ध्वस्त हो गयी जिस दिन किसी जगह उन्हें यह कह दिया गया—हमने इनको अध्यक्ष चुना और ये अपोजीशन का साथ देते हैं। उस दिन अध्यक्ष की क्या पोजीशन रह गयी थी ? अगर वे किसी और की कृपा के पात्र हैं तो कभी भी वे स्वतंत्र नहीं रह सकते और माननीय सदन की मर्यादा नहीं रह सकती। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहां जो कुछ अपने विचार प्रकट कर रहा हूं अध्यक्ष के विरुद्ध वह तो एक बहाना मात्र है, वरना अध्यक्ष के आसन को मैं हर प्रकार का सम्मान देने के लिये तैयार हूं, उस कुर्सी की कदर करने के लिये तैयार हूं, उनसे कोई हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है और न होने की संभावना ही है। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जब दो बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो संरक्षक हमेशा बड़े वाले लड़के को पकड़ लेता है इसलिये कि छोटा वाला बच जाय। लेकिन अगर वह संरक्षक छोटे को पकड़ ले और बड़ा हमला ही करता रहे तो उस समय तो विषमता बढ़ेगी ही। इसी प्रकार हमारी रक्षा का एकमात्र आधार स्पीकर ही होता है। हम जानते हैं कि उधर बहुमत है, वे जब चाहें हमें कुचल देंगे, इस प्रकार से जब हम अशरण होते हैं तो अध्यक्ष की ओर देखते हैं लेकिन अगर वह बजाय हमारी रक्षा करने के छोटे बेटे का ही हाथ पकड़ लेते हैं तब एक विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है, इस प्रकार की स्थिति है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इन सब का कारण क्या है ? कोई भी व्यक्ति जो इस अध्यक्ष की कुर्सी पर होगा वह क्यों चाहेगा कि खामख्वाह वह बदनाम होकर जाय। लेकिन इसका कारण क्या है कि अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार का आचरण हम लोगों से करवाना चाहते हैं, वह क्यों नहीं करवा पाते, इसमें राज क्या है ? नाम लेने के लिये जो विट्ठल भाई पटेल का नाम लिया जाता है, माननीय टंडन जी का नाम लिया जाता है, उनके पीछे दूसरा ही इतिहास था। पटेल ने पार्लियामेंट को बन्द कर दिया था और कहा था कि जब तक लार्ड इरविन माफी नहीं मांगेंगे हम पार्लियामेन्ट को नहीं खोलेंगे और इंग्लैंड से उनको माफी मांगनी पड़ी और यह केवल वहां पुलिस के घुस आने पर ऐसा हो गया था, लेकिन आज क्या है, उसी पुलिस के लिये हम पलक पावड़े बिछाते हैं और कहा जाता है कि सदस्यों को घसीट कर बाहर ले जाओ। इसकी जिम्मेदारी एकमात्र अध्यक्ष के ऊपर नहीं डाली जा सकती है। एक विशेष सर्किल हो गयी है जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर हमारे कुछ साथी यह सोचे बैठे हैं कि अपने इस आचरण से हम अमर शहीद हो जायेंगे, तो वह युग लद गया, अब भगत सिंह सर्कस करके कोई होने वाला नहीं है। अगर इस आचरण से कोई अमर शहीद हो जाता, पापुलर हो जाता या विजेता हो जाता तो हिन्दुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय राजनारायण जी हाइएस्ट वोट से जीत गये होते। यह बिलकुल गलत चीज है, इससे हम दुनिया की निगाहों में, जनता व वोटरों की निगाहों में गिर रहे हैं। हम खरी से खरी बातें शिष्ट भाषा में व्यक्त करें तो कोई बात नहीं है लेकिन इस तरह का आचरण बिलकुल गलत है। सरकार हमारी एकमात्र रक्षक नहीं हो सकती है। आपके जरिये मैं पंडित कमलापति जी से निवेदन करूंगा कि हमारा तो वे खयाल रखें लेकिन जब विकल जी आठ-आठ बार खड़े होते हैं और फिर भी उनको बोलने का मौका न देने की कोशिश की जाती है, हम जानते हैं कि इससे गवर्नमेंट को बेचैनी है कि कहीं हमारा यह बागी कोई विस्फोट न कर दे। गवर्नमेंट की बेचैनी को तो मैं समझता हूं कि लेकिन अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को कौन-सी बेचैनी है ? उनको तो उस आदमी के सम्मान के लिये, उसकी हिफाजत के लिये नंगे पांव दौड़ना चाहिये था कि वे बोलें, जिसको उनका भाषण सुनना हो सुने, जिसको न सुनना हो न सुने, लेकिन मैं तो उनको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो उनको अपनी पार्टी से निकाल दें, या उनको बागी करार दें लेकिन

[श्री सत्यदेव]

अध्यक्ष की निगाह में तो इस आदरणीय सदन का हर सदस्य बराबर है, चाहे वह इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो। वे तो आपकी कृपा के पात्र हैं।

इस तरह की जो स्थिति आ गयी है उसके लिये मैं कहूंगा कि वर्मा जी का कोई पोलिटिकल बैक ग्राउंड नहीं है, उनका कोई इतिहास नहीं है। अगर वर्मा जी की यह पोजीशन होती कि वे कांग्रेस के तपे-तपाये सिपाही रहे होते तो आज की स्थिति में उनको कुर्सी आफर की जाती कि आप इस कुर्सी को स्वीकार कीजिये। अगर किसी को प्रयत्न करने के बाद कुर्सी प्राप्त करने की नौबत आवे तो उसका सम्मान नहीं रह सकता। ऐसे आदमी का जब कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा तब तो वह नौकरी की तरह से उस चीज को समझेगा। इसका तो एक ही उपाय था कि कांग्रेस के चुने हुये सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव होता लेकिन इसका अधिकार अपोजीशन को दे दिया जाय कि वह अपनी तरफ से नाम सजेस्ट करे। क्योंकि जब कांग्रेस का बहुमत है तो लामुहाला उनका अध्यक्ष होना चाहिये। अगर इस चीज को गुप्ता जी मान लें तो जो भी अध्यक्ष होगा होगा उसमें अपोजीशन का विश्वास होगा और कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते उनका विश्वास उसमें होगा ही। जब तक अध्यक्ष का चुनाव इस तरह से नहीं होगा तब तक वह सबका विश्वास-पात्र व सर्वप्रिय अध्यक्ष नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति में रोग का निदान मैंने कर दिया है, उसका उपचार भी किया जा सकता है। नहीं तो मैं कहूंगा कि अभी भी वक्त है, अगर माननीय अध्यक्ष सदन को यह विश्वास दिला दें कि गुप्ता जी की त्योरी देख कर वे नहीं चलेंगे तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिष्ठाता महोदय, मेरी कोई इच्छा आज के इस विवाद में हिस्सा लेने की नहीं थी, परन्तु अभी आखिरी वक्ता श्री सत्यदेव जी ने कुछ ऐसी बातें कह दीं जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ स्थिति को साफ कर दूं। अभी उन्होंने यह आरोप कांग्रेस दल के ऊपर लगाया कि कांग्रेस दल ने अध्यक्ष के चुनाव के सिलसिले में अपने मन से ही निर्णय कर लिया कि अध्यक्ष के पद पर किसको बैठाया जाय। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उन्हें बतला देना चाहता हूं कि दुबे जी से उनके नेता श्री गेंदासिंह जी से, राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी से, और जहां तक मुझे याद है झारखंडे राय जी से भी बातचीत हुई थी। कुछ व्यक्तियों के नाम उन नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। और उन्होंने उन व्यक्तियों में से श्री मदन मोहन वर्मा का नाम मनोनीत किया था और उन्हीं का नाम कांग्रेस दल की ओर से या कांग्रेस के चुने हुये व्यक्तियों में से इस पद को सुशोभित करने के लिये तय किया गया। कदाचित् माननीय सत्यदेव जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। अभी मेरे दो साथी इस विषय पर वाद-विवाद में हिस्सा ले चुके हैं इसलिये मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना मैं अवश्य नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ इस सदन में पिछले महीनों में हुआ है उसने हमारे नाम को ऊंचा नहीं किया, मैं जहां-जहां अन्य प्रदेशों में गया और जहां-जहां इस सदन के विषय में जो अखबारों में बातें छपीं उन्होंने बहुत से लोगों की उत्कंठा बढ़ाई और उस के कारण उन्होंने हमारे विषय में अपने विचार भी दिये और उन विचारों से जो उन्होंने मेरे समक्ष और बाहर व्यक्त किये, उन्होंने हमारे नाम को ऊंचा नहीं किया। आखिर को हम अध्यक्ष को अपराधी बतलाते हैं, हम अध्यक्ष के बारे में यह राय रखते हैं कि वह कदाचित् इस दल की बातों को मानकर अपने निर्णय देते हैं। तो जहां तक मुझे ज्ञान है और जहां तक मेरी जानकारी है, इधर बैठने वाले भी मुझसे शिकायत करते रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय तो केवल उन लोगों (विरोधी दल) को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देते हैं, कई बार ऐसी शिकायत हुई कि वह इधर देखते ही नहीं। तो आज यह समझना और कहना कि अध्यक्ष महोदय कुछ ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जो निष्पक्षता का नहीं है, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कथन वास्तविकता से बहुत दूर है। जिस तरह से सदन में पिछले महीनों में काम हुआ है और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं और जो पद्धतियां सदन में अपनाई गई हैं उनसे मुझे काफी दुख हुआ है और मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत से पुराने सदस्यों को उन कार्यों से दुख हुआ होगा। अभी मेरे सम्मानित साथी श्री कमलापति जी ने बताया कि वह २५-२६ साल से इस

सदन के सदस्य हैं उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं देखीं और हमारे ठाकुर हुकुम सिंह जी जो इन सब साथियों के बीच में हैं और जिन को फादर आफ दि हाउस कहा जा सकता है उन्होंने भी इस तरह का आचरण जो इधर सदन के सामने देखने को आया है, वह कभी नहीं देखा....

श्री उमाशंकर तिवारी—माननीय मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि कभी उन्होंने ऐसा अध्यक्ष भी देखा था ?

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जायं, बीच में न बोलें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुये अपनी छोटी-सी आवाज को जो आवाज अभी यहां माननीय कमलापति जी ने उठाई और जिस की प्रक्रिया हमारे उन साथियों के मन में हुई जिन्होंने उठकर सदन में यह कहा कि वह अनुभव करते हैं कि जो उन्होंने पहले विचार अपने बनाये वे तबदील हों और जो प्रार्थना उन्होंने बाद में की कि जो इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन में आया वह प्रस्ताव इस सदन की मर्यादा और शान को बढाने वाला नहीं है और इसलिये मेरा भी अपने उन साथी से नम्र निवेदन है कि जो प्रस्ताव उन्होंने इस सदन में गुस्से में आकर प्रस्तुत कर दिया है वह अपने इस प्रस्ताव को वापस लें और ऐसा करके उस मर्यादा को बढ़ाने की चेष्टा करें जिसके बढाने के तथा प्रसारित करने के वे बड़े हामी हैं । मुझे विश्वास है कि शर्मा जी इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस दिशा में चलने की क्षमता अपने अन्दर पैदा करेंगे । अधिक न कहते हुए मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो सदन में शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात बतला दूं कि साढ़े ५ बजे तक का वक्त है । अब माननीय नेकराम जी १५ मिनट लेंगे और बाकी कार्य के लिये १५ मिनट रहेगा ।

श्री नेकराम शर्मा—जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया । मैं उन सभी का आभारी हूं। मेरे सामने एक बड़ी कठिन समस्या माननीय मुख्य मंत्री तथा त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत कर दी है । वे सदैव मेरे नेता रहे हैं। परन्तु इस वक्त एक बड़े कर्त्तव्य का सवाल भी मेरे सामने है । मैंने यह प्रस्ताव क्रोध व आवेश में आकर पेश नहीं किया है । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके दल को भी यह शिकायत है माननीय अध्यक्ष से कि वह पक्षपात करते हैं विरोधी दल के साथ और इधर के बैठने वालों को भी यही शिकायत है तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जरूर कोई कमी है उनमें और माननीय अध्यक्ष अपनी स्वेच्छा तथा विवेक से कार्य नहीं करते और कभी इस दल को खुश करने के लिये व्यवस्थायें दे देते हैं तो कभी उस दल को खुश करने के लिये व्यवस्थायें दे देते हैं। मैं ईमानदारी से मुख्य मंत्री जी से तथा त्रिपाठी जी से कहता हूं कि जब मैंने यह प्रस्ताव पेश किया हम नहीं चाहते थे कि मैं इसे लाऊं और माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह तथा झारखंडे राय जी ने यह कहा कि इसके लिये समय बढ़ा दिया जाय और हम उस पर वापिसी का विचार करेंगे । दुर्भाग्यवश उस दिन कुछ ऐसी दुर्घटनायें हो गयी कि माननीय रुद्र प्रतापसिंह जो बड़े सीधे और सच्चे युवक हैं एकदम एक महीने के लिये उनको इंगित कर दिया गया और सदन से एक माह को निष्कासित गया कर दिया यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसे वापस ले लिया, हम उनके आभारी हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आप हमें सजा दें ।

श्री नेकराम शर्मा—मैं बिलकुल सजा नहीं दूंगा । हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री सच्चे व्यक्ति हैं और ईमानदारी से काम करते हैं । हमारे जो माननीय नेता झारखंडेराय, गेंदा सिंह और दुबेजी माननीय मुख्य मंत्री के पास गये तो उन्होंने वर्मा जी का नाम लिया होगा लेकिन वे स्वयं ही अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव में खड़े हुए क्योंकि श्री वर्मा जी उनकी आशाओं के प्रतिकूल सिद्ध हुए । उसके बाद मुख्य मंत्री और त्रिपाठी जी से बात हुई । बहुत से कांग्रेस पार्टी के सदस्य

[श्री नेकराम शर्मा]

भी यह समझते हैं और यह मानते हैं कि २१६ सदस्य चाहिये अध्यक्ष को हटाने के लिये, अगर आप व्हिप उठा लेंगे तो २३२ और २४० भी हम हो सकते हैं और यह प्रस्ताव पास हो जायेगा। लेकिन वह बात नहीं है। मैं आपकी बात मानने को भी तैयार हूं लेकिन अच्छा होता कि हमारे माननीय नेताओं से बात करके इस प्रश्न को रखा जाता तो सोचा जा सकता था और विचार किया जा सकता था। अब ऐसी परिस्थिति में मैंने अधिष्ठाता महोदय को संकेत भी किया था। यहां दुबेजी, गेंदासिंह और झारखडेराय जी नहीं हैं जो खड़े हुये थे प्रस्ताव के पक्ष में। इन सब ने रोजमर्रा की व्यवस्थाओं और निर्णयों से परेशान होकर यह तय किया था। माननीय बनारसीदास जी जानते हैं कि पहले कई बार अध्यक्ष के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव आने वाला था लेकिन वह समय-समय पर टलता रहा। अब मजबूर हो कर यह प्रस्ताव करना पड़ा। कोई रोष की बात नहीं है। वर्माजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उनके साथ तीन चार साल काम करने का मौका मुझे मिला है। वे बड़े सरल हृदय हैं। उनके विरुद्ध यह प्रस्ताव पेश करने का भार मुझे दिया गया। अब मैं अकेले इसे कैसे वापस कर लूं। माननीय गुप्ता जी ही यह फैसला कर दें। एक तो कांग्रेस पार्टी से वे इस्तीफा दे दें क्योंकि वे आपका भी साथ नहीं देते, कभी आपको खुश करते हैं, कभी हमको खुश करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके ही २४९ सदस्यों में से कोई व्यक्ति हम चुन लें। ठाकुर साहब से हमने प्रार्थना की, नेगी जी से की, गोविन्द सहाय जी से की, पंडित कमलापति त्रिपाठी से भी कहता हूं कि स्पीकर बन जायं। मैं तो कहता हूं कि अगर त्रिपाठी जी स्पीकर बन जायं, फिर अगर कोई भी शोर हो यहां तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत बड़ी तरक्की आपने मुझे दी, धन्यवाद।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं ईमानदारी से त्रिपाठी जी की तरक्की चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि वे प्रधान मंत्री बनें, यहां के चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, लेकिन वे स्वयं आगे नहीं बढते हैं। उनकी तरक्की के लिये माननीय गुप्ताजी से हमको लड़ना पड़ा। वे तो हर समय पीछे हट जाते हैं। तो मैं कह रहा था श्रीमन् कि इस परिस्थिति में मुझको डाल दिया। इसका एक ही समाधान हो सकता है। कल डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध भी प्रस्ताव आयेगा। हमारे माननीय विरोधी दल के नेता शाम को या सुबह आ जायेंगे। इस प्रस्ताव पर आज मत न लिया जाय और कल वाले प्रस्ताव के साथ सम्मिलित हो जाय और दोनों एक साथ ले लिये जायं। मैं अकेले इस परिस्थिति में नहीं हूं कि इसे वापस लूं। अधिष्ठाता महोदय, ऐसे वक्त ही आपके विवेक की आवश्यकता हमको पड़ती है। माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, रामनूर्ति जी हैं, नेगीजी हैं, ये बड़े विचारशील हैं। अली जहीर साहब तो केवल वकालत कर देते हैं, वह अभी यह समझा रहे थे कि नियमों का पालन करें, लेकिन विचित्र भाई अभी भी यहां फाइलें पढ़ रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहस को आज जारी रखें, तब तक गुप्ताजी और त्रिपाठी जी हमारे नेताओं से बात करलें और अगर ये सब नेता लोग कह देंगे तो मैं वापस ले लूंगा। अगर यह स्वीकार हो तो हाउस इस वक्त स्थगित कर दिया जाय या यह बहस जारी रहेगी। और दोनों प्रस्तावों पर एक साथ निर्णय हो जायगा।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जहां तक मेरी जानकारी है यह प्रस्ताव आज ही के लिये फिक्स्ड है। यह आज ही हो जाना चाहिये- दूसरे दिन के लिये पोस्पोन न हो।

श्री अधिष्ठाता—माननीय नेकराम शर्मा जी, आप अपना जवाब पूरा कर लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अधिष्ठाता महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जिससे मैं समझता हूं कि कार्य करने में कुछ सहूलियत हो जायगी। श्रीमन्, माननीय मूवर ने एक सुझाव रखा है और उधर के बैठने वाले जो आदरणीय सदस्य हैं और खास तरीके से माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने सदन के सामने आपके द्वारा मूवर से प्रार्थना की है कि वह इस प्रस्ताव

को वापस ले लें। आप चाहते हैं कि स्वस्थ परम्परा कायम हो और उसको कायम करने के लिये जब कि आपका बहुमत है इतना मौका भी देना नहीं चाहते हैं कि सब लोग बात कर लें और दोनों का एक साथ वोटिंग हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि वाद-विवाद का अन्तिम चरण था और जवाब देने के लिये मैंने प्रस्तावक महोदय को बुला लिया। इसी बीच में उन्होंने सुझाव रखा, उसको सरकारी पक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सकता था और तब यह कल के लिये स्थगित किया जा सकता था। लेकिन यह बात सर्वमान्य नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—किसी को विरोध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—अभी भी अवसर है। अगर माननीय नेता सदन इसको स्वीकार करना चाहें तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। अगर वे चाहते हैं कि इस कंडीशन के साथ स्थगित न किया जाय तो मैं इस शक्ल में माननीय नेकराम शर्मा जी को अवसर दूंगा कि २,४ मिनट और हैं, उसमें वे अपना जवाब समाप्त कर लें। इसके बाद मतदान होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—(जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—किस विषय में ?

श्री रामचन्द्र विकल—इसी पर जो विषय चल रहा है। जो प्रस्ताव है वह बड़ा नाजुक और गम्भीर है और माननीय त्रिपाठी जी तथा नेता सदन ने अपील की है माननीय नेकराम जी से और मैं समझता हूं कि जो बात उन्होंने रखी है वह उचित है और विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करके अगर प्रस्ताव सर्व सम्मति से वापस हो जाता है तो हमारे सदन का और माननीय अध्यक्ष का गौरव बढ़ेगा। इस सुझाव को मैं अपील के तौर पर कह रहा हूं कि मान लें तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता—पहले इसके कि मैं नेता सदन से पूछूं, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका सुझाव यह है कि विवाद का अंत समझा जायगा। लेकिन अगर नेता सदन सहमत हों तो मतदान कल हो।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मतदान कल हो और उपाध्यक्ष जी के विरुद्ध जो प्रस्ताव है उस पर भी लोग बोल लेंगे और एक साथ मतदान हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, अगर नेता सदन स्वीकार करते हों।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिष्ठाता महोदय, मुझे ज्यादा कानूनी दृष्टिकोण का पता नहीं है कि जब आज के लिये ही प्रस्ताव रखा गया था, आज निर्णय नहीं होता तो कल निर्णय हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—कानूनी दृष्टिकोण तो स्पष्ट है। यह सदन सर्वोपरि है और प्रोसीजर का मास्टर है। अगर सदन चाहे कि कल मतदान करे, तो हो सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने जो बात कही वह स्पष्ट नहीं हुई। क्या इस विषय पर जिस पर आज वाद-विवाद हो रहा है उस पर भी कल विवाद होता रहेगा ?

अनेक सदस्य—नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष के विषय पर कल विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष के मामले में यह तय हो गया कि माननीय नेकराम शर्मा जी की आखिरी स्पीच है ?

अनेक सदस्य—जी हां।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस शर्त के साथ कि माननीय नेकराम शर्मा जी की बात मान ली जाय कि कल वोटिंग हो तब यह वोटिंग अन्तिम मानी जायगी नहीं तो वोटिंग आज करनी हो तो विवाद करने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—विवाद तो अन्तिम चरण में पहुंच चुका है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—विवाद तो हर हालत में समाप्त हो गया। उन्होंने उत्तर दे दिया। अब तो केवल वोट का मामला है। अगर कोई ऐसा आश्वासन हो कि कल बात करके बहस इसके ऊपर लिंगर होती है तो मौका दीजिये नहीं तो क्यों टालिये, खत्म कीजिये।

श्री अधिष्ठाता—माननीय नेकराम शर्मा कृपया स्पष्ट कर दें। क्या आपको स्वीकार है, आप अपने प्रस्ताव को इस रूप में स्वीकार करते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं माननीय नेकराम शर्मा से कुछ निवेदन कर दूं, उसके प्रकाश में पूछें तो अच्छा है।

मेरा निवेदन नेकराम शर्मा जी से है कि यद्यपि उन्होंने मुझ पर आक्षेप भी किया था कि मैं फाइल पढ़ता हूं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि वास्तव में इस हाउस का भी गौरव बढ़ेगा अगर वह इसको वापस ले लेते हैं और हम समझते हैं कि इस बात को मौलिक रूप से स्वीकार करते हैं कि वांछनीय यह है कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाय। वह चाहते हैं कि इस बीच में बातचीत कर लें और इस बीच में फैसला नहीं होता है तो कल पहले वोटिंग हो। अगर इस बीच में फैसला हो जाता है तो उसके प्रकाश में जो सदन निश्चय करेगा या दूसरे नेता लोग जो फैसला करेंगे उस प्रकाश में कल निश्चय होगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि जिन शब्दों में · · · · ·।

श्री नेकराम शर्मा—थोड़ा अंतर है। मेरा सुझाव यह है कि अगर फैसला हो जाता है हमारे नेता मान लेते हैं तो, नहीं तो मैं अभी पूरा बोला नहीं हूं, दस पांच मिनट बोलने का अवसर दिया जायगा और मतदान हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—विवाद का चैप्टर तो अन्तिम हो जायगा। पांच मिनट बाकी है। अगर किसी तरह से फैसला नहीं होता है तो पांच मिनट और आप बोल लेंगे और मतदान हो जायगा। क्या नेता सदन को स्वीकार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुख है कि हमारी अपील शर्मा जी तक उस हद तक पहुंच न सकी जिस हद तक हम पहुंचाना चाहते थे। मैं फिर भी उसको दोहराना चाहता हूं और फिर उनसे कहना चाहता हूं कि जैसा विचित्रनारायण शर्मा जी ने अभी कहा कि सदन की मर्यादा इसी में कायम रहेगी कि शर्मा जी आज बिना किसी शर्त के अपने प्रस्ताव को वापस कर लें (व्यवधान) मेरी प्रार्थना है भाई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के अन्य नेताओं का नाम ले कर वह आज इस चीज को स्थगित करना चाहते हैं तो मुझे तो मुनासिब नहीं लगता और इसलिये नहीं लगता कि विरोधी दल के नेताओं ने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया है जो अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध यहां पेश किया था। इसलिये कि आज अगर विरोधी दल के नेतागण इसमें कुछ हिस्सा लेना चाहते तो वह यहां पर हाजिर रहते और वह इस बहस में हिस्सा लेते। तो आज यह बात है नहीं। इसलिये मेरी फिर से उनसे यह प्रार्थना है कि वह अपने इस प्रस्ताव को बिना किसी शर्त के आज वापस ले लें। इसमें वह अपनी मर्यादा बढ़ायेंगे सदन की मर्यादा बढ़ायेंगे और उस गौरव को फिर कायम रखेंगे कि जो इस सदन का रहा है। यदि वे शर्त लगाकर कोई चीज करना चाहते हैं तो वह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—सदन में जरा शान्ति रहे। बड़ा गम्भीर विषय है। माननीय नेकराम शर्मा, देखिए पांच मिनट में आप जो भी कहना चाहें कह दें।

श्री नेकराम शर्मा—हमने कोई शर्त नहीं रखी और हमारे माननीय नेतागण जो थे उन लोगों की सलाह से यह प्रस्ताव आया है। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये लेकिन उन्होंने हमको हस्ताक्षर करने की आज्ञा दी कि तुम लोग हस्ताक्षर करो। कल वे सभी खड़े हुए थे प्रस्ताव के पक्ष में। तो कोई शर्त नहीं है। लेकिन इस समय हम लोगों को बात करने का कोई मौका भी नहीं है क्योंकि सदन चल रहा है। अब हम माननीय नरसिंहनारायण जी से या राजा साहब से बात भी नहीं कर सकते, मैं यहां बोलने के लिये खड़ा हो गया हूं तो हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, हमारी भावनायें व्यक्त हो गई हैं, केवल यह कि आज जो मतदान होने वाला है वह कल हो जाय। अगर आप चाहते और हमारी ईमानदारी और हमारी नेकनीयती पर आपको विश्वास है तो कल तक का समय आप इसके लिये दे दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक दूसरा सुझाव रख रहा हूं। अगर माननीय नेकराम जी नहीं मानते हैं और चाहते हैं कि वह नेताओं से बात करें तो १५ मिनट के लिये यह सदन स्थगित हो जाय और वह परामर्श कर लें नेताओं से और फिर मेरा यह प्रस्ताव होगा कि पन्द्रह मिनट के लिये सदन का समय और बढ़ा दिया जाय और यह मसला आज ही खत्म हो जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, सारे विरोधी दल की बात माननीय गुप्ता जी को मंजूर नहीं है और बार बार वह अपनी ही बात लादना चाहते हैं। यह कहां तक स्वस्थ जनतांत्रिक परम्पराओं को अपने बीच में स्थापित करना चाहते हैं। फिर मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि विरोधी दल ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं और गुप्ता जी अपनी एक ही बात रखना चाहते हैं और माननीय बनारसी दास जी से पूछकर वह कहते हैं। माननीय बनारसी दास जो कहते हैं वह गुप्ता जी करते हैं ....

श्री अधिष्ठाता—अब आप स्थान ग्रहण करें, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। दीप नारायण जी कृपा करके बैठें। माननीय नेकराम जी, अन्तिम पोजीशन यह है कि सारा अधिकार आपको है। माननीय नेता सदन या मेरी स्वयं अपने स्थान पर जो भी इच्छा हो वह अलग चीज है। अगर यह हो जाता तो ठीक था लेकिन अगर माननीय नेता सदन एक विशेष रूप से इसको स्वीकार करते हैं तो फिर यह आपके अधिकार की बात है, आप उस स्थिति को स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार करते हैं तो मैं अब यह चाहता हूं कि पांच मिनट में आप अपना जवाब समाप्त कर लें।

श्री दीपनारायणसिंह—एक प्रार्थना मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी यह समझ लें कि आपकी बात का इधर से लोग कल पूरी तरह से समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ हमारी बात मान लें। कल यह सब विवाद खत्म हो जायगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। थोड़ी सी प्रार्थना है कि यह कल आ जाय, जिद न करें क्योंकि बहुत से नेता नहीं हैं, इस समय इतनी बात मान लें। यह मेरी प्रार्थना है। हम लोग इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वोट न लिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—मेरा यह सुझाव है कि माननीय गुप्ता जी ने एक सुझाव रखा है और माननीय कमलापति त्रिपाठी ने भी एक अपील रखी है। उनकी बात का हम लोगों पर बहुत असर पड़ा है, हम माननीय कमलापति त्रिपाठी पर ही इस बात को छोड़ देते हैं, वह जितने हमारे अपोजीशन के लीडर्स हैं उनसे बात करके जो तय कर देंगे उसको वह भी मान लेंगे और वही हम लोग भी मान लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हाउस क्या चाहता है इसे आपने अध्ययन कर लिया। माननीय नेता सदन क्या चाहते हैं इसे भी आपने देखा।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

कमलापति त्रिपाठी जो पुराने सदस्य हैं, उनका बड़ा असर पड़ा है, लेकिन उनका असर शायद गुप्ता जी पर नहीं पड़ा। यह हठ धर्मी है कि जब सब लोग कह रहे हैं कि इसे कल के लिये स्थगित कर दिया जाय, वे कहते हैं कि नहीं, यह आज ही होगा। यह केवल इसलिये है कि यहाँ आपका बहुमत है। आप इतना नहीं कर सकते कि नेताओं के आने के बाद इस पर वोटिंग करायें। इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि जो मामले यहाँ आते हैं उनके लिये कुछ नियम होते हैं। या तो पूरे हाउस की एक राय हो कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और राय में फर्क है तो उसके लिये फैसला करने का तरीका है, नियम हैं, उनके अनुसार काम होना चाहिये। इसमें अपील वगैरह की क्या जरूरत है। यह अच्छे हैं वह बुरे हैं, इस सब का इसमें कोई सवाल नहीं है। एक अपील माननीय कमलापति जी ने की उनसे जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिये दस्तखत किये थे। अब दूसरे लोगों की क्या राय है, बड़े आदमियों की क्या राय है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की क्या राय है इसका कोई सवाल इसमें नहीं होना चाहिये। यह सवाल है कि जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं वे विदड्रा करने को तैयार हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इसे आप मूव कीजिये।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक सूचना दे दूं कि सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

मैं माननीय सदस्यों से इसके बाद कहूंगा कि वे कृपा कर अपने स्थान पर बैठें। सदन में शांति रहनी चाहिये। वास्तव में न्याय मंत्री जी ने जो कहा वह ठीक है। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है कि कई सदस्यों को मैं अवसर देता जानकारी के लिये, लेकिन जो विषय सदन के सामने प्रस्तुत है वह बहुत ही गैरमामूली और असाधारण था। इसलिये यह जानते हुये कि नियम मुझ से आशा करते थे कि मैं केवल दो व्यक्तियों को ही सुन कर निश्चय ले लेता, मैंने जानबूझ कर उन नियमों को रिलेक्स कर दिया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि जो मेरी इच्छा थी उस तरह से यह नहीं निपट सकता इसलिये नियम का पालन करना पड़ेगा और मैं अब केवल नियम का पालन करना चाहूंगा। नियम यह कहते हैं कि प्रस्तावक को केवल अधिकार है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले या न ले। नेता सदन जिन कंडीशन्स में उनकी बात मान सकते थे अगर वे उनको स्वीकार नहीं हैं तो वह अपना भाषण दो, तीन मिनटों में समाप्त कर लें। अब कोई राय की बात नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—आपने कहा था कि मौका दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—मैंने कहा था कि जब मैं बुलाऊंगा तो आप बोलेंगे।

एक सदस्य—रावत जी कुछ कहना चाहते हैं, उस ओर आपका ध्यान नहीं जाता।

श्री अधिष्ठाता—हो सकता है, मेरा ध्यान सब जगह नहीं जा सकता।

मैं समझता हूं कि अब कोई इस बात की गुंजायश नहीं है कि अब किसी को कोई मौका दिया जाय। अब तो नियम का पालन करना ही उचित होगा।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने....

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े दुख का विषय है कि हमारे स्पीकर पर इस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव आये। हम में से कोई नहीं चाहता कि इस प्रस्ताव पर वोटिंग हो और हम बहुमत से उसमें जीतें और इस प्रकार अध्यक्ष को कायम रखें। मैं यह मुनासिब समझता हूं, जैसा अभी कहा जा रहा है कि संभव है अगर १०,१५ मिनट इस समय बहस न हो और इसे कल के लिये टाल दिया जाय तो हम लोगों को समझा सकें। अगर वह नौबत न आ सके कि स्पीकर के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर वोटिंग हो तो अच्छा है।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह चूंकि बहुत ही छोटी सी चीज है, और जहाँ तक बहुमत का ताल्लुक है, जो कि आज हमारा है तो वह हमारा कहीं चला नहीं जायेगा। वह कल भी रहेगा। यह हो सकता है कि कल हमारी संख्या १०–५ और बढ़ जाये। इसलिये इस बात का कोई डर नहीं है कि हमारा बहुमत कल रहेगा या नहीं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर १०–२० सदस्यों का भी हमारे खिलाफ मत हुआ तो भी हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें कोई शर्त का सवाल नहीं रखें और कोई जिद न करें। १५ मिनट शेष हैं। अगर हम इस बदमजगी को दूर कर सकें और इस वक्त वोटिंग न हो तो अधिक अच्छा है। इसलिये इसको इस समय स्थगित करा दें तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि दुर्भाग्य से इस समय विरोधी पक्ष के नेताओं में से कोई उपस्थित नहीं है यहाँ पर। यदि कोई है तो वह मैं ही हूं उपनेता के रूप में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रस्ताव गिर तो जायगा ही परन्तु यह जीत और हार का परिणाम क्या होगा। यह तो सब को मालूम ही है कि अध्यक्ष के विरुद्ध कभी मतदान नहीं हुआ और इसको ही रोकने के लिये एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं। वह कल भी काम हो सकता है लेकिन जो हमारा बना बनाया रेकर्ड है, जो सदन की प्रतिष्ठा है वह कायम रह जाये, बस मैं यही चाहता हूं। इसके साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि जो उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है वह भी कल वापस हो जाय। इसलिये इसको मान लिया जाना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—एक बात आप और सुन लें। मेरा यह निवेदन है कि अभी जो चर्चा हुई और माननीय त्रिपाठी जी ने भाषण दिया उन सब की भावनाओं का हम आदर करते हैं। माननीय त्रिपाठी जी और माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी के विचार सुनने के बाद हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है, उसको उन्होंने नहीं माना है। मैं फिर यही मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो आप चाहते हैं वही कल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बदनामी जो हो रही है, उसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्री जी के ही ऊपर है। वह आपके ही सिर पर जायगी। इसलिये हमारा नम्र निवेदन आप मानें। यही मेरी आप से प्रार्थना है। आप जो बालहठ कर रहे हैं वह नेता सदन के नाते नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, एक बात मैं भी निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आज मुझे आप क्षमा करेंगे। मैं श्री गुप्ता जी से यह कहूंगा कि मुझे बहुत ही दुख होता है इस बात से कि हम लोग माननीय गुप्ता जी को अपना बड़ा भाई समझते हैं और वह जब इस प्रकार की चीज पर हठ करते हैं केवल १५–२० मिनट की बात के लिये तो यह शोभा की चीज नहीं रह जाती है। मैं तो यह कहता हूं कि आपसे बढ़िया आदमी इस सूबे में नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आप कोई निर्णय लेने से पहले आपके कंधों पर लोग सवार हो जाते हैं। आपके कंधों पर जो लोग सवार हो जाते हैं और उनकी बातों में आने से मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का नाश हो जायगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अधिष्ठाता महोदय, कुंवर श्रीपाल सिंह जी तो मुझे बुद्धुओं का नेता समझते हैं, क्योंकि बड़ा बुद्धू मैं हूं। मैं तो दूसरों की ही राय से चलता हूं, अपना तो दिमाग रखता नहीं। तो उनसे कह देना चाहता हूं कि कुछ भगवान ने मुझे भी सोचने और समझने की बुद्धि दी है। परसों की बात है, जब प्रस्ताव रखा गया और ऐसा विश्वास सा दिलाया गया कि यह दूसरे दिन वापस हो जायगा और फिर दूसरे दिन वापस नहीं हो पाया तो जो मेरा तजुर्बा तल्ख है वह मुझे प्रेरित करता है कि मैं कभी भी गलत सलाह को न मानूं। यदि कुंवर श्रीपाल सिंह और उनके साथी बराबर उस विश्वास को कायम रखते रहें तो कभी यह "बुद्धू गुप्ता" इतने बुद्धूपन की बात नहीं कर सकता। जब नेतागण अपने पीछे बैठने वाले साथियों को दबा नहीं पाते, समझा नहीं पाते और बराबर इस प्रकार की व्यवस्था होती है और मैं बराबर आपसे निवेदन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करता हूं कि यह नहीं होना चाहिये, जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिये तो आप उस जिम्मेदारी को ओढ़ते नहीं और उलटे मुझे कहते हैं कि मुझे कोई सिखाता रहता है और मैं उसके सिखाने से काम करता हूं तो मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर कुंवर श्रीपाल सिंह ठाकुर के नाते विश्वास दिलाते हैं और मैनेजर सिंह जो कह रहे हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जायगा तो चलिये, मैं कहता हूं कि सबसे पहले यह मसला तय हो जाय, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उस विश्वास को रखने की चेष्टा कीजिये। यह नहीं कि आज यह हो जाय और कल फिर वही बात। तो मैनेजर सिंह और कुंवर श्रीपाल सिंह कह रहे हैं और मैं उनको ठाकुर होने के नाते ऐसा मानता हूं कि वह जरा अपनी बात पर जमने वाले हैं, तो मैं उनका विश्वास करते हुये यह स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—गुप्ता जी, नेकराम जी जो कह चुके हैं मैं उनकी बातों पर इत्मिनान करता हूं। जो शब्द उन्होंने कहे हैं वे उतने पूरे किये जायेंगे, उससे आप पूरा इत्मिनान रखें।

श्री अधिष्ठाता—तो निश्चय हुआ कि आज इसको समाप्त किया जाय, कल या तो इसको वापस लिया जाय, इसकी अनुज्ञा मांगी जायगी या फिर इस पर मतदान होगा।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन १०-१/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२३ अक्तूबर, १९६२।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर)

प्रथम सत्र १९६२ के १३ वें मंगलवार के निर्धारित श्री विजयपाल सिंह के तारांकित प्रश्न सं० २४ के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्रम संख्या	नलकूप निर्माण हेतु चुने गये गाँव का नाम	क्रम संख्या	नलकूप निर्माण हेतु चुने गये गांव का नाम
१	कपूरगढ़	२०	लखन
२	लंक	२१	कसेरवा
३	कुरथल	२२	कैलासपुर
४	मुन्देत	२३	साहपुर बटोही
५	जमालपुर	२४	नन्दवली बांगर
६	चांदपुर	२५	जऊला
७	डंकरपुर	२६	काबरऊत
८	पुरे	२७	हबीबपुर
९	इलियासपुर	२८	बबरी
१०	लखन	२९	रनिहेरीपुर
११	चितउरा	३०	पीपलसाह
१२	मंझेरा	३१	राजपुर छाजपुर
१३	गालिबपुर	३२	बोरल
१४	भोलाकलां	३३	परसऊली
१५	कुरथल	३४	बम्नगर
१६	बुवाना	३५	निर्मानी
१७	गोसाला	३६	जाट जगला
१८	रसूलपुर	३७	बसी
१९	बधरा	३८	शामली शामला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२० पर)

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में यंत्रित फार्म, सैदपुर पर प्रत्येक वर्ष के आय-व्यय के आंकड़ों की सूची

वर्ष	व्यय	आय
१९५६–५७	२,४४,९८६	२,२४,८८०
१९५७–५८	२,००,०६९	१,४५,३०३
१९५८–५९	२,२६,११५	२,०१,३४९
१९५९–६०	२,३७,५२१	२,१३,३७०
१९६०–६१	२,५७,२२२	२,३८,९९३

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर)

तालिका

१—ग्राम मईल का जलाशय संख्या	१
२— ,, ,, ...	२
३— ,, ,, ...	३
४— ,, ,, ...	४
५—मइलौटा जलाशय ..	
६—तेलिया जलाशय संख्या	१
७— ,, ,, ...	२
८— ,, ,, ...	३
९—जैतपुर जलाशय संख्या	१
१०— ,, ,, ...	२
११—एकौनी जलाशय ,, ...	
१२—अमावस जलाशय	
१३—पिपरा बांध जलाशय संख्या	१
१४— ,, ,, ...	२
१५—इसारू जलाशय संख्या	१
१६— ,, ,, ...	२
१७—बकूची गढ़ी जलाशय	
१८—खुखुन्द जलाशय संख्या	१
१९— ,, ,, ...	२
२०—बढ़या जलाशय	१
२१—कुरवा पोखरा संख्या	१
२२— ,, ,, ...	२
२३—पिपरी जोला जलाशय, लार	
२४—रावलपुर अमेठी का जलाशय	
२५—ग्राम अतरौली का जलाशय	

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

विकास खंड का नाम	वितरण सन् १९६०–६१				
	उन्नतिशील बीज		खाद		कृषि औजार (संख्या में)
	खरीफ	रबी	नेत्रजन	फासफेटिक	
	मन	मन	टन	टन	
(१) चोलापुर	४९	४९४१	११७	४	३४
(२) चिरईगांव	१४७	३४८९	३२५	४	१५६
(३) हरहुआ	३९	३४०६	१७५	२	१४०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

तृतीय योजना-काल में चोलापुर, चिरई गांव और हरदुआ विकास खंडों में उन्नतिशील बीज, खाद तथा कृषि औजार वितरण के लक्ष्य

विकास खंड का नाम	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६
	मन	मन	मन	मन	मन
(१) चोलापुर उन्नतिशील बीज (खरीफ) ..	२००	२८२	३०७	३८०	४१३
उन्नतिशील बीज (रबी) ..	१३३५	१५६०	१७९०	२१५५	२६१९
	टन	टन	टन	टन	टन
खाद नेत्रजन ..	१००	२००	४००	५००	८००
खाद फासफेटिक ..	५०	१००	२००	३००	३००
कृषि औजार (संख्या में)	२५	६०	१२०	१३७	२२९
	मन	मन	मन	मन	मन
(२) चिरईगांव उन्नतिशील बीज (खरीफ) ..	४५१	४७६	४९०	५६६	५९७
उन्नतिशील बीज (रबी) ..	१५३०	१६८०	१९५५	२२६०	२६५८
	टन	टन	टन	टन	टन
खाद नेत्रजन	२००	४००	६००	८००	१०००
खाद फासफेटिक ..	५०	१००	१००	२००	२००
कृषि औजार (संख्या में)	३२	८१	१६१	१८२	३२८
	मन	मन	मन	मन	मन
(३) हरदुआ उन्नतिशील बीज (खरीफ) ..	२६४	४४६	५१३	५७२	६५८
उन्नतिशील बीज (रबी) ..	२५५०	२५९०	३२१५	३४४५	३७१२
	टन	टन	टन	टन	टन
खाद नेत्रजन ..	४००	५००	८००	१०००	११००
खाद फासफेटिक ..	५०	१००	२००	३००	३००
कृषि औजार (संख्या में) ..	२४	५२	१०४	१२१	२८५

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर)

State Livestock-cum Agricultural Farms पर पिछले पांच सालों में (१९६०–६१ तक) १२.०६ लाख रुपये की हानि के कारणों की सूची ।

१—ये फार्म बहुत ऊंचे पैमाने पर विकास कार्य कर रहे हैं अतः इन्हें व्यापारिक संस्था नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन फार्मों संबंधी हानि लाभ के खाते उसी भांति बनाये जाते हैं जैसा कि व्यापारिक संस्थायें बनाती हैं।

२—पिछले पांच वर्षों में कुल १२.०६ लाख रुपये की हानि हुई, जिसमें १३.९० लाख रुपये की वह धनराशि शामिल है जो मूलधन पर ब्याज के रूप में लगाई गई तथा १३.७२ लाख रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जो पूंजीधन (Capital Assets) पर ह्रास के रूप में लगाई गई । यदि केवल ब्याज की धनराशि को ही कुल हानि से अलग कर दिया जाय तो हानि नहीं रहती बल्कि कुछ लाभ ही शेष रहता है।

३—ये फार्म विकास कार्यों में संलग्न हैं और इनका मुख्य ध्येय उन्नतिशील बीज पैदा करके किसानों को देना तथा पशुओं की नस्ल सुधार कर उत्तम सांड़ पैदा करके प्रजनन हेतु राज्य में वितरित करना है। इन विकास कार्यों को आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं किया जाता ।

४—फार्मों की पशु शाखा में केवल दुधारू पशु ही नहीं रक्खे जाते। यहां पर दुहरे काम देने वाले हरियाना, थरपाकर, गंगातिरी, खेरीगढ़ तथा पांवर आदि जैसे ड्राफ्ट नस्ल के पशु भी रक्खे जाते हैं। दूध न देने वाली नस्लों के पशु इन फारमों पर इसलिये रक्खे जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अलाभकर होने के कारण इनकी नस्ल नष्ट हो जाय ।

५—ये फार्म शहरों से दूर स्थित हैं जहां से दूध की बिक्री में कठिनाई होती है। दुग्ध उत्पादन तथा विक्रय मूल्य में लगभग ६ रु० प्रति मन का अन्तर है और केवल इसी मद में लगभग १.४४ लाख रुपये की हानि प्रति वर्ष होती है।

६—पिछले पांच वर्षों में से कुछ वर्ष अत्यन्त ही खराब रहे और केवल प्रकृति के प्रकोप के कारण जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि से लगभग ५.५ लाख रुपये की हानि अनुमानित की गई ।

७—फार्मों के लिये जो भूमि प्रारम्भ में ली गई थी। उसमें से अधिकांश बहुत ही निम्न कोटि की थी । इस भूमि को अब काफी उपजाऊ बना लिया गया है तथा इसका वर्तमान मूल्य इसके प्राप्त करने के समय के मूल्य से काफी बढ़ गया है परन्तु इस बढ़े हुये मूल्य को फार्मों के लाभ हानि के खाते में दिखाया नहीं जाता। सन् १९५४–५५ में विभिन्न फार्मों की जमीन का जो मूल्यांकन किया गया उससे यह प्रगट होता है कि सरकार को इस कारण से लगभग ३५ लाख रुपये का लाभ हुआ है परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है यह लाभ फार्मों के लाभ हानि के खाते में दिखाया नहीं जाता।

८—इन फार्मों पर सिंचाई की सुविधायें अपर्याप्त थीं और वे धीरे-धीरे प्रदान की जा रही हैं।

९—प्रारम्भ में जो कृषि यंत्र आदि फारमों को दिये गये थे उनमें से बहुत से अप्रयोगशील थे परन्तु फार्मों के खाते में इन यंत्रों के मूल्य पर ब्याज तथा ह्रास सम्मिलित कर लिया जाता था।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२१९ एल० ए०—१९६३—८५० ।